# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–12 ] अष्टम् विधान सभा के बारहवें सत्र का दूसरा दिवस [ संख्या–2



शुक्रवार,

29 दिसम्बर, 1989

(विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

**(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)**

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरजीराम बुरड़क ।

**नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक में नियुक्तियां**

11. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंक, नागौर में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो कब-कब, किन-किन को किस-किस पद पर ? इस विषयक राज्य सरकार के आदेश की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि संचालक मण्डल की बैठक जिसमें जिला कलेक्टर भी मौजूद थे, में निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार की नियुक्तियां नहीं की जावें और यदि अत्यावश्यक होने पर की भी जावें तो एक व्यक्ति को 59 दिन से अधिक किसी भी हालत में नहीं रखा जावे ? यदि हां, तो इस निर्णय की अवहेलना करके नियुक्तियां किसके द्वारा क्यों की गई ?

(3) उक्त अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

**सहकारिता मंत्री** (श्री रामसिंह विश्नोई) : (1) जी हां, नियुक्तियों का विवरण परिशिष्ट–1 सदन के पटल पर रख दिया गया है। नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कोई आदेश नहीं हैं।

(2) संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 7-12-89 में जिला कलेक्टर भी उपस्थित थे। इस बैठक में तत्समय कार्यरत दो लिपिकों एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दैनिक वेतन पर कार्य करने की स्वीकृति दी गई थी एवं भविष्य के लिए 58 दिन तक के लिये दैनिक वेतन पर नियुक्ति हेतु प्रबन्ध संचालक को अधिकृत किया गया था। निर्णय की अनुपालना में नियुक्तियां बैंक के प्रबन्ध संचालक द्वारा की गई। 58 दिन से अधिक की नियुक्ति देने के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

(3) यह मामला हाल ही में जानकारी में आया है। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही जांच कराके दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

**श्री हरजीराम बुरड़क** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग एक

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में बताया, राज्य सरकार के कोई आदेश नहीं हैं। तो मैं यह जानना चाहूंगा नियुक्ति करने के आदेश नहीं हैं या नहीं करने के भी आदेश नहीं हैं और राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जब भाग दो में आपने माना है कि संचालक मण्डल की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि 58 दिन से ज्यादा नियुक्ति नहीं दी जावे तो यह जो आपने सूची दी है उसमें बहुत लम्बे समय तक करीब 20 आदमियों की नियुक्ति हुई है, अब आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार के ध्यान में भी आया है और अब जांच करवा रहे हैं, तो जांच किस बात की करवा रहे हैं ? जब आपने सूचना पूरी दी है करीब 20 आदमियों के नाम दिये हैं, कब उनको अपाइन्टमेंट दिया, किसके द्वारा दिया, यह सारा जब आपने जानकारी में शामिल किया है तो अब जांच किस बात की हो रही है ? इसलिये मैं चाहूंगा, जिस अधिकारी ने संचालक मण्डल और राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करके इस प्रकार से गलत नियुक्तियां दी हैं और बैंक पर भार बढ़ाया है उसके विरुद्ध आप तत्काल कार्यवाही करें।

**श्री अध्यक्ष** : पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री रमजान खां** (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कुछ दिनों पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने नई नियुक्तियां देने की घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित विभाग ने पूरे राजस्थान के केन्द्रीय बैंकों को भी निर्देश जारी किये हैं कि जितने भी पद रिक्त हैं उन पर नई नियुक्तियां दे दी जाय? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक देने का विचार है, विभागों को निर्देश ?

**श्री रामसिंह विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, जिला बैंकों के अन्दर अलग-अलग बैंकों ने नियुक्तियां की हैं। जब से मैंने कार्यभार सम्भाला था, मैंने सबसे पहले जो बैंकों के अन्दर बिना पूर्व परमिशन के नियुक्तियां की गई थीं उन्हे हटाने के आदेश दिये थे। काफी बैंकों के अन्दर उन कर्मचारियों को हटा दिया गया है लेकिन कुछ ऐसी जगह भी रही हैं जहां पर या तो ज्यादा समय होने के कारण या किन्हीं कारणों से हटा नहीं पाये हैं। तो यह जांच का विषय है। इसलिए मैं आपको इतना ही विश्वास दे सकता हूं कि जिन्होंने जो अनियमित कार्यवाही की है पूर्व परमिशन के बिना या जिनके बैंक के अन्दर वाकई में जगह नहीं थीं और ज्यादा भार बढ़ाने के उद्देश्य से या किन्हीं कारणों से यह की गई हैं उसकी जांच की जायेगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट, श्री नवरंग सिंह। प्रश्नकर्त्ता पहले।

**श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिन बैंकों के अन्दर बरसों से जगह खाली पड़ी हुई है वहां नियुक्ति नहीं हो रही है।

**श्री अध्यक्ष** : आप और सूचना दे दें। माननीय मंत्रीजी को सूचना दे दें, वह देखेंगे। उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : अध्यक्ष महोदय,

(श्री हरजीराम बुरड़क)

मैं यह जानना चाहता था, जैसा कि आपने बताया, आपने आदेश यह दिये थे कि उनको हटा दिया जाय जिनको दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया गया है। लेकिन इस मामले में स्पष्ट है कि संचालक मण्डल के निर्णय के विरुद्ध एम. डी. के नाम से जो नियुक्तियां हुई हैं वह ज्यादातर ई. ओ. ने की हैं। एम. डी. वहां रहा ही नहीं है। उसकी गैर मौजूदगी में सारी नियुक्तियां हुई हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि आप जांच करायें तब तक उस ई. ओ. को तो वहां से हटायें।

**श्री अध्यक्ष** : आप देख लें सबको जांच करके।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया था, ज्यों ही मैंने कार्यभार सम्भाला था, मैंने सबसे पहले यही काम किया था, बैंक के किसी पद पर, व्यवस्थापक के पद पर स्थायी अस्थायी, तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद पर नियुक्तियां, पदोन्नतियां अग्रिम आदेशों तक नहीं की जावें तथा अस्थायी दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं इस पत्र की प्राप्ति के साथ ही समाप्त कर इस विभाग को सूचित किया जावे। इस बाबत में पूर्व में भी दी गई स्वीकृति भी निरस्त मानी जावे।

**श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, संचालक मण्डल मुर्दे हैं। एम. डी. की चलती है। आप लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हो। मंत्री महोदय, इसको बचाइये आप। अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है यह। उनकी बात की ताकीद कर रहा हूं मैं, जो माननीय सदस्य ने कहा है।

**श्री अध्यक्ष** : ऐसी कोई सूचना है, आप दें मंत्रीजी को।

**श्री हरीश शर्मा** : हर बैंक में संचालक-मण्डल के निर्णय पड़े रहते हैं। कोटा बैंक में जो भी निर्णय लिया आज तक एक भी नहीं माना है। मंत्री महोदय, 600 वेकेन्सीज हैं। रोस्टर प्रणाली से जो एस.सी., एस.टी. की पदोन्नतियां होने वाली थीं वह नहीं की गई हैं। आपको पत्र लिख-लिख कर भेजे बैंक ने। कम से कम सौ पत्र भेज दिये। एक का जवाब नहीं आया। आपके जो चहेते लोग थे वहां नियुक्ति के आदेश दे दिये। कोटा में नियुक्ति के आदेश आज तक एक भी नहीं दिया गया। यह कोटा की उपेक्षा है। आप गरीबों की हत्या कर रहे हो। एम. डी. आपका प्रतिनिधि है, मानता हूं सरकार का। लेकिन वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई संस्था संचालक मण्डल करती है, वह करने वाली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है। आप ध्यान दीजिये इस बात पर।

**श्री अध्यक्ष** : आप सूचना देना।

**श्री हरीश शर्मा** : हर बैंक में संचालक मण्डल पंगु हो गया है। चुना हुआ वह पंगु बोर्ड क्या करेगा ? वहां केवल मात्र एम. डी. जो रोजगार को प्रोत्साहन दे रहा है, लाखों रुपयों का गबन करके रखा है। मंत्री महोदय, मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि आप संचालक मण्डल को मजबूत बनाने की कार्यवाही कीजिये।

(4)



**श्री रमजान खां** : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुख्य मंत्रीजी ने जब यह बैन हटा दिया, नई नियुक्ति दे दी जावे, तो फिर वह अखबारों में आकर रह गया, विभाग से इस तरह के कोई आदेश जारी नहीं हुए। क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्रीजी की घोषणा केवल खोखली थी या ऐसे ही खाली जनता को बहलाने वाली थी या फिर उनकी घोषणा के अनुरूप विभाग से भी घोषणा करवायेंगे कि जितने भी सहकारी समितियों के पद राजस्थान के अन्दर है, उनको भर दिया जावे ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरजीराम बुरड़क।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल था, मंत्री महोदय ने हां भी भर ली लेकिन आगे कार्यवाही के मामले में टाल गये। जब आपके आदेशों की और संचालक मण्डल के आदेशों की अवहेलना करके उस एग्जीक्यूटिव आफिसर ने अनियमित नियुक्तियां कर दीं, आप मान रहे हैं कि उन्होंने उसमें गलती की, आप उसकी जांच कर रहे हैं तो आप उनको हटाते क्यों नहीं हैं ? जब आपने एम. डी को हटा दिया लेकिन असली जिन्होंने नियुक्ति की है जिसमें दस्तखत उनके हैं उनको आपने वहीं बैठा रखा है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अब बार-बार नहीं।

**श्री हरीश शर्मा** : निर्णय तो कीजिये, जो एम. डी. ने किया या नहीं किया, उस एम. डी. के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, संचालक मण्डल के निर्णय को जिस एम. डी. ने क्रियान्वित नहीं किया, लागू नहीं किया उस एम. डी. के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे, यह बता दीजिये। मंत्री महोदय, यह हर बैंक में हो रहा है। हत्या हो रही है लोकतन्त्र की।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये आप, बतलाना।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, नागौर के अधिकारियों जैसे एम. डी. को वहां से हटा दिया गया है और ई. ओ. की जो बात कह रहे हैं, अभी इस मामले की जांच ही नहीं हुई कि कौन दोषी है इसके अन्दर। आया इन्होंने कब तो यह रखे, क्या हुआ। सारी इस प्रकरण की जांच कर ली जायेगी और इसमें जो भी दोषी होगा, अब कर्मचारी जो आदमी 6 महीने से ज्यादा रहे हैं या 12 महीने से ज्यादा हो गये हैं, गलती तो उन्होंने की है लेकिन अगर मानलो हटाते हैं तो मेरे ख्याल से कोर्ट में भी वह जा सकते हैं, फिर इसका इफेक्ट और भी ज्यादा खराब पड़ सकता है। इसलिए सारे मामले की जांच की जायेगी और हमने तो सबसे पहले ही, यह नागौर का ही नहीं है, पूरे राजस्थान में जो बैंक्स घाटे में चल रहे हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है जो अपने आप में सक्षम नहीं हैं, जो वाकई में कर्मचारियों को लेने की गुंजाइश में नहीं है वहां से सबको हटाने के आदेश कर दिये गये हैं इसके बावजूद भी जैसा पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जहां पर बैंकों में जिनकी स्थिति ठीक है जहां पर कर्मचारी कम हैं, जिनको लेने की जरूरत है जहां काम की अधिकता है और वर्कलोड ज्यादा है वहां पर उनको अधिकार दिया गया है कि वे यहां आकर के लीड बैंक के अन्दर वहां मिल करके जो कर्मचारी कम है

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

वहां अपने कर्मचारियों को लेने के लिए परमिशन यहां से प्राप्त कर सकते हैं। बिना परमिशन वह नहीं ले सकते। वहां देखना पड़ेगा कि आया वह बैंक घाटे में चल रहा है या मुनाफे में चल रहा है या उस बैंक में कितना स्टाफ है। ज्यादा तो नहीं है या कम है। यह सारी बात होने के बाद अगर यह पाया जाता है कि उस बैंक में स्टाफ की कमी है और बैंक घाटे में नहीं चल रहा है तो उसको परमिशन देने की व्यवस्था है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नवरंगसिंह। प्रश्न संख्या 12 (व्यवधान)

**श्री हरीश शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, हमारे बैंकों में स्टाफ नहीं है। बैंक बन्द होने जा रहे हैं। आपने पूरा जवाब नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया इसका.... (व्यवधान)....यह किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है। किसानों को लोन देने की बात है....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : जवाब आपका आ गया है, इससे ज्यादा मिनिस्टर से क्या चाहते हैं....(व्यवधान)

**श्री हरीश शर्मा** : जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि पत्र भेजो, हमने पत्र भेज दिया मगर अनुमति नहीं दी गई... (व्यवधान.... हमने अनुमति चाही लेकिन अनुमति नहीं दी गई। चार सौ कर्मचारियों की जगह हमारे यहां खाली है और बैंक भी मालदार है। जैसा मंत्री महोदय ने कहा हमने उनको पत्र भेजा रजिस्ट्रार को मगर उसका उत्तर नहीं मिला....(व्यवधान)

**नवलगढ़ नगरपालिका को विशेष अनुदान**

**12. श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका नवलगढ़ लगभग 25 लाख रुपये के घाटे में है और बार-बार प्रयास करने पर भी राज्य सरकार विशेष अनुदान नहीं दे रही है ?

(2) यदि हां, तो अब कब तक उक्त नगरपालिका को विशेष अनुदान दे दिया जावेगा ?

**स्वायत्त शासन मंत्री** (श्रीमती कमला): (1) नगरपालिका नवलगढ़ पर करीब 23 लाख रुपये की देनदारियां बकाया है पालिका ने वेतन भुगतान हेतु विशेष अनुदान मांगा था एवं विशेष अनुदान के रूप में वेतन भुगतान हेतु आंशिक राशि दी गई है।

(2) विशेष अनुदान के रूप में 1.90 लाख रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं।

**श्री नवरंगसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि एक तो वेतन भुगतान हेतु उन्होंने अंशदान देने की बात कही है कुछ आंशिक राशि, तो मैं जानना चाहता हूं कि आंशिक राशि के अलावा जो राशि है उसका भुगतान नवलगढ़ नगरपालिका को कब तक होगा? एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि विशेष अनुदान के रूप में 1.90 लाख मंजूर हुये है। जहां 23 लाख की देनदारी बाकी है वहां 1.90 लाख रुपये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नवलगढ़ 50 हजार की

(8)



(श्री नवरंगसिंह)

आबादी का कस्बा है। शेखावाटी का किसी जमाने में सबसे अच्छा कस्बा माना जाता था। लेकिन आज इस कस्बे में मंत्री महोदय आप कई बार वहां से रोड़ से होकर गुजरे होंगे। तो वहां की जो सड़कें हैं जो कृषि उपज मण्डी ने बनाई है, वह कई लम्बे अर्से से सड़क की हालत यह हो गई है कि वहां इतना पानी भर गया है, इतनी मिट्टी हो गई है कि अगर वहां कोई भी बस या अन्य साधन जाते हैं तो बीच में रूक जाते हैं निकल नहीं सकते। अड़ौस-पड़ौस के लोग वहां रह नहीं सकते। इस सारी स्थिति को अवगत कराने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार वहां पर हमारे जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस प्रदर्शन किये। 15 दिसम्बर को नवलगढ़ के प्रशासन के सामने एम डी. एम. कोर्ट पर धरना दिया और आज भी हमारे कार्यकर्ता क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नवलगढ़ सड़ रहा है लेकिन राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वह कह देती है कि नगरपालिका में घाटा है तो उसका क्या इन्तजाम करें। इस घाटे का कोई हमने तो कहा नहीं कि आप घाटे की व्यवस्था करो इसलिए हम चाहते हैं कि 50 हजार की आबादी की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आखिर सरकार की है, जगह-जगह, इसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष :** भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

**श्री नवरंगसिंह :** सारा शहर सड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, मेरे को लोग गाली देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके लिए व्यवस्था करे। 23 लाख की देनदारी के लिए क्या करेंगे, क्या राज्य सरकार के पास व्यवस्था है....

**श्री अध्यक्ष :** यह बात आ गई है।

**श्री नवरंगसिंह :** हमारे कार्यकर्ता अनशन पर हैं भूख हड़ताल पर हैं, धरना दिया है। मैं भी उसमें शामिल रहा हूं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि व्यवस्था करें।

**श्रीमती कमला :** अध्यक्ष महोदय, शहर को सफाई के कारण से तो सड़ना नहीं चाहिये क्योंकि सफाई कर्मचारियों का माह नवम्बर तक का तमाम वेतन का भुगतान हो चुका है। आंशिक भुगतान जो 1.90 लाख का विभाग की तरफ से दिया गया है उसके अलावा नगरपालिका ने अपने पास से नवम्बर तक का पूरा वेतन उनको चुका दिया है इसलिए इस कारण से कहीं शहर में सफाई नहीं हो रही है कि सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, यह तो आपकी मान्यता और आपका यह बयान गलत है। और किसी कारण से वेतन मिलने के बाद भी काम नहीं करना चाहते हों या काम लेने की स्थिति में प्रशासन नहीं हो तो वह दूसरी बात है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इस नगरपालिका के अन्य कामों के लिए भी पैसा दिया गया है जैसे 27-10-89 को नगरपालिका के वेतन भुगतान के पेटे के अलावा 30 हजार उनको दिये गये हैं। विकास कार्यों के लिए दिये गये हैं और सफाई उपकरण खरीदने के लिए 50 हजार अलग से दिये गये हैं और पर्यावरण सुधार के लिए एक लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इन तीन आइटम्स के लिए धनराशि दी गई है वह तो अलग है और 1.90 लाख रुपये वेतन

(श्रीमती कमला)

पेटे दिये जाने थे वह अलग है लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं कि 23 लाख के पेटे इतना पैसा ही दिया तो यह तो बहुत कम पैसा है। अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी बकाया का आप कुछ विवरण सुनें तो जितने कामों के लिए, इन सारे उधार खातों के लिए तमाम विभाग देंगे तो शायद 2-4 नगरपालिकाओं को ही दे पायेंगे, बाकी सारी राशि यहीं खत्म होगी। इसलिए नगर-पालिकाओं को भी उधार लेते वक्त सोचना चाहिए कि वह किस-किस राशि को चुकाने की स्थिति में हो सकती है। अध्यक्ष-महोदय, प्रावधायी निधि की राशि बाकी है 5.31 लाख, पेन्शन फण्ड की 7.51 लाख, जी. पी. एफ. की 3.16 लाख, सेवा निवृत कर्मचारियों की बकाया 45 हजार और बोनस की बकाया 58 हजार और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 80 हजार और समर्पित अवकाश का पैसा 30 हजार और सुभाष पुरोहित से कोई उन्होंने चीज खरीदी है उसके भुगतान का 11 हजार यात्रा भत्ता 1200, स्टेट बैंक आफ बीकानेर से उन्होंने हरिजनों के गृह निर्माण के लिए पैसा उधार लिया उसका चुकारा करना है 1.13 लाख, बैंक आफ बड़ौदा से ट्रेक्टर खरीदा उसका 12 हजार, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की स्ट्रीट लाइट का पैसा 1.57 लाख, राजस्थान हैण्डलूम खादी से वर्दी का कपड़ा लिया उसके 21 हजार तो इतने सारे आइटम हैं जिनके पेटे 23 लाख का खर्चा है। अब जितनी नगर-पालिकाएं राजस्थान में हैं उनको वेतन भुगतान की सबसे अधिक प्राथमिकता है इसलिए जितने भी फण्ड सरकार के पास में उपलब्ध हो सकते थे तमाम नगरपालिकाओं को प्राथमिकता से वह पहले भुगतान किया गया है इसके बाद में विकास के कुछ कामों के लिए, सफाई के उपकरणों के लिए और पर्यावरण के लिए कुछ-कुछ नगरपालिकाओं को दिये गये हैं उसमें आपके लिए भी आनु-पातिक ढंग से जितना आया वह दिया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री चम्पालाल बांठिया।

**श्री नवरंग सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा नहीं आया। मैंने कहा कि सड़कें लम्बे अर्से से रुकी हुई है....

**श्रीमती कमला** : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क कृषि उपज मण्डी की है इसलिए दूसरे प्रश्न में पूछें तो मैं बता दूंगी कि आपकी मण्डी में पैसा है या नहीं है....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य यह अलग से है।

**श्री नवरंग सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह विकास से सम्बन्धित है। वहां क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। अध्यक्ष महोदय, इसका क्या मतलब हुआ ? सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेगी इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : इसमें सड़क का नहीं है आपका। यह कृषि उपज मण्डी का अलग है... (व्यवधान)

**श्री नवरंग सिंह** : अलग नहीं है अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जवाब दिलवायें।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट, 13.

**जोधपुर सम्भाग में जल प्रदूषण**

13. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर सम्भाग में किन-किन स्थानों पर जल प्रदूषण हो रहा है? वर्तमान में प्रदूषण के प्रभाव की क्या स्थिति है ? अब तक सरकार ने इसकी रोकथाम के क्या उपाय किये हैं ? संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार को इसके निवारण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्तहुए हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या हैं ? क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई निर्णय किया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या किसी सुझाव को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या ? उसकी स्थिति अब क्या है ?

**पर्यावरण मंत्री** (श्री माधवसिंह दीवान): (1) जोधपुर सम्भाग में मुख्यतः पाली, बालोतरा एवं जोधपुर में कार्यरत लघु वस्त्र उद्योग के कारण जल प्रदूषण हो रहा है । राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल द्वारा पूर्व में किये एक सर्वेक्षण के अनुसार बांदी नदी एवं जोजरी नदी के पास स्थित कच्चे कुओं के जल का प्रदूषित होना पाया गया । जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु अब तक किये उपायों का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी हां । पाली जोधपुर व बालोतरा में जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं—

(क) पर्याप्त क्षमता व मात्रा में संयुक्त उपचार संयंत्र लगाये जावें ।

(ख) श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य विधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव में सुझाया गया है कि लूनी नदी में एक चैनल बना कर पाली एवं जोधपुर का प्रदूषित जल दुन्दाड़ा तक ले जाया जाये और वहां से नाला बना कर बालोतरा होते हुए इसे गान्धव होकर कच्छ की खाड़ी में डाला जायें ।

उपरोक्त प्रस्तावों पर उद्योग विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी हां ।

(क) राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिनांक 10-8-1987 को प्रेषित रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि जोधपुर व बालोतरा में प्रस्तावित सामूहिक उपचार संयंत्रों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जोड़ा जाये तथा इनके लिए राज्य सरकार को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जावें ।

(ख) राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल द्वारा पाली में जल प्रदूषक 13 उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये केन्द्र सरकार को अनुरोध किया गया है । उक्त 13 उद्योगों में से 4 उद्योगों को केन्द्र सरकार ने उत्पादन बन्द करने के आदेश जारी किये । केन्द्रीय सरकार के उक्त आदेशों के विरुद्ध इन इकाईयों ने उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की थी । इन याचिकाओं पर

(माधवसिंह दीवान)

फैसला देते हुए उच्च न्यायालय ने 4 इकाइयों के विरुद्ध 19 व 21 दिसम्बर, 1989 को केन्द्रीय सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)।

**श्री चम्पालाल बांठिया :** सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दिये हैं वे बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इन्होंने कोई ठोस उपाय आज दिन तक इस जल प्रदूषण को रोकने का किया ही नहीं है। इनके उत्तर से स्पष्ट है कि जिन उद्यमियों के विरुद्ध इन्होंने जो मुकदमे दायर किये थे उनमें भी उच्च न्यायालय ने उनके विरुद्ध निर्णय दिया है और जो पाली के अन्दर इन्होंने कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगाया वह भी असफल रहा है। कारण यह है कि यह बहुत महंगा संयंत्र है और इसके अन्दर रोजमर्रा का जो खर्चा आता है वह बहुत महंगा है और उसको लघु उद्योग वाले सहन नहीं कर सकते, वे मिल के मुकाबले में ठहर नहीं सकते। तो आपको जो सुझाव दिये गये हैं पूर्व में भी और यहां से एक शिष्ट-मण्डल माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत विपक्ष के नेता के साथ बड़ौदा गया था और बड़ौदा के अन्दर गुजरात सरकार ने जो एक पक्की चैनल 55 किलोमीटर की बहुत ही सुन्दर बनाई है और सब तरह का प्रदूषित जल को उन्होंने कच्छ की खाड़ी में डाला है। उसी के आधार के ऊपर मैंने एक प्रस्ताव दिया था वह प्रस्ताव बहुत अच्छा प्रस्ताव है उसको अगर क्रियान्वित किया जाये तो इस पश्चिमी राजस्थान की काया पलट हो सकती है। सरकार के सारे विभागों ने उसको बारीकी से देखा है लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है उस काम को हाथ में लेने के लिए। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि पैसों की इस मामले में कोई कमी आने वाली नहीं है। जहां पर्यावरण का प्रश्न है, जहां जल को सेव करने का प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक भी पैसा देती है। तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में इस तरह से ध्यान देगी। इन्होंने चुनाव के समय पैसा लूटने के लिए विभिन्न प्रकार के मुकदमे बनाये। अभी भी बालोतरा के अन्दर लोगों के इंजन ले जा करके काम को रोक रहे हैं। यह कोई इसका उपाय नहीं है। हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण रुके लेकिन यह ठोस कदम उठाएं। इसके अन्दर हम सब तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हैं लेकिन इस बारे में ये कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब दिलायें।

**श्री पोकरलाल परिहार** (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान हमारे पाली शहर की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां प्रदूषण की भयंकर समस्या है। पाली के अन्दर काश्त-कारों की जमीनें बरबाद हो गई हैं। प्रदूषण के मामले में क्या मंत्रीजी जो लोग ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल ही वहां फैल हो गये हैं, जब कोई समिति निरीक्षण के लिए जाती है तो वहां पर दिखावे मात्र के लिए एक बार स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? काश्तकारों की जमीनें बरबाद करने लिए एग्रीकल्चर लैण्ड के ऊपर अनआथोराइज्ड फैक्ट्रियां लगा दी है, उन अन-आथोराइज्ड फैक्ट्रियों को हटाकर

(10)



(श्री पोकरलाल परिहार)

उनके विरुद्ध मुकदमे दायर करके सरकार जल्दी कार्यवाही करेगी ? मंत्री महोदय से इनका जवाब दिलवाइये ।

**सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : अध्यक्ष महोदय पहले तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार ने पाली, जोधपुर और बालोतरा के जल प्रदूषण को मिटाने के लिए क्या-क्या सक्रिय उपाय किये हैं वह आप सदन में बताने की कृपा करें । मैं यह भी जानना चाहती हूं कि वर्तमान में राज्य सरकार ने कोई ऐसा मुआयना कराया है या कोई एग्जामिनेशन कराया है जिससे यह मालूम हो सके कि पाली, जोधपुर और बालोतरा के जल प्रदूषण से कितने कुएं कहां तक खराब हो गये हैं और कितनी ज़मीन खराब हो चुकी है और कितने मानव और पशुओं को किस-किस तरह की बीमारी हो चुकी हैं ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने जो नोटिस दिये हैं वे कब-कब दिये हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार हर चुनाव के पहले फैक्ट्रियों के मालिकों को नोटिस दिये गये और राज्य सरकार ने नोटिसों की आड़ में जल प्रदूषण को दूर नहीं किया बल्कि अपनी जेबों को भरा है, यह मेरा आरोप है राज्य सरकार पर और यही कारण है कि राज्य सरकार पाली, बालोतरा और जोधपुर के जल प्रदूषण को अपनी दुधारू गाय बनाये हुए हैं वरना क्या कारण है कि अब तक सीवरेज लाइन के लिए राज्य सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की जबकि 10 वर्षों में सीवरेज लाइन अगर लगा दी जाती तो मेरा यह मामना है कि 50 से 60 प्रतिशत जल प्रदूषण को दूर किया जा सकता था ।

**श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्षजी, मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा पाली, बालोतरा लूनी नदी के किनारे-किनारे जो ये दोनों शहर हैं इनका पानी बह कर आगे कुओं को खराब करने जा रहा है क्या इसकी सर्वे या जानकारी विभाग करता है ? पाली शहर से जो पानी बह कर नदी में पास के गांव से होकर बालोतरा की तरफ जाता है तो वहां के कृषि के कुएं भी खराब हो गये हैं जो वहां से 30-40 किलोमीटर दूर है । इसी तरह से बालोतरा का जो पानी है वह भी नदी के साथ-साथ बह कर तिलवाड़ा के पास वाले कुओं में पानी की खराबी करता है । तो आने वाले वर्षों में तिलवाड़ा में पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलेगा इस बात की जानकारी सरकार को है क्या ? क्या ऐसे सर्वे यह सरकार कभी करवाती है ? यदि करवाती है तो उसके निवारण के लिए यह सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

**श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण की समस्या पश्चिमी राजस्थान की बहुत पुरानी समस्या है उसमें उद्योग और कृषि दोनों के कन्फिलट भी रहता है इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या आपने कभी इस प्रकार से कुल लोसेज कितना पानी जाता है, कितना वेस्ट होता है, कितनी भूमि खराब होती है उससे कितने लोसेज हुए हैं और आगे इससे कितना नुकसान होने की सम्भावना है इस विषय में आपने ऐसी कोई एजेन्सी कायम की है जो आपको बराबर

(श्री बिरदमल सिंघवी)

सूचना देती रहे कि इतना-इतना लोसेज हो रहा है। अब तक कितना लोसेज हो चुका है, मैं यह जानना चाहता हूं आप से और अगर सर्वे किया है तो कितना पानी वेस्ट जाता है इस विषय में बतायें।

दूसरा मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, यह है कि वहां पर सर्वे हुआ है इसके विषय में कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन भी हुआ है, अनुसंधान भी हुआ है और अनुसंधान के आधार पर ऐसा नतीजा निकला है कि इस पानी को फिर से शुद्ध करके फिर से काम में लिया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में एक-एक बूंद की कितनी कीमत है यह अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं। आपने क्या अनुसंधान के ऊपर कभी विचार किया किया है कि इस पानी को फिर से शुद्ध करके, ठीक हालत में करके काम में लें? वहां पर लेबोरेटरी में इसका अनुसंधान हुआ है, काजरी में इसका अनुसंधान हुआ है। उस अनुसंधान के आधार पर कितनी आगे कार्यवाही की जा सकती है क्या सरकार ने कभी इस पर विचार भी किया है या अनुसंधान वैसे ही किये जा रहे हैं? सरकार अनुसंधान को क्यों नहीं एनकरेज करके इस प्रकार की व्यवस्था करती जिससे पानी शुद्ध मिले और पानी का भी उपयोग हो सके। यह मैं जानना चाहता हूं।

**श्री माधव सिंह दीवान** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावना से सहमत हूं। पोल्यूशन की समस्या वाकई इन तीन शहरों में भयंकर रूप धारण कर चुकी है। सरकार के पास जो कानून अभी हाथ में हैं, उनमें बड़े लिमिटेड पावर्स पोल्यूशन बोर्ड को हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया शान्त रहें। पुष्पाजी, आप जवाब सुनिये। जवाब सुनना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं?

**सुश्री पुष्पा जैन** : माननीय मंत्री महोदय, कानून का सहारा मत लीजिये। दस साल में जो कुछ उपाय किये हैं, वह बताइये। सड़ाकर रख दिया है तीनों शहरों को, बर्बाद कर दिया पाली, बालोतरा और जोधपुर शहर को। कानून-कानून क्या बता रहे हैं, उपाय बताइये।

**श्री डूंगरराम पंवार** : सहमत तो आप हैं, निराकरण बताइये।

**सुश्री पुष्पा जैन** : पिछले दस वर्ष में राज्य सरकार ने क्या उपाय किये है, बताइये आप सदन में।

**श्री चम्पालाल बांठिया** : कोट नहीं करेंगे तो लोग मरते रहेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये, बैठिये। सुनिये जवाब। माननीय मंत्रीजी....

**श्री माधवसिंह दीवान** : जो उपाय किये हैं, उसकी सूची प्रश्न के साथ दी हुई, आप कहें तो मैं उसको पढ़ कर बता दूं।

**सुश्री पुष्पा जैन** : उनसे कोई मतलब नहीं हैं, पढ़ कर बताइये आप।

**श्री अध्यक्ष** : पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जब सप्लाई कर दी है।

**श्री माधव सिंह दीवान** : जहां तक माननीय श्री चम्पालाल जी बांठियां ने जो प्रस्ताव दिया था, उसके अनुसार बड़ौदा में इसका सर्वे करवाया गया और वहां की चैनल 55 कि. मी. लम्बी है और जिसको

(श्री माधव सिंह दीवान)

1977 में शुरू किया गया था और सारी जो बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं आई.पी.सी.एल. गुजरात फर्टिलाइजर वगैरह, उनके कंट्रीब्यूशन से यह पानी आता था, पानी समुद्र में पहुंचाया गया था और उसके ऊपर उस समय 13 करोड़ रुपये का खर्चा आया था। इस बाबत रीको ने सर्वे करवाया है और यह चैनल 350 किलोमीटर लम्बी दुंढाड़ा होते हुए जोजरी नदी और लूनी नदी के साथ में बालोतरा होते हुए जब कच्छ की खाड़ी में पहुंचेगी तो यह 350 किलोमीटर लम्बी होगी और इस पर कीमत लगभग 110 करोड़ रुपये आने की सम्भावना है। यह कीमत इतनी ज्यादा है कि फिलहाल राज्य सरकार के लिये इस पर कोई सोच-विचार करना सम्भव नहीं है। जहां तक एफ्लुएण्ट का सवाल है. पाली का सवाल है, एक एफ्लुएण्ट ट्रीटमेंट प्लांट फरवरी, 83 में इन्स्टाल किया गया था, मांडिया रोड इंडस्ट्रियल एरिया से जो एफ्लुएण्ट निकलता है, उसको ट्रीट करने के लिए। कभी चला, कभी बन्द रहा और जुलाई, 87 के बाद यह पूरी तरह से बंद पड़ा रहा जिसे 23 जुलाई, 89 को वापस शुरू किया गया। शुरू करने के बाद में समस्या यही थी कि इसको चलाने का खर्चा कौन दे। इसके अन्तर्गत जो एसिड का रिक्वायरमेंट है, वह 6 टन प्रतिदिन एसिड चाहिए तो जाकर सिर्फ मांडिया रोड की इंडस्ट्रीज का पानी ही ट्रीट हो सकता है और जैसा माननीय सदस्या को पता है कि मांडिया रोड के अन्दर जो इंडस्ट्रीज हैं सिर्फ 1/3 हिस्सा इंडस्ट्रीज मांडिया रोड पर है बाकी 2/3 इंडस्ट्रीज पाली जिले के अन्यत्र सब जगहों पर इस तरह से फैली हुई हैं कि उनका पाली डाइरेक्टली मांडिया रोड के संयंत्र तक लाना सम्भव नहीं है। इस इण्डस्ट्री चलाने के लिये वहां की एसोसिएशन द्वारा यह सजेशन दिया गया था कि 15 रु. प्रति क्विंटल जो ग्रे-कपड़ा आता है, उसके ऊपर म्युनिसिपेलिटी का सेस लगा दिया जाये। उससे प्रतिमाह पांच लाख रुपये एकत्रित हो रहे हैं। तीन महीने के करीब पन्द्रह लाख रुपये एकत्रित हुए हैं। इस प्लांट को चलाने में चार लाख रुपये का खर्चा आ रहा है। यह प्लांट तो अपने आप में ठीक चल रहा इसके बारे में भी कन्सल्टेंट और रीको के बीच काफी डिफरेन्सेज हैं। कंसल्टेंट का कहना यह है कि एक टन प्रतिदिन ही एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि आज 6 टन प्रतिदिन एसिड की इस पर खपत हो रही है। इस इंडस्ट्री वालों को समझाया गया है कि उनके द्वारा अन्दर ही साइकल से ही पानी वापस चला दिया जाये जो मर्सिराइजिंग प्रॉसेस है, उसमें से कास्टिक को रिक्लेमेशन करने की कोशिश की जाये और सबसे बड़ी, अध्यक्ष महोदय, समस्या इसमें यह है कि केन्द्र सरकार ने 88 में जो कानून पास किया, जिसके तहत एफलुएण्ट पैदा करने वाली, पोल्यूशन पैदा करने वाली इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बन्द किया जा सके, ऐसा पावर सरकार के पास आज है नहीं। आज के पावर्स यह हैं कि उनको केन्द्र सरकार को लिखना पड़ता है और केन्द्रीय सरकार आदेश देती है कि ऐसे उद्योगों को बन्द कर दिया जाये। कई बार यहां से भेजा गया है, वह केन्द्रीय सरकार के पास पेण्डिग है। उसके लिए संकल्प विधान सभा द्वारा पारित किया जाना है। पिछले सत्र में भी वह प्रेषित किया था, नहीं हो पाया।

(श्री माधव सिंह दीवान)

बिजनस एडवायजरी कमेटी अगर इस सत्र में लेगी, तो यह पास हो सकता है। तभी बोर्ड के पास कुछ पावर्स आयेंगे, जिसके तहत वह पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज के ऊपर काबू पा सकेगी ।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूं।

**श्री चम्पालाल बांठिया** : उत्तर सही नहीं है। यह जो 350 किलोमीटर दूरी इन्होंने बतायी है, यह दूरी निश्चित रूप से 350 किलोमीटर नहीं है। जो सर्वे किया गया है, वह सर्वे गलत है। मेरा निवेदन यह है कि नदी के किनारे-किनारे जो स्वाभाविक ढलान है नदी का, उसके किनारे अगर लगाया जाये, तो कहीं लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है और बहुत कम है, मैंने लिख कर दिया है, वह इतनी दूरी नहीं है, न 110 करोड़ रुपये का सवाल है।

**श्री अध्यक्ष** : आप यह बता दें कहां का सर्वे हो रहा है, आप बता दें। विद्या जी....

**श्री चम्पालाल बांठिया** : और अगर यह 110 करोड़ रुपये का भी हो, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह पैसा वर्ल्ड बैंक से मिल सकता है, सरकार की हिम्मत नहीं है। सरकार इस तरह से नहीं करें, सरकार तो लूटना चाहती है, यह तो व्यापारियों को डण्डा बता करके चुनाव के पहले चौथ वसूली करने का है और सब फैक्ट्रियों को इस तरह से तंग कर रहे हैं। यह उपाय सोच ही नहीं रहे हैं। मेरा आरोप है सरकार के ऊपर कि पारामाउण्ट कम्पनी ने यह जो कॉमन ट्रीटमेंटप्लांट पाली का बनाया, उससे यह मिले हुए हैं और उसी के आधार पर दूसरे ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। यह जो ट्रीटमेंट प्लांट बनायेंगे, वह सफल नहीं होगा। यह मेरी चेतावनी है इनको। और, इनका एक ही उपाय है अगर इस उद्योग को आप जिन्दा रखना चाहते हैं तो आप इस पक्के चैनल के लिए संकल्प बद्ध हैं, उस तरफ....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : यह रिपीट कर रहे हैं आप। माननीय मंत्रीजी ने कह दिया। माननीय विद्या जी।

**सुश्री पुष्पा जैन** : मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि जो कुछ माननीय मंत्री महोदय ने बताया, यदि उससे सहमत भी हो जायें, जो मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार इस राजस्थान के काश्तकारों और मजदूरों के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है ? उन्होंने क्या कसूर किया कि आज उनके कुएं बिल्कुल जहरीले हो गये हैं, उनके खेत पूरे के पूरे बर्बाद हो गये हैं, उनके प्रति यदि राज्य सरकार उत्तरदायी है तो राज्य सरकार ने अब तक कोई उपाय उनके लिए किया या नहीं किया और किया, तो क्या उपाय किये ? मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : विद्या जी।

**धारा 74 (1) के प्रकरणों के निपटाने हेतु न्यायिक व्यवस्था**

14. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार

(श्रीमती विद्या पाठक)

सहकारी समितियां, राजस्थान ने एक आदेश जारी करके ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर धारा 74 (1) के मामले दर्ज करने का कार्य ऑडिट शाखा से हटा कर कार्यवाही शाखा को हस्तानांतरित कर दिया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कार्यकारी शाखा के अधिकारी विभिन्न सहकारी संस्थाओं में मुख्य कार्यकारी तथा अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर जाते रहते हैं तथा उनके विरुद्ध राजफेड, उपभोक्ता संघ, हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल आदि अनेक संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्टों में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं तथा धारा 74 में अनेक मामले दर्ज हैं ? यदि हां, तो उसके बावजूद यह हस्तानांतरण क्यों नहीं किया गया ? उनके विरुद्ध शिकायतों का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार धारा 74 के मामलों की सुनवाई एवं शीघ्र निपटारे के सहकारी विभाग के स्वतन्त्र एवं पृथक् न्यायालय बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**सहकारिता मंत्री** (श्री रामसिंह विश्नोई) : (1) जी हां, सहकारी संस्थाओं के पिछड़े हुए ऑडिट कार्य में प्रगति लाने के उद्देश्य से यह तात्कालिक व्यवस्था की गई है । आदेश की प्रति परिशिष्ट–1 पर, सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) राजस्थान सहकारी सेवा के अधिकारियों का कार्यकारी एवं ऑडिट का कोई अलग संवर्ग नहीं होकर केवल एक ही संवर्ग है तथा इस संवर्ग के अधिकारी भी विभिन्न सहकारी संस्थाओं में मुख्य कार्यकारी तथा अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाते हैं । अधिकारीगण के विरुद्ध राजफेड, उपभोक्ता संघ एवं हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल्स की ऑडिट रिपोर्टों में आक्षेप लगाये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–2 पर, सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

उक्त मामलों में से दो मामले सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत दर्ज हैं, जिन पर अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ है। शीर्ष संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्टों पर आधारित मामलों में धारा 74 की कार्यवाही की शक्तियां मुख्य अंकेक्षक से यह अधिकार नहीं छीने गये हैं । केवल पिछड़े हुए ऑडिट कार्य को पूरा कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय अंकेक्षक अधिकारीगण एवं विशेष लेखा परीक्षकों के यहां विचाराधीन मामलों के निस्तारण हेतु सहायक/उप/संयुक्त पंजीयकों को हस्तांतरित कराये गये हैं । यह तात्कालिक व्यवस्था की गई है ।

(3) जी नहीं । धारा 74 के अन्तर्गत मामलों के निस्तारण की शक्तियां सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत जिला एवं खण्ड स्तर पर विभिन्न अधिकारीगण को राज्य सरकार ने प्रदत्त कर रखी है । जन सुविधा की दृष्टि से राज्य सरकार फिलहाल पृथक् से न्यायालय की शक्तियों के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

**श्री अध्यक्ष** : विद्या जी ।

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि आपको हो क्या गया है माननीय मंत्री महोदय? You were a better sensible person when you sat here. आप यहां बैठते थे तो ज्यादा तर्कसंगत बात करते थे। आपको मालूम है मंत्री महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : अब भी वैसे ही करते हैं। अब भी बात तो वैसी ही करते हैं। उनका नैचर ही ऐसा है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय मंत्री महोदय, आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि पिछड़े हुए ऑडिट कार्य में प्रगति लाने के लिए और उस को सफलतापूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की गई। माननीय मंत्रीजी, मगर स्थिति इससे बिल्कुल उल्टी है। यह बात तो आपको कह दी गई, मगर वास्तव में स्थिति यह है और आपको भी मालूम है कि आपके विभाग में कम से कम एक हजार करोड़ रुपया भ्रष्टाचार और गबन घोटालों में अटका हुआ है जिसमें से अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में तो हजारों और सैकड़ों में ही है मगर जहां तक बड़े अधिकारियों का सवाल है, करोड़ों रुपये के गबन उनके विरुद्ध है और यह उनको दबाने के लिए कभी चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट से ऑडिट करवाते हैं और कभी एक कमेटी बनाकर उस ऑडिट रिपोर्ट को स्क्रीन करके, कौनसी की दर्ज करवाई जावे रिपोर्ट, कौनसी की इन्क्वारी की जाय और कौनसी की नहीं, यह बार-बार फेरबदल कर रहे हैं। यह कानून के विरुद्ध भी है और भ्रष्टाचार को दबाने की साजिश है। अभी जिसकी बात आप कर रहे हैं आदेश की, आपने मुझे उसकी प्रति दी है और उसमें लिखा है— "....Rajasthan Co-operative societies Act, 1965 hereby direct that Audit Officers shall not henceforth exercise any powers of Section 74...." which used to vest in them earlier and the Act further orders, "....all the pending cases under the Section 74 with Regional Audit Officers shall be transferred to concerned Zonal Registrars." मतलब यह है कि अब आगे से कोई कार्यवाही जो भ्रष्टाचार के केसेज दर्ज करने की हुआ करती थी वह नहीं होगी। मगर इसके अतिरिक्त एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के सदस्य उन ऑडिट रिपोर्ट्स को स्क्रीन करेंगे जो भ्रष्टाचार के आरोपों को सबूत सहित इनके सामने करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी में कौन-कौन है? संस्था का एम. डी., डिप्टी चीफ ऑडिटर, जोइन्ट रजिस्ट्रार। इनमें कई बार ऐसा होता है कि जो ऑडिट सेक्शन में चीफ होते हैं वही आपके कार्यकारी विभाग के भी चीफ होते हैं और कई बार इससे उल्टा होता है। नतीजा यह होता है कि जो इस कमेटी में एम. डी. बैठता है वह अधिकारी कभी न कभी या तो सीनियर आई. ए. एस. रहा है या वहीं के सीनियर अधिकारी रहे हैं। वह कभी ऑडिट सेक्शन में चला जाता है, कभी कार्यकारी विभाग में आ जाता है और जो खुद इस संस्था में एक होगा तो वह अपने विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे और क्या होने देंगे? यह घोटाला इसके मार्फत हुआ, यह कमेटी कैसे इसको परमिट करेगी? पहले तो यह बताइये। फिर आप यह भी

(श्रीमती विद्या पाठक)

बताइये कि क्या 29-9-88, इसके लिए मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप 15-5-88 का भी सक्यूंलर देख लें जो आपके विभाग ने इश्यू किया है और साथ ही 24-5-88 तथा 13-7-88 के भी सक्यूंलर देख लें, उनके रेफरेन्स में आप इस आदेश को देखें तो सारी पिक्चर आपको स्वयं ही क्लियर हो जायेगी कि किस तरह सीनियर लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के केसेज को दबाने के लिए यह परिवर्तन किया गया है जिसके लिए मैंने आपको पत्र भी लिखा था। इस आदेश की कमेटी बनाने के विरुद्ध तत्कालीन चीफ ऑडिटर ने 21-9-88 को एक आपत्ति-पत्र भी आपको भेजा और यह कहा कि ऑडिट रिपोर्ट रिलीज होने के पहले तो आप कुछ भी कर लें, मगर उसके बाद कुछ भी करना, कोई परिवर्तन या जांच के बीच व्यवधान डालना नियमों के विरुद्ध होगा। ऐसा पत्र आपको लिखा है....

**श्री अध्यक्ष** : विद्याजी, बहुत लम्बा हो गया।

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार भी बड़ा लम्बा है, दबाने की साजिश भी बड़ी जोरदार है। एक प्रश्न तो मेरा यह है। मै माननीय मंत्री महोदय को दो उदाहरण देना चाहूंगी। आपके राजफेड के एम. डी. 81-82 की ऑडिट रिपोर्ट में पूर्व के चार्टेड अकाउण्टेण्ट श्री डी. आर, जैन ने कुछ खामियां निकाली जो पच्चीस लाख तक की थी, उसमें से सात लाख की तो पहले ही रिपोर्ट हो चुकी थी मगर इस घोटाले के समय के राजफेड के एम. डी. जो अब सीनियर स्केल आर.ए.एस. और जोइण्ट रजिस्ट्रार हैं आपके और इस कमेटी में शामिल भी हैं, वह बाकी अठारह लाख की जांच रिपोर्ट कैसे रिलीज होने देंगे और कैसे केसेज बनने देंगे, जो अभी तक नहीं किया ? 85-86 की राजफेड की रिपोर्ट जुलाई, 89 में सबमिट कर दी गई थी, वह रोक ली गई है क्योंकि जो आज चीफ ऑडिटर हैं तब वह वहां जनरल मैनेजर (फाइनेन्स) हुआ करते थे और इस तरह के कम से कम दसियों केसेज हैं। इस प्रकार मंत्री महोदय, आप इस कमेटी को सपोर्ट मत करो। आप इसकी पूर्व-स्थितियां हैं उससे बैटर बनाओ। जांच की कोई ऐसी ऑटोनोमस एजेन्सी बनाओ जो किसी के प्रभाव में आये बिना आपको रिपोर्ट दे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्री।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, चीफ ऑडिटर के अधिकारों पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है और बाकी जितने भी ऑडिट शाखा के अधिकारी हैं वह डेपुटेशन पर डिपार्टमेंट्स से आते-जाते रहते हैं। चूंकि काफी ज्यादा संस्थाओं की ऑडिट शेष थी, करीब दस हजार ऐसे मामले हैं जिन पर दो-तीन साल से ऑडिट नहीं हो रही थी, इसलिए उस पर अंकुश नहीं लगाया है केवल उसको जल्दी करने के लिए डिपार्टमेंट को दिया गया है। बाकी न तो उन पर अंकुश लगाया गया है और चीफ ऑडिटर के पॉवर्स पर कहीं पर भी अंकुश नहीं लगाया गया है, उसको पूरे अधिकार हैं। जिन संस्थाओं पर उन्होंने जो भी आरोप लगाये हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। आपको इस तरह कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनके अधिकारों को छीना गया है या और कहीं ट्रांसफर कर दिया गया है।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

यह सारे अधिकार को-आपरेटिव डिपार्टमें के अधिकारी हैं जो डेपुटेशन पर आते-जाते रहते हैं इसलिए वह ही ऑडिट करते हैं। ऑडिट भी वही करें और एक्शन भी वही लें, इसके ऊपर अंकुश लगाया गया है। एक आदमी को सारे अधिकार नहीं दिये जा सकते इसलिए ऑडिट करने के बाद कोई आरोप लगते हैं तो ये अधिकार को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर ही सक्षम अधिकारी को दिये गये हैं ताकि उसके ऊपर न्याय हो सके।

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय मंत्री महोदय, जिसके खिलाफ आरोप है वही इस कमेटी में केस स्क्रीन करेगा, यह किस न्याय की बात है और वह उस केस को रजिस्टर होने देगा ? यह न्याय है या अन्याय है ? आप किसी के अधिकार छीन कर सारे अधिकार ले लें मगर कम से कम यह भ्रष्टाचार के केसेज दबाने की व्यवस्था को रोकें, मेरा मतलब यही है।

**श्री डूंगरराम पंवार** : जिसके खिलाफ जांच हो, उसी से जांच कराओ। +++ वह क्या जांच करेंगे ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : एक सेकण्ड, पहले पुष्कर से आने वाले सदस्य।

**श्री रमजान खां** : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ महीनें पहले राज्य में सहकारिता अभियान चलाया गया था और उस सहकारिता अभियान के दौरान कई भ्रष्टाचार के मामले भी आये ऑडिट आक्षेप के मामले आये, क्या इन तमाम मामलों पर कार्यवाही इस शाखा से करवाने का विचार सरकार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरजीराम बुरड़क।

**श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो मौजूदा चीफ ऑडिटर हैं वह पहले क्रय-विक्रय संघ में जनरल मैनेजर (फाइनेन्स) थे और वह ही जाकर वहां चीफ ऑडिटर बनकर बैठ गये। उनके पास में क्रय-विक्रय संघ की ऑडिट रिपोर्ट साल भर से पड़ी है और उस रिपोर्ट में उन्हीं के खिलाफ आरोप हैं इसलिए न तो वह रिपोर्ट रिलीज होती है और न उस पर कोई कार्यवाही होती है। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को भी पत्र लिखा था....

**श्री रामसिंह विश्नोई** : यह विद्याजी को बता दीजिए आप।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : विद्याजी को तो बता दिया लेकिन आप तो बताओ। विद्याजी ने यह बताया है....

**श्रीमती विद्या पाठक** : मंत्री महोदय, मुश्किल तो यह आ रही है कि आप समझना नहीं चाहते हैं।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : जिस अधिकारी के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट में आरोप हैं, गबन के मामले हैं, उस पर धारा 74 की सिफारिश है, उसी को आप वहां मुखिया

---

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

बना देते हो, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? गबन-घोटालों को दबाने की और क्या बात हो सकती है ? मैंने पत्र लिखा, उस पर क्या किया आपने ? आपका पत्र आया कि पत्र मिला, दिखवा रहा हूं। अभी तक आपको दिखा नहीं ? अब यह सवाल आ गया जिसमें भी वह पाइंट आ गये। आप ऐसे अधिकारी से तो बचाओ जिसने पहले घोटाला किया, वही जाकर वहां सर्वे कर ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल करेगा। क्या वह अपने खिलाफ आरोपों को दर्ज करेगा और धारा 74 की कार्यवाही करेगा ? अभी आपने कह दिया कि उसके ऊपर धारा 74 की कार्यवाही करने की रोक नहीं लगाई है, रोक नहीं लगाई है तभी तो वह उसको दबाये बैठा है। अगर रोक लगानी थी तो उस पर लगाते आप। वह सारे अधिकार आप रजिस्ट्रार को दो या उसको हटाओ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय हरजीरामजी, बैठिये।

**श्री डूंगरराम पंवार** : सरकार की हिस्सेदारी बनती है क्या, कैसे दबा रहे हो ?

**श्री रामसिंह विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, वाकई में ही को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट के मामलों में काफी ऐसे मामले हैं जो संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं और शीर्ष संस्थाओं और अलग-अलग संस्थाओं में करोड़ों रुपये के ऑडिट आक्षेप लगाये गये हैं। हम भी चाहते हैं कि डिपार्टमेंट इन पर विचार करे सीरियसली कि कोई कमेटी बनाकर जितने भी ऐसे मामले हैं, उनके ऊपर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही हो।

**श्री अध्यक्ष** : इनको देखें इन चीजों को देखिये। चिन्ता का विषय है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : इस कमेटी के बनाने में और सत्यानाश कर दिया....

**श्री अध्यक्ष** : वे खुद मान रहे हैं कि चिन्ता का विषय है। श्री बिरदमल सिंघवी।

**श्री रमजान खां** : सहकारिता अभियान में जो कोई मामले आये, क्या उनकी भी जांच कार्यवाही इस शाखा से करवाने जा रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : उन्होंने कह दिया है, जवाब दे दिया है....

**श्री दिग्विजय सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं, तो उनको मना कौन कर रहा है ?

**श्री अध्यक्ष** : कर रहे हैं वह। श्री बिरदमल सिंघवी।

**श्री दिग्विजय सिंह** : चाहते हैं तो आप घोषणा कर दीजिये आज। आपको मना तो कोई कर ही नहीं रहा है।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : हजारों मामले हैं, कोई एक मामला नहीं है। दस हजार मामले हैं। दस हजार मामलों पर ऑडिट आगे होनी है। अध्यक्ष महोदय, ऑडिट होने के बाद संस्थाओं के साथ बैठकर उनसे वार्ता की जाती है, जो आक्षेप ऑडिट के द्वारा लगाये गये हैं उन पर फिर उनसे वार्ता

(श्री रामसिंह विश्नोई)

की जाती है कि किस प्रकार कैसे यह बात हुई, उसके बाद किसी के खिलाफ एक्शन लिये जाने की कार्यवाही की जाती है.... (व्यवधान)

**श्री हरजीराम बुरड़क** : चीफ ऑडिटर के बारे में आप क्या कह रहे हैं ?

**श्रीमती विद्या पाठक** : केस रोके जाते हैं, केस हश् अप किये जाते हैं, केस रिजेक्ट किये जाते हैं, बिना जांच के रिपोर्ट दी जाती है। आप कहेंगे तो तीन रिपोर्टें तो मैं ही दे दूंगी आपको जो बिना जांच के की गयीं।

**श्री दिग्विजय सिंह** : चीफ ऑडिटर के बारे में आपका क्या कहना है ?

**श्री हरजीराम बुरड़क** : चीफ ऑडिटर के बारे में आपके पास कहने को कुछ है क्या ?

**श्री रामसिंह विश्नोई** : चीफ ऑडिटर, अगर उसकी कार्यवाही ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : कार्यवाही तो की जायेगी लेकिन उनको उस जगह से हटाने की कार्यवाही करें जिससे वह कार्यवाही को रोक न सकें। अगर वह वहीं बैठे रहेंगे तो कार्यवाही क्या होगी ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या 15

## मुखर्जी कमेटी की सिफारिशें

15. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुखर्जी समिति ने राज्य में नगर निगमों की स्थापना बाबत कुछ सिफारिश की है ? यदि हां, तो किन-किन नगरों के लिए ?

(2) यह सिफारिश राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई ? राज्य सरकार ने इस पर क्या कोई विचार किया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब व क्या निर्णय लिया गया ?

(3) राज्य सरकार राज्य में कहां-कहां नगर निगम बनाने का इरादा रखती है व इसकी घोषणा कब तक कर दी जावेगी ?

**स्वायत्त शासन मंत्री** (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। मुखर्जी समिति ने जयपुर और जोधपुर में नगर निगमों की स्थापना का सुझाव अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में दिया है।

(2) मुखर्जी समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दिनांक 8-4-86 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार द्वारा इस पर विचार कर एक मन्त्री मण्डलीय उप समिति का गठन किया गया था। मंत्री मण्डलीय उप समिति ने दिनांक 31-7-88 को सन् 1981 की जनगणना के आधार पर 5 लाख से अधिक जिन शहरों की आबादी है, उन्हें नगर निगम का रूप दिये जाने का मत प्रकट किया।

(3) जिन शहरों की आबादी 5 लाख से अधिक है, वहां नगर निगम बनाये जाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया जा चुका है।

**श्री बिरदमल सिंघवी** : अध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश जारी करने की बात नगर

(श्री बिरदमल सिंघवी)

निगमों के विषयों में जो भी प्रश्न का उत्तर है वह बिल्कुल गुमराह करने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि 8-4-86 को यह अन्तरिम रिपोर्ट मिल गई उसके बाद लगभग 4 वर्ष हो गये, इन 4 वर्षों में भी नगर निगमों को नहीं बनाने का क्या कारण था ?

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि बार-बार आपने सदन में आश्वासन दिया था कि नगर निगम बनाये जायेंगे परन्तु कुछ भी नहीं किया। अब यह अध्यादेश की जो बात कही गई है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि अध्यादेश में आपने कोई अलग से अध्यादेश जारी नहीं किया केवल म्युनिसिपल एक्ट में जो आप अमेण्डिग एक्ट ला रहे हैं उसमें केवल एक लाइन जोड़ दी है कि पांच लाख से ऊपर वालों के लिए म्युनिसिपल कार्पोरेशन होगा तो क्या वह म्युनिसिपल कार्पोरेशन म्युनिसिपल एक्ट के नीचे काम करेगा क्या म्युनिसिपल कार्पोरेशन और म्युनिसिपैल्टीज का फंक्शन एक होगा ? आपके दिमाग में या तो स्पष्ट बात नहीं हैं, या तो सरकार जान बूझकर स्पष्ट बात कहना नहीं चाहती, छिपाना चाहती है। केवल घोषणा के आधार पर कि नगर निगम कायम कर रहे हैं, केवल घोषणा करना चाहती है परन्तु वास्तव में घोषणा करने की नीयत होती तो यह घोषणा न करके कार्पोरेशन के लिए, नगर निगम के लिए एक सेपरेट एक्ट लाती, जिसमें कार्पोरेशन्स के लिए अलग प्रावधान होते। हर जगह कार्पोरेशन्स के लिए अलग एक्ट्स है, यू. पी. में देखिये, कार्पोरेशन्स के लिए अलग एक्ट था, सब जगह अलग-अलग एक्ट्स होते हैं। तो मैं निवेदन कर, अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी नीयत वास्तव में नगर निगम बनाने की है तो आपको कार्पोरेशन एक्ट अलग बनाने में क्या बाधा है ? क्यों नहीं बनाते आप और अब तक क्यों नहीं बनाया ?

तीसरा, मैं पूछना चाहूंगा नगर निगम के विषय में कि आप उनको क्या-क्या अधिकार, पानी के स्वेज लाइन के, आर. एस. ई. बी. के, कौन-कौनसे देने का है ? क्या उप मन्डलीय समिति ने केवल इतना ही किया था कि कार्पोरेशन बना दिया जाये या आपने यह भी विचार किया है कि कार्पोरेशन्स को क्या-क्या अधिकार दिये जायेंगे ? इस विषय में भी आपने विचार किया होगा ?

अन्तिम प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि 5 लाख की आबादी 1981 में आपने तय की, 1991 में आ रहा है, दूसरे आपके आधार बन जायेंगे और आप फिर कह देंगे कि 1981 के आधार पर करेंगे 1981 के आधार पर आपने जो 5 लाख, तो क्या आप नगरपालिकाओं का चयन भी नहीं कर पाये ? आप कहां-कहां कार्पोरेशन्स बनाना चाहते हैं ? क्या आपने चयन कर लिया है ? 5 लाख की आबादी कहां-कहां से ज्यादा है ? कहां-कहां पर नगर निगम बनेंगे यह तो आपने जानकारी कर ली होगी कहां-कहां बनेंगे और ऐसा तो नहीं है कि आप नगर निगमों की आड़ लेकर यहां के चुनाव और खिसका दें और नगरपालिकाओं के चुनाव हों तब इनके लिए सरकार कह दें कि यह तो नगरपालिकाओं के हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री भंवरलालजी शर्मा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, यह बताइये कि कार्पोरेशन वाला आप कहते हैं कि हमने एक अध्यादेश निकाल दिया, सन्देह यह पैदा होता है कि नगरपालिकाओं का वर्गीकरण है ए. बी. सी. डी. करके और नगर निगम इसी का एक भाग होगा। वर्गीकरण किया है केवल आपने। यह जो कार्पोरेशन जैसा माननीय प्रश्नकर्त्ता ने कहा कार्पोरेशन अलग बनायेंगे या इसी को कार्पोरेशन मान लेंगे आप? अभी जो आपने जवाब दिया है इसमें केवल वर्गीकरण है। म्युनिसिपल एक्ट में वर्गीकरण कर दिया आपने पांच लाख से अधिक की जनसंख्या की जहां नगरपालिका होगी उसको नगरपालिका न कह करके केवल कार्पोरेशन कहेंगे आप, इतना ही मतलब है तब तो यह बहुत धोखे की बात है। इसको स्पष्ट करिये आप कि कार्पोरेशन एक्ट अलग बनाकर करेंगे, म्युनिसिपल एक्ट में तो बनेंगे नहीं म्युनिसिपल एक्ट में तो खाली वर्गीकरण है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिकुमार औदिच्य।

**श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंजमंडी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट और मंत्री मण्डलीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1981 की जनगणना के आधार पर जो पांच लाख की आबादी से बड़ी सिटी है वहां पर नगर निगम का सुझाव है। मेरा मानना यह है कि मूल प्रश्नकर्त्ता ने भी इस बात को उठाया है कि सन् 1991 आने वाला है आप दस वर्ष तक भी पांच लाख की आबादी को लेकर चलें, कोटा नगर जो आज 6-7 लाख की आबादी पर पहुंच गया है वहां पर पांच लाख के ऊपर तो राशन कार्ड के अन्दर सदस्यों की संख्या है और आप 81 की पांच लाख की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज 1990 में आबादी बन गई है उसके आधार पर आप विचार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री अध्यक्ष** : भारद्वाज जी।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़): मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह मुखर्जी कमेटी के 15 हजार की आबादी की नगरपालिकाओं को ग्राम पंचायत या नगर पंचायत बनाने का एक प्रस्ताव दिया है तो क्या माननीया मंत्री जी उन 15 हजार तक की नगरपालिकाओं को ग्राम पंचायत या नगर पंचायत बनाने का विचार रखती हैं और जैसा कि पंचायतों के पुर्नगठन के बारे में भी सोचा गया था कि दस हजार से बीस हजार तक की आबादी की पंचायतों को नगर पंचायत बना दिया जाये और ताकि उसमें सफाई, रोशनी आदि की बातों का विशेष ध्यान रखते हुए नगरपालिका के कुछ आवश्यक प्रावधान और कुछ ग्राम पंचायतों के आवश्यक प्रावधानों को मिला करके दस हजार से बीस हजार तक की आबादी की नगर पंचायत बना दी जाये और दस हजार से नीचे वाले को ग्राम पंचायत बना दिया जाये। तो क्या माननीया मंत्री जी इसको गम्भीरता से लेकर इसके बारे में कोई फैसला कर रही हैं? (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय,

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह आपने मिनिस्टर को सप्लीमैंट्री के लिए कैसे अलाऊ कर दिया ?

**श्री अध्यक्ष** : भाटी जी बैठिये आप ।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : यह ग्राम पंचायत के मंत्री का काम नहीं है। न तो वर्तमान का और न भूतपूर्व का था। यह नगरपालिका के स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन है, जरा दिमाग ठिकाने रखो।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मिनिस्टर नहीं हैं क्या आप ? क्या सन्तरी बना दिया है, क्या आपको निकाल दिया, क्या हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये। उजला जी।

**श्रीमती उजला अरोड़ा**(जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा तो क्या करेंगे, इनको करना नहीं था, इन्होंने किया नहीं, 86 की रिपोर्ट लेकर बैठे हैं। इनके मंत्री मण्डल की समिति जब बुलाई गई तो मंत्री गायब हो गये, यह क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे ? इनको तो यूं कहना चाहिए था हम असमर्थ हैं, हम नहीं कर सकते, हमें माफ करो।

**श्री अध्यक्ष** : मोदी जी।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि मुखर्जी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, मुखर्जी कमेटी में तो म्युनिसिपेलिटीज के अन्दर जो पंचायतों के कुछ गांव म्युनिसिपेलिटी में आ गये हैं उनका सरकार ने एक सरक्यूलर भी सारे एम. एल. एज. को दिया था, चिट्ठी लिखी थी और पंचायत और नगरपालिकाओं के अन्दर जो भेद-भाव है, पंचायत समितियों में जो भेद-भाव है वह सारा मिटाने का मुखर्जी कमेटी का तय हुआ था परन्तु सरकार ने वह सब कुछ ऐसे की ऐसे ही रख दिया।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 16

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि यह जो म्युनिसिपैलिटी है और उनके अन्दर पंचायतों की भी आबादी आलरेडी है उनको अलग, पंचायतों से अलग करके म्युनिसिपैलिटी में शामिल करेंगे जबकि म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव हों उसके पहले-पहले और जो पंचायतें, पंचायत समितियां एक दूसरी पंचायत समिति में मिली हुई है उनको अलग करेगी चुनावों के पहले-पहले ? क्या सरकार इस तरह का आश्वासन देगी और उसके सामने जिससे कि जनता की जो तकलीफें हैं वह दूर हो सकें।

**श्री अध्यक्ष** : कमला जी।

( 12.00 मध्याह्न )

**श्रीमती कमला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने दो प्रश्न पूछे हैं एक प्रश्न यह है कि जो संशोधन है इसके अनुसार तीन कैटेगिरी की नगरपालिकायें या लोकल सैल्फ युनिट्स होंगी जिसमें एक नगर निगम भी होगा। क्या इसी से आप जहां नगर निगम बनाने हैं, वह बना देंगे ? ऐसा नहीं है। यह तो कैटेगरीज उसके अन्दर डिफाइन की गई है। नगर निगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने अलग से इस मामले का पूरे तौर पर एग्जामिनेशन

(श्रीमती कमला)

करवाया है, उसका स्टेटमेंट तैयार करवाया है। एक पैटर्न है बॉम्बे का और पैटर्न है दिल्ली का। एक में जो डवलपमेंट ऑथोरिटी है वह अलग से है, दूसरे में डवलपमेंट आथॉरिटी भी निगम के अन्दर ही शामिल है। इसलिए हम इस बात को देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और उसको चर्चा में लिया हुआ है कि राजस्थान में जयपुर और जोधपुर, जो आज की स्थिति में और 1991 तक की स्थिति में भी बाद में कोई आयेंगे लेकिन अभी जो 1991 तक नहीं आ रहे हैं उनमें बनाने के लिए हम कौन से पैटर्न को अडॉप्ट करें। उसका डिसीजन होने के बाद नगर निगम की अलग से व्यवस्था की जायेगी। जहां तक पंचायतों में या नगरीय क्षेत्र में जो बाहर के देहाती गांव आ गये हैं उनको अलग निकालने का मामला है और नगर पंचायतें बनाने का मामला है वह भी सैक्शन 5 के अन्दर नगर पंचायतों के नाम से अलग से दिया हुआ है 10 हजार से कम और 20 हजार से अधिक जो नहीं हो, उनको नगर पंचातें बनाने का प्रावधान इसके अन्दर मौजूद है और जिनको मुखर्जी कमेटी ने पंचायतों के लिए रिकमण्ड किया था, उनके ऑबजेक्शन्स मांग गये थे उनके ऊपर भी चर्चा कर के विचार-विमर्श कर के कार्यवाही की जायेगी।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### करौली वन क्षेत्र में अनधिकृत खनन

**12. श्री शिवचरण सिंह** (करौली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली के वन क्षेत्र में कहां-कहां किस-किस के द्वारा अनधिकृत खनन किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अनधिकृत खनन् के लिए अब तक किस-किस पर कितनी-कितनी शास्ति कब-कब लगायी गयी ?

(3) किस-किस पर शास्ति की रकम बकाया है और उसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

### उत्तर

(1) करौली वन मण्डल के अधिनस्थ वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के विपरीत खनिज विभाग द्वारा जून, 1989 तक 134 खनन लीजें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जून, 89 तक 62 स्थलों पर अनधिकृत खनन के प्रकरण दर्ज किये गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अनधिकृत खनन के लिए वसूल किये गये मुआवजे परिशिष्ट "क" में दर्शा दिया गया है।

(3) अनधिकृत खनन् के लम्बित प्रक-

(२४)



(वन मंत्री)

रणों का विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शा दिया गया है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

**लोहराना (कुचामन) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.**

**14. श्री हरीश चन्द्र कुमावत** (नावां): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लोहराना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पंचायत समिति कुचामन जिला नागौर के व्यवस्थापक व अध्यक्ष दोनों एक ही परिवार के भाई हैं और दोनों के द्वारा उक्त समिति में अनियमिततायें किये जाने पर कई बार उच्चाधिकारीगण नागौर जिले की क्षेत्रीय समितियों के सदस्यों द्वारा शिकायत की गई जिस पर व्यवस्थापक को वहां से हटाये जाने का आदेश किया गया ? यदि हां, तो कब-कब कौनसी तारीखों में ? क्या उस पर अमल किया गया है ? यदि अमल नहीं किया गया तो उसके क्या कराण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति का अध्यक्ष तथा उन्हीं के ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते जिला सतर्कता समिति नागौर को दिनांक 30-8-1989 में उक्त व्यवस्थापक को हटाने के पारित प्रस्ताव पर उन्होंने स्वयं, जो व्यवस्थापक के भाई हैं, ने प्रस्ताव की क्रियान्विति को रुकवा रखा है ?

(3) यदि हां, तो अब कब तक उक्त व्यवस्थापक को हटाया जाकर उसके विरुद्ध शिकायतों में सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं, लोहराना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पंचायत समिति कुचामन् सिटी के व्यवस्थापक श्री जयराम व समिति के अध्यक्ष दोनों एक ही परिवार के भाई न होकर तीन चार पीढ़ी दूर के रिश्तेदार हैं । यह तथ्य प्राप्त शिकायतों की नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. द्वारा कराई गई जांच दिनांक 8-2-89 में सामने आया । जांच में अनियमितताऐं नहीं पाई गई, किन्तु व्यवस्थापक श्री जयराम का उक्त समिति क्षेत्र में गृह निवास होने के आधार पर स्थानांतरण दिनांक 7-4-89 को कांकरिया इंदोखा ग्राम सेवा सहकारी समिति में किया जा चुका है जहां दिनांक 9-5-89 को उनके द्वारा उपस्थिति भी दे दी गई है ।

(2) जी नहीं । स्थानान्तरण आदेश की क्रियान्विति हो चुकी है ,

(3) भाग एक व दो में अंकित विवरण के अनुसार अब कोई कार्यवाही करना शेष नहीं है।

**मालवीय नगर जयपुर में आम रास्ते पर सड़क निर्माण**

**15. श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मालवीय नगर, जयपुर में भू-खण्ड संख्या–538 व बाग के बीच का छोटा रास्ता राजस्थान

(श्री कालीचरण सराफ)

आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा निर्मित सैक्टर नं. 4 को जोड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह छोटा-सा टुकड़ा कच्चा है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाई होती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसे पक्का करने सम्बन्धी स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो अभी तक पक्का क्यों नहीं किया गया है ? अब सरकार इस छोटे से टुकड़े को कब तक डामरीकरण कर पक्का कराने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) इन भू-खण्डों को अन्य मार्ग होने की वजह से आवागमन में कोई कठिनाई नहीं है।

(3) जी, नहीं।

**भीलवाड़ा नगरपालिका की क्रमोन्नति**

16. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिकाओं को क्रमोन्नत कर नगर परिषद् बनाने के क्या मानदण्ड हैं ? गत 5 वर्षों में कितनी नगरपालिकाओं को क्रमोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका भीलवाड़ा को कब नगर परिषद् बनाया गया ? उस समय उसकी आबादी क्या थी ? क्या किन्हीं गांवों को उसमें सम्मिलित किया गया था ? कुल कितने गांव थे और उनकी भीलवाड़ा से दूरी कितनी थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बालोतरा की वर्तमान नगरपालिका को जिसकी आबादी, जसोल गांव जो जुड़ा हुआ है, को मिलाकर एवं उसकी आय एवं बढ़ते हुए उद्योग को ध्यान में रखकर नगरपरिषद् बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) नगरपालिकाओं को नगर परिषद् में क्रमोन्नत करने के लिए 50 हजार या उससे अधिक जनसंख्या का माप दण्ड रखा गया है। गत 5 वर्षों में किसी नगरपालिका को क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

(2) नगरपालिका भीलवाड़ा को 8-1-1970 को नगरपरिषद्, भीलवाड़ा बनाया गया। उस समय वर्ष 1961 की जनगणना के आधार पर इसकी आबादी 43499 थी। इसमें, राजस्व ग्राम पुरि एवं राजस्व ग्राम सांगानेर को सम्मिलित किया गया था। इससे वहां की जनसंख्या 50 हजार से अधिक हो गई थी। कुल गांव एवं दूरी की सूची सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। आम चुनाव एवं जनगणना वर्ष 1991 के कार्यों के कारण सीमा वृद्धि एवं क्रमोन्नत करना वर्तमान में सम्भव नहीं है। वर्ष 1991 की जनगणना के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

पश्चात् ही इस पर विचार करना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (स्थगित)

**जयपुर नगर की मालवीय नगर योजना की सड़कों की मरम्मत**

18. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर की मालवीय नगर योजना की सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिससे आवागमन में काफी असुविधा होती है ?

(2) यदि हां, तो सरकार कब तक मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) प्राधिकरण की योजना क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं जिनकी अन्तिम तिथि 30-1-90 है। निविदाओं की स्वीकृति के बाद कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जावेगा। आवासन मंडल के योजना क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**मालवीय नगर, जयपुर में उद्यान का निर्माण**

19. **श्री गणेशलाल बैरागी** (हिण्डोली): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर स्थित मालवीय नगर योजना के सैक्टर नं. 9 व नाले के मध्य निर्माणाधीन उद्यान का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्यों एवं कब तक इसके निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जायेगा ? उद्यान का प्लान ब्लू प्रिन्ट सहित सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) सैक्टर नं. 9 के शेष 96 मकानों के निर्माण की कार्यवाही चल रही है, इसके निर्माण के पश्चात् ही उद्यान का निर्माण सम्भव होगा। उद्यान का ब्लू प्रिंट परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ब्लू प्रिंट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री सम्पतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय सेवा में भर्ती/पदोन्नति के लिए आरक्षण नीति के विरुद्ध प्रान्त में चल रहे छात्रों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से लोक सभा आम चुनावों में राज्य की जनता द्वारा कांग्रेस पार्टी के विरूद्ध मताधिकार का प्रयोग करने के उपरान्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं जैसी अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चुनाव आयोग के प्रतिबन्ध के बावजूद गैर कानूनी तरीकों से स्थानांतरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री हंसराज मिढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से खालों की कीमतें माफ करने एवं सिंचाई विभाग, सी. ए. डी. विभाग द्वारा रकम की जानकारी नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से टीबी विधान सभा क्षेत्र की चाहिया से टीबी ग्राम पन्नीवाला तथा टीबी से ग्राम सालीवाला तक की सड़क टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से अविलम्ब जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, इस पर आज चर्चा होनी चाहिए, आज ही सरकार की ओर से उत्तर आना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : पहले सुनिये, पहले बैठिये। मैं व्यवस्था दे दूं।

(6) श्री जगतसिंह दायमा, श्री जगमाल सिंह यादव, श्री नवरंग सिंह एवं श्री हरजी राम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रान्त में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं फिर भी राज्य सरकार इस सम्बन्ध में दिनांक 30 दिसम्बर, 1989 को वक्तव्य देगी।

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह लोक महत्व का नहीं है तो क्या स्थानांतरण का है जो लोक महत्व का है?....

**श्री अध्यक्ष** : भाटी जी सुनिये।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हम गलत बात नहीं सुनेंगे क्योंकि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : (7) श्री शिवचरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से करोली भूतपूर्व रिसायत को जिला नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) सुश्री पुष्पा जैन, और श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 1989 (द्वितीय चरण) के पेपर लीक हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

जिलों के गठन के सम्बन्ध में कल चर्चा हो चुकी है तथा लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि निश्चित कर दी गई है इसलिए उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

**प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव**

(1) श्री मुक्तिलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरसर तहसील, शाहपुरा जिला जयपुर को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 14 सितम्बर, 1989 को कोटा नगर में हुए साम्प्रदायिक दंगों से जनता में भय व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के अभियाना गांव के चेतनराम मेघवाल एवं उसके परिवार को तस्करों द्वारा मार दिये जाने की धमकी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र की शालाओं में विषय अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में में काबिज काश्त कृषि भूमि का कृषकों को खातेदारी का हक दिलाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री प्रभूलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के मेहन्दीपुर बालाजी मंदिर की आय का वहां के महन्त द्वारा दुरुपयोग करने के सम्बन्धमें।

(7) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्या, विधान सभा की ओर से कृषि भूमि पर बने मकानों के नियमन की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि कोई भी अल्प मत की राज्य सरकार, जहां पर तुरन्त ही चुनाव होने वाले हैं, वहां पर किसी प्रकार के स्थानांतरण और अन्य निर्णय लेकर पॉलिसीज को लागू करने की, लोगों को भुलावा देने की जो कोशिश कर रहे हैं वह बिल्कुल बन्द की जाये। उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय, और आपने व्यवस्था दी है कि उस पर राज्य सरकार से उत्तर मंगवाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप आज ही उत्तर दिलवायें, हम जवाब चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, उन आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखवाइये। अध्यक्षजी, आपने कल व्यवस्था दे दी थी और मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मैं सब कल सदन की मेज पर रख दूंगा। उन सब घोषणाओं की हमें प्रतियां चाहिए तब ही विधान सभा की कार्यवाही आगे चलेगी। विधान सभा का मखौल उड़ाते हैं। अखबारों में इनकी विज्ञप्तियां आ रही हैं। आपने अखबार पढ़े होंगे।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, यह जनता जवाब चाहती है कि + + + इस बात का जवाब चाहिए, जनता जवाब चाहती है। कैसे उन्होंने कानून के विरुद्ध उनकी अजमेर में नियुक्ति की है?

**श्री यदुनाथ सिंह** : अध्यक्षजी, प्रतियां सदन की मेज पर रखवाइये। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : + + +

**श्री पंकज पंचोली** (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, यह जबरदस्ती शब्द का प्रयोग किया है, इसको एक्सपंज करवाइये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय भाटीजी आप बैठिये। माननीय भैरोंसिंहजी साहब।

**श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा प्रदेश कांग्रेस के कराये हुए दंगों से, साम्प्रदायिक दंगों से ग्रस्त है....

**श्री शिवचरण सिंह** (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, करौली को जिला घोषित करवाइये। अगर करौली को जिला घोषित नहीं किया तो....

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये आप भाटीजी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मैं तो विराज जाऊंगा लेकिन माननीय मुख्यमंत्रीजी ने जो कानून के विरुद्ध एक महिला की....

**श्री नवरंग सिंह** : जयपुर जैसे शहर में जान माल की रक्षा खतरे में पड़ी हुई है, गुलाबी नगर, जो कि एक साम्प्रदायिक सद्भाव का नगर था, वहां साम्प्रदायिक दंगे हुए। इन सारे कामों के लिए सरकार, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। इसलिए मैं मांग करता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच कराइये और सरकार का जवाब दिलवाया जाये और ऐसी सरकार को त्याग-पत्र देना चाहिये जो इस प्रदेश में साम्प्रदायिकता भड़काने का काम करती है। गुलाबी नगर, जिसमें आजादी के समय में भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए थे, उसमें दंगे कराये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में साम्प्रदायिक दंगे हों, लोगों की जान-माल चली जाय, लोगों की गाड़ियां जला दी जाय....

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, यह जो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं उनको एक-एक मिठाई की गोली दे दी जाय जिससे शांत हो जाएं।

**श्री नवरंग सिंह** : इस सरकार ने लोगों के साथ अमाननीय व्यवहार किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों पर सरकार जवाब दें। जयपुर जैसे शांतिप्रिय नगर में, गुलाबी नगर में, जो हिन्दुस्तान का ही नहीं, दुनियां का प्रसिद्ध नगर है, सरकार की मिलीभगत के कारण, प्रशासन की लापरवाही के कारण जिस तरह से दंगे हुए हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर वक्तव्य दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : मोदी जी।

**श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : मैं यह पूछना चाहती हूं कि मंत्री के शब्दों की,

---

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती विद्या पाठक)

इस हाउस में कमिटमेंट की गई कीमत रहने देंगे ? कल मंत्री ने कहा कि मैं 24 घण्टे में कोबाल्ट मशीन वाले मामले पर जवाब दूंगी । आप सदन का मान रखिये।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कल सबकी जानकारी चाही है।

**सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आज कैंसर के जितने मरीज हैं उनके इलाज के लिए जयपुर में कोई मशीन नहीं है। उनको उदयपुर, बीकानेर जाना पड़ता है। आप इसकी गम्भीरता को समझिए।

**श्री अध्यक्ष** : पुष्पाजी। विद्याजी। मैंने कल जानकारी चाही है....(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, आपने कल आश्वासन दिया था, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि हम 24 घण्टे के अन्दर इस कोबाल्ट थेरेपी मशीन के बारे में हर हालत में जवाब देंगे। आपके माध्यम से आश्वासन यहां पर दिया गया था....(व्यवधान)

**श्री शिवचरण सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 लाख का घोटाला है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : यह सरकार कैंसर के मरीजों को बिना इलाज के मारना चाहती है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : इस हाउस के अन्दर आश्वासन दिया था। इसके अन्दर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है इसके अन्दर लाखों रुपये की गड़बड़ हुई है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आप हमारे हितों की रक्षा करें। (व्यवधान)

**श्रीमती विद्या पाठक** : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे मंत्री बना दिया जाये तो मैं तीन दिन में नई मशीन लगवा दूंगी। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला** (स्वायत शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कह रही हूं।

**श्री अध्यक्ष** : उजलाजी, सरकार की की तरफ से कोई चीज आ रही है....

**श्री यदुनाथ सिंह** : हमें जवाब नहीं विज्ञप्ति चाहिए।

**श्रीमती कमला** : माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया ने 24 घण्टे में जवाब देने के लिए कहा था तो वह माननीय मंत्री महोदय, जब भी अध्यक्ष महोदय आदेश देंगे, जवाब दे देंगी। यह मेरा निवेदन है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी थी फिर कैसे घोषणा की, अखबारों में कैसे निकली ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं इसमे समय दूंगा।

**श्री यदुनाथ सिंह** : पहले मंगवाइये, कार्यवाही नहीं चलेगी। मजाक बना रखा है आपने....

**श्री अध्यक्ष** : मैं बिजनेस को चाहना चाहता हूं।

**श्रीमती कमला** : मैं इसके लिए सदन के सामने खेद प्रकट करती हूं उनको तुरन्त ही सदन के सामने जवाब देना चाहिए था लेकिन वह नहीं दे पायीं। अब आप जब कहेंगे जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : सुनिये, दो बिल हैं। विक्रयकर (संशोधन) विधेयक....

**श्री यदुनाथ सिंह** : यह भाड़ में गया विक्रय कर। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं समय बतला रहा हूं, जरा सुन लें।

**श्रीमती विद्या पाठक** : किसका समय बता रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष** : आज दो बिल हैं—विक्रय कर संशोधन विधेयक और दूसरा है....

**एक माननीय सदस्य** : हमें बिल नहीं चाहिए....(व्यवधान)

**श्री यदुनाथ सिंह** :+ + + हमें बिल से मतलब नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : नोट नहीं करेंगे। मेरी बात नहीं सुनेंगे। जब मैं समय बतला रहा हूं....(व्यवधान)

**श्री यदुनाथ सिंह** : × × ×

**श्री देवीसिंह भाटी** : × × ×

**श्रीमती विद्या पाठक** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : जो आज स्थगन प्रस्ताव हैं उनकी मैंने कल सूचना मांगी है। मशीन का सवाल है उसके लिए विधायी कार्य में पहला बिल होने के बाद, विक्रय कर वाला पास होने के बाद वह उनका जवाब देंगी।

**श्रीमती कमला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणाओं या निर्णयों के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी का यहां पर जो स्टेटमेंट दिया जाना है, उसका समय आपने निर्धारित किया होगा, वह आप माननीय सदन को बता दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : मैं मुख्य मंत्रीजी के स्टेटमेंट के लिए कल का समय देता हूं, कल 5 बजे... (व्यवधान) एक मिनट, मेरी सुन लीजिए। सुनिये।

**श्री नवनीत लाल नीनामा** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : यह नोट नहीं किया जा रहा है। नोट नहीं हो रहा है। पहले मेरी सुनिये तब होगा। पहले मेरी सुनेंगे।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** : × × ×

**श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल** : × × ×

**श्री जगत सिंह दायमा** : × × ×

**श्री मानिकचन्द सुराना** : × × ×

**श्री बिरदमल सिंघवी** : × × ×

**श्री शिवचरण सिंह** : × × ×

**श्री देवीसिंह भाटी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री देवीसिंह भाटी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : भाटीजी, लिखा नहीं जायेगा आपका, मैंने कह दिया। पहले मेरी सुनिये। मेरी सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे सुनूंगा आपकी।

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री देवीसिंह भाटी** : × × ×

**श्री डूंगरराम पंवार** : × × ×

**श्री सम्पत सिंह** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में जिस तरह से तय हुआ था उसमें यह था.... (व्यवधान)

**श्री यदुनाथ सिंह** : × × ×

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष): बी. ए. सी. की मिटिंग में तय नहीं हुआ था। मैं निरन्तर आग्रह कर रहा था कि वह आदेश सदन की मेज पर रखे जायं। मुख्य मंत्रीजी चाहते थे। मैंने आपके सामने कहा कि सारा सदन इस बात के लिए उद्वेलित है कि वह आदेश यहां सदन की मेज पर रखकर मैम्बर्स को उपलब्ध कराये जायं और उन पर चर्चा की जाय। इसलिए बी. ए. सी. का नाम नहीं लें आप।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं मेरी अर्ज सुनिये। (व्यवधान) स्टेटमेंट यह हुआ था। आदेशों का है, यह तो अखबार में आ चुके हैं। स्टेटमेंट का ही सवाल था, कि आर. एस. ई. बी का कल संकल्प होगा उस संकल्प के बाद उनका स्टेटमेंट होगा।

**श्री यदुनाथ सिंह** : × × ×

**श्री देवीसिंह भाटी** : × × ×

**श्री नवरंग सिंह** : × × ×

**श्री नत्थीसिंह** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : भैरोंसिंहजी ने यह जरूर कहा था कि उनकी प्रति रखो। यह तो पेपर में भी निकल चुकी है....(व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल यह कहा था सदन के सामने कि स्टेटमेंट देने से पहले जो भी आदेशों की प्रति रखना अपेक्षित होगा वह जरूर रखी जायेगी। वह बात आज भी स्टेण्ड करती है। उसमें कोई बदली नहीं है, स्टेटमेंट देने से पहले जरूर रखेंगे। बी. ए. सी. की मीटिंग में यह तय हुआ है कि कल स्टेटमेंट देंगे। भैरोंसिंहजी थे उसमें। (व्यवधान)

**श्री मानिकचन्द सुराना** : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : बी. ए. सी. की रिपोर्ट आ जाय, वह रख दीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : काहे के लिए ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आप कह रहे हैं न कि तय हुआ है रिपोर्ट में।

**श्री अध्यक्ष** : यह।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : तो रख दें।

**श्री अध्यक्ष** : लेकिन यह थोड़े ही उसमें लिखा हुआ है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : यही हम कह रहे हैं कि उसमें नहीं है।

---

× × × माननीय अध्यक्ष की आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : बी. ए. सी. की मीटिंग में बिजनस तय होता है कि कौन कौन-सी बिजनस ट्रांजेक्ट करेंगे।

**श्री देवीसिंह भाटी** × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, आर्डर।

**श्री हीरालाल देवपुरा** (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो भी घोषणाएं राज्य सरकार ने इन दिनों में की हैं, उनके बारे में कल भी इस सदन में काफी चर्चा हुई थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि वे इस पर स्टेटमेंट स्वयं देना चाहते हैं....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : तो दिलवाइये फिर।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आप बैठिये न।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आप धोखा नहीं दे सकते जनता को। आदेशों की प्रतियां रखनी पड़ेगी।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आपके गुस्सा होने से कोई मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं तो आप से जो बात कह रहा हूं, वह साफ है। स्टेटमेंट देने के लिए कहा था कल बी.ए.सी. की मीटिंग में। विपक्ष के माननीय सदस्य भी उसमें थे, कि 30 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे उस पर भी और सम्प्रदायिकता की घटनाएं, दंगे हुए, उस पर भी स्टेटमेंट देंगे। यह कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, कल सदन में जिस प्रकार का आग्रह किया गया था....

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : आई एम ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। नोट करेंगे।....(व्यवधान) हो रहा था, उनका भी हो रहा था। हल्ला हो रहा था वह नहीं हो रहा था।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : अध्यक्षजी, मैं व्यवस्था का प्रश्न इस मुद्दे का उठा रहा हूं कि जब सदन को सरकार के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कार्य सलाहकार समिति मैं, कि घोषणाओं की प्रति वह सदन की मेज पर रखेंगे....(व्यवधान)

**श्री हीरालाल देवपुरा** : यह बात नहीं थी। यह नहीं कही थी, स्टेटमेंट देने की बात थी, स्टेटमेंट देने की बात कही गई थी....

**श्री मानिक चन्द सुराना** : कार्य सलाहकार समिति में यह आश्वासन दिया गया....

**श्री अध्यक्ष** : आपको मालूम नहीं है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : सदन में भी दिया गया....

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (गृह मंत्री) : नहीं ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ। आप थे नहीं....

**श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : यह नहीं दिया गया था, बी. ए. सी. के अन्दर नहीं दिया गया था....

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(34)



**श्री अध्यक्ष** : ऐसा नहीं हुआ है।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : सदन में कहा है ?

**श्री अध्यक्ष** : नहीं कहा है।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : नियमों के अनुसार अगर आवश्यकता हुई तो रखेंगे, ऐसा कहा यहां हाउस में।

**श्री सी. पी. जोशी** : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि नियमानुसार जरूरत होगी तो रखेंगे। यह बात नहीं की उन्होंने, यह श्री भैरोंसिहजी शेखावत साहब ने मांग की थी, मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं कहा था। यह गलत बात मत कीजिये।

**श्री महेन्द्र शास्त्री** (मण्डावर) : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं कहा था कि हम सदन के पटल पर रखेंगे....

**श्री सी. पी. जोशी** : ऐसा नहीं कहा।

**श्री महेन्द्र शास्त्री** : उनमें यह प्रोविजो लगाने की कोशिश की थी कि अगर आवश्यकता नहीं तो नहीं रखेंगे। लेकिन जो आप नियमानुसार मानते हैं वह रखें।

**श्री सी. पी. जोशी** : वह कल रख देंगे।

**श्री महेन्द्र शास्त्री** : नियमानुसार कौन सी है वह तो रखें.. नहीं, नहीं जब तक सदन के पटल पर नहीं आती है तब तक काम नहीं चलेगा।

**श्री सी. पी. जोशी** : नहीं, यह नहीं कहा था उन्होंने। कल माननीय विपक्ष के के नेता महोदय ने यह कहा था कि सदन में रखी जायं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही थी कि नियमानुसार जरूरत होगी तो वह मैं रखूंगा। कल स्टेटमेंट देंगे, कल रख देंगे। आपको क्या तकलीफ है ? यह बात हुई थी। कल माननीय विपक्ष के नेता ने जो बात कही थी वह रिकार्ड के अन्दर है और कल मुख्य मंत्रीजी ने कहा है वह भी रिकार्ड के अन्दर है। वह निकाल कर दिखवायें कि रिकार्ड में क्या लिखा हुआ है ? माननीय अध्यक्ष महोदय रिकार्ड मंगवा कर दिखवा लीजिये कि क्या लिख रखा है। कल जो कहा है वह हाउस के रिकार्ड में लिखा हुआ है—विपक्ष के नेता ने क्या कहा और मुख्य मंत्रीजी ने क्या कहा, सामने बात आ जायेगी।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, उसके बीच में ठीक है आपने इन्टरविन किया....

**श्री सी. पी. जोशी** : जो प्रति आपके पास थी उसको हमने ले ली, आपको क्या एतराज है ? आपके खिलाफ जो प्रति थी उसको हमने ले ली तो आपको क्या एतराज है, इसलिए आप + + + कर रहे हैं ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : आप ले भी लेते हो और जबरदस्ती भी करते हो। व्यवधान)

**श्री मानिकचन्द सुराना** : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने यह कहा कि मुख्य मंत्री का वक्तव्य कल होगा।

---

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : कल होगा ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : बी. ए. सी. में भी इस बात को कल उठाया गया तो भी यह कह दिया गया कि कल होगा ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : ना, ना, कल नहीं, तीस तारीख को ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : कल का मतलब कल होगा ।

**श्री अध्यक्ष** : 30 तारीख को ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि आप सदन में बयान कल देंगे और राजस्थान की जनता की जानकारी के लिए राजस्थान पत्रिका और दूसरे अखबारों में आप उन्हीं विज्ञप्तियों की घोषणाएं आज करेंगे । विधान सभा चल रही है । विधान सभा में वह बात कहने से आप गुरेज कर रहे हैं, अखबारों में आप प्रकाशित कर रहे हैं । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या यह हमारे विशेषाधिकारों का हनन नहीं हैं... एक मिनट ।

**श्री अध्यक्ष** : सुरानाजी, वक्तव्य होगा तब आपको बोलने की इजाजत होगी ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : नहीं उस वक्त तो आप इजाजत देंगे ही । मैं आपका ध्यान दूसरी बातों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बात का ही ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है कि सदन में सिर्फ यह कहा गया कि 30 तारीख को वक्तव्य देंगे और आज 29 तारीख को आपने विज्ञप्तियां प्रकाशित करवा दीं, यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इस बात का भी है कि इस सदन को आहूत तारीख 12 दिसम्बर को राज्यपाल महोदय ने कर लिया था....

**श्री अध्यक्ष** : आज इसका प्रश्न नहीं है जो आप उठा रहे हैं । कल आप इसको उठा सकते हैं ।

**श्री यदुनाथसिंह** : आज ही उठायेंगे ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, आज अखबारों में कोई विज्ञप्तियां प्रकाशित नहीं की गई हैं । जो भी घोषणाएं मुख्य मंत्रीजी ने की थीं उसके सम्बन्ध में कल भी कहा था कि वह बिल्कुल खुली किताब है, सब अखबारों में घोषणा की गई है और वह ओपन टू आल है, कोई छिपी हुई बात नहीं है इसलिए सदन से छिपाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और सदन के चालू होने के बाद नयी कोई भी घोषणा नहीं की गई है ।

यह विज्ञप्ति पहले की है जनाब, आज की नहीं है अखबारों में आ चुकी है ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार जनता का मैन्डेट खो चुकी है....

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : नहीं खो चुकी है । (व्यवधान)

**श्री मानिकचन्द सुराना** : उस सरकार को जो अपनी 25 सीटों में से 25 सीटें खो चुकी है, जो 200 असेम्बली सेगमेंट्रल की सिर्फ 20 सीटों पर अपनी प्रतिष्ठा बचा पायी है, सीटें जो हार चुकी है....

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा चुनावों का निर्णय विधान सभा

(80)



(श्री हीरालाल देवपुरा)

के चुनाव जो होते हैं, विधान सभा के चुनावों के निर्णय बिलकुल दूसरे मुद्दों पर होते हैं, लोकसभा के चुनाव बिलकुल दूसरे मुद्दे पर होते हैं। विधान सभा के लिए इस सरकार ने 5 साल का वर्डिक्ट लिया हुआ है और जब तक 5 साल पूरे नहीं होते हैं कोई यह नहीं कह सकता कि सरकार अवैधानिक है यह सरकार पूर्णतया वैधानिक है।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : देवपुरा साहब, आसन ग्रहण करें। मेरा निवेदन यह है, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर रहा हूं....

**श्री अध्यक्ष** : कार्यवाही चलाते हैं, मैंने सुन लिया है जो आप कह रहे हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : जो सरकार मैण्डेट खो चुकी है....

**श्री अध्यक्ष** : अब इसका कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल देवपुरा** : दो महीने का इन्तजार क्यों नहीं करते हैं, कर लीजिये इन्तजार। जनता फिर फैसला करेगी कि आप कहां बैठेंगे और हम कहां बैठेंगे, मालूम हो जायेगा। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : माननीय देवपुरा साहब, 5 साल तक आप कहां गये थे? यह घोषणाएं तब आपने क्यों नहीं कीं जब जनता ने मांग की थी। अब चुनाव सामने देख कर आपकी हवा खिसक रही है। (व्यवधान)

**श्री मानिकचन्द सुराना** : इस सरकार के सामने, जिसने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की उनका औचित्य इस बात था कि वह विधान सभा शुरू होने के पहले अपारच्युनिटी में यू सब घोषणाओं की प्रतियां और जो घोषणाएं की हैं इनका आर्थिक इम्प्लिकेशन्स क्या हैं उसकी इस सदन को जानकारी देती। यह हरिदेवजी जोशी का कोई फैमिली फीफडम नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि 10 हजार की जगह 15 हजार का कर्जा माफ है और जब अखबार वालों ने पूछा तो कह दिया कि मैंने इसका आंकड़ा नहीं मिलाया है। जब आपने आंकड़ा नहीं मिलाया, आपको यह पता नहीं कि कितने करोड़ का बर्डन पड़ेगा। 15 हजार तक की कर्जा माफी से। आपको सिर्फ यह पता है कि आप जा रहे हैं आने वाला भुगतेगा, आने वाला रोये.... (व्यवधान) आपने जो भी घोषणा की हैं वह गैर जिम्मेदाराना घोषणाएं की है सस्ती वाह वाही के लिए लोक सभा चुनावों....

(12.37 अपराह्न)

**(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

में जनता ने आप में अविश्वास प्रकट किया है उसकी झेंप नहीं मिटा सकते हैं इसलिए... (व्यवधान) सारी विज्ञप्तियां यहां पर रखें और आपके मुख्य मंत्री से कहें कि वह आज ही वक्तव्य दें और इस सदन में पूरी चर्चा हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य बैठें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय देवपुरा साहब ने एक बात

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कही कि लोक सभा चुनावों का विधान सभा चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं होता हैं, इश्यूज अलग-अलग होते हैं। मैं समझता हूं कि वह बहुत जल्दी भूल गये कि 1980 में लोक सभा के चुनाव जब हुये थे हम 8 सीटों पर जीते और 8 सीटों पर जीतने के बाद भी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमारी सरकार को अपदस्थ किया तो आप यह तो कह कर, अगर आप इन्दिरा जी की बात····

**श्री हीरालाल देवपुरा** : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि 1980 से पहले 1977 में चुनाव हुए थे और उस वक्त लोक सभा में आप जीते थे और यह आपने ही किया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नहीं किया (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मुझे ऐसा लगता है कि देवपुरा जी को याद नहीं रहा। 1977 में जिस विधान सभा को भंग किया था उस का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था और आपने एक साल की इमरजेंसी के दिनों में उसकी अवधि बढ़ायी थी उसको खत्म किया था।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : वह कान्स्टीट्यूशनल प्रोविजन था इसलिए भंग नहीं कर सकते, उसको बढ़ाया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, सब को याद है। हम लोग सब जेल में पड़े थे। मैं भी उस समय राज्य-सभा का सदस्य था और 19 महीने की जेल के अन्दर हम सब लोग थे। सारा विपक्ष जेल में था। उस समय आपने संविधान में संशोधन करके लोक-सभा और विधान सभाओं के कार्यकाल में एक-एक वर्ष की अवधि बढ़ायी थी। जनता दल की सरकार आयी तो उसने विधान सभाओं को भंग नहीं किया। यह आपको गलत ध्यान है। एक वर्ष की अवधि जो बढ़ायी थी उस अवधि को समाप्त किया था और उसके कारण से यह नहीं कह सकते कि विधान सभायें भंग की थीं।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : नेता महोदय, बाद में किया था समाप्त। आप इसको देख लीजिए। क्योंकि चुनाव होते ही सबसे पहले कान्स्टीट्यूशनल अमेण्डमेंट वही हुआ था और कांटीट्यूशनल अमेण्डमेंट बाद में किया था, पहले नहीं हुआ था।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मेरी सुन लीजिए। (व्यवधान) आप पंचौली साहब, नये चीफ व्हीप हुए हैं तो ठीक है। आपका लीडर बोल रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए। आपके सहारे की उनको जरूरत नहीं है। नहीं, किताब तो इनको भी दिखाइये। आप किताब लेकर हमको दिखाते रहते हो। इस किताब को पढ़ी तो है न? किताब की जिल्द पढ़ने से ही ज्ञान नहीं होता है। मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि 1980 के चुनाव जिस समय हुए उस समय सरकार को भंग किया। अब माननीय देवपुरा साहब कह रहे हैं कि वह एक परम्परा थी।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मैंने कहा है कि गलत प्रिसीडेंट कोई हो गया हो तो आगे चल नहीं सकता।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इसका मतलब सन् 80 का गलत प्रिसीडेंट था और आगे चल नहीं सकता । यही आपका मतलब है न ? क्योंकि बीच में आप फिर बोलेंगे, मुझे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने 1980 को गलत प्रिसीडेंट माना और अभी आप कह रहे हैं कि लोक सभा के और विधान सभा के इश्यूज अलग हैं । हम चाहते थे कि हम उस गलत प्रिसिडेंट के आधार पर काम नहीं करें और यदि यह जनता दल की सरकार उस समय चाहती तो जिस समय चुनाव के परिणाम निकले थे उसी समय इस सरकार को भंग कर दिया जाता लेकिन हमारी नीयत के ऊपर और हम किस प्रकार की परम्परा निभाना चाहते हैं इसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा । हमारे सामने 80 का उदाहरण था । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय देवीलाल जी । भाटी जी ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं समझता हूं कि उस उदाहरण के आधार पर जो आपने कहा, गलत प्रिसिडेंट था । हमने उस गलत प्रिसिडेंट को रोका । हम नीयती से चाहते हैं कि इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो लेकिन (व्यवधान)

**श्री सी. पी. जोशी** : Credit goes to Janta Dal leader, Shri V. P. Singh. not to the B. J. P.

**श्री दिग्विजय सिंह** : It is a joint responsibility.

**श्री सी. पी. जोशी** : Credit goes to Janta Dal.

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सी. पी. जोशी जी ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपने जनता दल की सरकार का नाम लिया है । जनता दल की सरकार ने आप पर कृपा की । यह तो आप मानेंगे ? जनता दल की सरकार ने आप पर कृपा की । उसमें हमारा कन्ट्री-ब्यूशन नहीं मानो तो आपकी मर्जी की बात है लेकिन यह सही है कि इस सरकार ने गलत परम्पराओं को तोड़ने के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद आपको भंग नहीं किया लेकिन आपको यह भी मालूम है कि इस कान्स्टीट्यूशन में आर्टिकल 356 है । अगर कोई सरकार कान्स्टीट्यूशन के अगेन्स्ट में काम करती है तो केन्द्रीय सरकार को इस बात का अधिकार है कि उस सरकार को भंग किया जाय और इसी-लिए कल से इस बात की मांग चल रही है कि राज्य सरकार ने चुनाव की घोषणा करने के बाद जो भी आदेश निकाले हैं, जो भी नीतियां बनायी हैं, जो भी घोषणायें की हैं उनके सम्पुष्टि के सम्बन्ध में जितने भी आदेश निकले हैं उन आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जायं । उपाध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा की गयी बी.ए.सी. की । बी. ए. सी. में मुख्य मंत्री जी को मैंने स्पष्ट कहा था कि इस मामले के ऊपर विपक्ष बिलकुल भी तैयार नहीं है । इस मामले को आप परसों के लिए स्थगित करें । आप आदेशों की प्रतियां दे दें । कल उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के सामने यह भी कहा कि आपने आदेश निकाले हैं तो उनकी प्रतियां देने में क्या आपत्ति है । इसमें नियम की कोई बात ही नहीं है । मैंने यह भी कहा था कि हम सदन के सदस्य हैं,

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

हमारा विशेषाधिकार है और विशेषाधिकारों के नाते सरकारी आदेशों और विज्ञप्तियों की प्रतियां यदि हमें उपलब्ध करा दें तो कोई भूकम्प नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है उपाध्यक्ष महोदय, कल भी माननीय सदस्यों ने कहा था कि यह सारे आदेश और घोषणायें फर्जी हैं, न मन्त्रिमण्डल की इसके पीछे स्वीकृति है, न कोई वित्तीय ज्ञापन इस सम्बन्ध में निकाला है और न वित्तीय जिम्मेदारियां कितनी आयेंगी, किस प्रकार से बजट में प्रावधान रखा जायेगा। इस प्रकार की घोषणायें करके इस सरकार ने जनता को भ्रमित करने की कोशिश की हैं। मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं। मैं विस्तार में इस समय नहीं जाना चाहूंगा, आपने 15 हजार रुपये तक की कर्जा माफी की घोषणायें की हैं और इसी सदन में देवपुरा साहब ने, माननीय मुख्य मंत्री जी शिवचरणजी माथुर ने और माननीय मुख्य मंत्री जी हरिदेवजी जोशी ने यह कहा था कि हरियाणा में यह ढ़ोंग है, हरियाणा में मनी कर रिग्रम्बर्समेंट नहीं किया गया और जब तक मनी का रिअम्बर्समेंट कॉआपरेटिव बैंक्स या कामर्शियल बैंक्स को नहीं किया जायेगा तब तक कर्ज की घोषणा नहीं हो सकती। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने एक कौड़ी का रिअम्बर्समेंट नहीं किया और बिना रिअम्बर्समेंट किये यदि आप कर्जा माफ करने की घोषणा करते हैं तो मैं समझता हूं, आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि उस घोषणा के पीछे इनकी नीति यह है कि चुनाव के पहले इस घोषणा को जारी रखा जाय और चुनाव में यदि दुर्भाग्य से कांग्रेस को हुकुमत मिल जाय तो उस स्थिति में कहा जाय कि बैंक ने, आर. बी. ग्राई. ने मंजूर नहीं किया। रिअम्बर्समेंट नहीं कराया। मैं पूछना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, बिना रिअम्बर्समेंट के कर्जा माफ कैसे हो सकता है? आपने रिअम्बर्समेंट एक कोड़ी का किया हो तो बताइये वरना आपको जनता को धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, शिष्टाचार यह होता कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां मेम्बर्स नियुक्त किये हैं, नई सरकार को नियुक्त करने का अधिकार देते। चाहे नई सरकार आपकी बने, चाहे नई सरकार हमारी बने लेकिन एक पब्लिक मेंडेट है इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार को काम चलाऊ सरकार के रूप में व्यवहार करना चाहिये। काम चलाऊ के रूप में व्यवहार नहीं करें और धड़ाधड़ इस प्रकार की नियुक्तियां करते जायं। चुनाव आयोग ने आपको कहा कि स्थानान्तरण नहीं किये जायं। आज ही 68 पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण की सूचनायें निकली हैं तो आप चुनाव आयोग का कहना नहीं माने, आप कान्स्टीट्यूशन का कहना नहीं मानें, आप राजनीतिक परम्पराओं का निर्वहन नहीं करें, आप राजनीतिक शिष्टाचारों को नहीं निभायें और कान्स्टीट्यूशन की अवहेलना करके इस सत्ता का दुरुपयोग करना चाहें तो मैं आपको इतना ही कह देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार कोई कान में तेल डालकर नहीं पड़ी है उनको संविधान के ग्रनुसार सरकारें चलाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप अपने हाथों पर, पैरों पर कुल्हाड़ी चलाना चाहते हैं फिर विपक्ष को दोष देने की बात नहीं होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन का प्रश्न है। पार्लियामेंट में 62 वां अमेण्डमेंट पास हो गया। पास होने के बाद इन सरकारों की एक नीयत है कि जितनी भी कांग्रेस की सरकारें हैं दो-तीन दिनों में उन सरकारों को भंग कर दिया जाय ताकि यह केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी रहे। यह मैम्बर्स तो बेकार हो जायं, मंत्रियों के पास गाड़ी और झण्डी लगी रहे और यह राजस्थान की सत्ता का दुरूपयोग करते रहें ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स के रिजर्वेशन के उस कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेंट का रेटिफिकेशन इस सदन में नहीं हो और शिड्यूल्ड कास्ट में एक प्रकार का भ्रम पैदा किया जाय। मैं चाहूंगा, यदि आपकी ईमानदारी है तो उस कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेंट बिल को तुरन्त लाइये, विधान सभा में उसका रेटिफिकेशन कराइये ताकि आपकी और हमारी नीयत का पता लग जाये कि शिड्यूल्ड कास्ट के पक्ष में आप हैं या हम हैं? आप विचार कर रहे हैं, सब तरह कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों की आपने इच्छा देख ली, हम चाहेंगे कि राज्य सरकार उन आदेशों की प्रतियां तुरन्त सदन की मेज पर रखें और रखने के बाद में आगे कोई कार्यवाही चलायें। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : आपकी कोई हेरा-फेरी नहीं है, इसके पीछे कोई बेइमानी नहीं है तो प्रतियां रखने में कहां दिक्कत है?

**श्री उपाध्यक्ष** : देवीसिंह जी भाटी, बैठिये।

**श्री देवीसिंह भाटी** : न तो यह सूचनाएं दे रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल देवपुरा** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता का यह कहना कि यह काम चलाऊ सरकार है, यह बिलकुल गलत है, सही नहीं है। यह सरकार कांस्टीट्यूशनल सरकार है....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : देवीसिंह जी, बैठिये। नवरंगसिंह जी बात रिकार्ड नहीं होगी। रिकार्ड नहीं होगी बात। क्योंकि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं।

**श्री नवरंग सिंह** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : रिकार्ड नहीं करें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : भंवरलाल जी, बैठें आप। । प्लीज सिट डाउन। आई विल नेम यू। कृपया बैठें आप। मैं कह रहा हूं आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री सम्पत सिंह** (नगर) : पाइंट ऑफ आर्डर।

**श्री उपाध्यक्ष** : ना पाइंट ऑफ आर्डर। प्लीज सिट डाउन।

**श्री देवीसिंह भाटी** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : आप गरिमा रख रहे हैं?....

---

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**एक माननीय सदस्य** : यह कोई तरीका है क्या ?

**श्री सम्पत सिंह** : आप मुझे अलाऊ करिये तो वह अपने आप बैठ जायेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : I am on the legs.

**एक माननीय सदस्य** : आसन से कह रहे हैं बैठ जाइये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी प्रेरणा से माननीय सदस्य बैठ गये हैं।

**श्री सम्पत सिंह** : मेरी प्रेरणा से बैठे हैं तो मेरी सुन लीजिये। माननीय विपक्ष के नेता के बोलने से पहले वरिष्ठ मंत्री जी ने एक बात कही कि यह सरकार पांच साल के लिए चुनी गई थी, पांच साल का हमारे पास मैनडेट है इस लिए हम जो करेंगे वह करेंगे....(व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : यह किसने कहा कि हम जो करेंगे वह करेंगे।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। आप अपने आप कह रहे हैं....

**श्री सम्पतसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार विधान सभा में आया हूं, मेरी बात सुन लीजिये। हो सकता है इधर-उधर शब्द हो जायें....

**श्रीमती कमला** : इनका जवाब तो पहले सुन लो आप। भैरोंसिह जी जितनी देर बोले, हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला। अब आप इनको भी तो सुनिये....

**एक माननीय सदस्य** : यह तो वरिष्ठ मंत्रियों के हाल हैं।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मेरी बात तो कहना बाकी है....

**श्री सम्पत सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या पांच साल की अवधि पूरी होने के पहले that too at the Fag End of tha Limit, आप कोई असंविधानिक, जो संविधान की मन्सा के विपरीत हो, हमारी विधान सभा की परम्पराओं के विपरीत हो, ऐसे रोजमर्रा आदेश कर सकते हैं क्या ? हम तो जवाब चाहते हैं। दस-बीस दिन रह गये हैं आप ट्रांसफर धड़ल्ले से करते चले जा रहे हैं। (व्यवधान) जिन अधिकारियों ने चुनाव में धांधली करने से मना कर दिया, आज उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, उनको जलील किया जा रहा है। यह मेनडेट है क्या जनता का ?....

**श्री उपाध्यक्ष** : यह आपका पाइंट आफ आर्डर है क्या ? प्लीज सिट डाउन नाऊ।

**श्री सम्पत सिंह** : पांच साल पहले कांग्रेस पार्टी के लिए यह मैनडेट नहीं था कि अगर पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, कोई अधिकारी अगर सरकार की धांधली मानने को इन्कार कर देंगे तो उनको यों तबादलों से जलील किया जायेगा। यह मैनडेट कतई नहीं था। जवाब दीजिये क्या मैनडेट आपको मिला था ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने परम्पराओं का जिक्र किया....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह जवाब दे रहे हैं तो मैं भी तैयार हूं।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आपने कहा था इसलिए मुझे कहना पड़ा। आपने कहा था कि 80 की गलत परम्परा थी। हमने 80 की कई गलत परम्परा की बात नहीं कही। 80 में वही बात थी, 77 में वही बात थी....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : एक बात बता दीजिए। आपको आदेश की प्रतियां रखने में आपत्ति क्या है ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : कोई आपत्ति नहीं है, न मुख्य मंत्री जी को आपत्ति है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : रखिये फिर।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मुख्य मंत्री जी ने कल ही कह दिया था कि जो भी नियमानुसार रखने की होगी रखेंगे....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : काश, मेरी सुन लेते....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग की बात नहीं मानी....

**श्री उपाध्यक्ष** : तिवाड़ी जी, बैठें आप बैठें तो सही।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : We want copies first.

**श्री उपाध्यक्ष** : मेरी बात तो सुन लीजिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आपकी बात सुनने से पहले आप कापियां रखवाइये।

**श्री उपाध्यक्ष** : सुन तो लीजिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : Don't waste time.

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। टाइम कौन वेस्ट कर रहा है इसको अपने-अपने मन में टटोलना पड़ेगा। आप बैठें दो मिनट।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आप प्रतियां क्यों नहीं रखवाते हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : सुनिये तो सही आप।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : इस बिन्दु पर आप फैसला करिये पहले।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप सुनिये तो सही।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : इस पर बोलिये आप।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं कुछ बी. ए. सी. के सन्दर्भ में जानता हूं....(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं कल से निवेदन कर रहा हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य सुनिये तो सही।

**श्रीमती कमला** : यह कोई तरीका हुआ क्या ?....

**श्री उपाध्यक्ष** : जो कुछ वहां गुजरा आप जो मैम्बरान वहां थे, मैं भी था उसमें प्रपोजल पहले यह आया था कि चार विधायी कार्य (विधेयक) आज ले लिये जायें और स्टेटमेंट कल के लिए रखा जाये.... (व्यवधान) सुनिये तो सही....

**श्री यदुनाथ सिंह** : बी. ए. सी. की मीटिंग की फिर यहां पर चर्चा होगी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपकी ही बात कह रहा हूं। आप सुनिये तो सही। इस पर यह मन्तव्य बना था कि आज दो (विधेयक) ले लिये जायें और कल दो विधेयक लिये जायें एवं मुख्य मंत्री का इसलिए इनसिसटेंस था कि मैं तैयारी कर लूं और परसों स्टेटमेंट दे दूंगा। भैरोंसिंह जी का उस पर इनसिसटेंस था कि जवाब आज ही होना चाहिये। इस पर अपन ने बहुत चर्चा कर ली....

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, इसी पर मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आप जो बोल रहे हैं उस पर मेरा पाइंट आफ आर्डर है....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं कम्पलीट तो कर लूं बात को....

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : एक सैकण्ड ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप भी नहीं सुनेंगे ? बोलते रहिये ।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, जब आप फरमा रहे हैं उस पर कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आप यह फरमा रहे हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं कोई नहीं फरमा रहा। आप नहीं सुन रहे हैं तो आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : नहीं देना, सुन लो आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह फरमा रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी स्टेटमेंट कल देंगे लेकिन प्रतियां तो रखवाइये आज। आज प्रतियां रखी जाने वाली थी वह क्यों नहीं रखी जा रही है। क्या बी. ए. सी. ने यह तय कर दिया कि प्रतियां भी नहीं रखी जायेंगी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : नियम 295 के तहत... (व्यवधान) श्री मुक्तिलाल मोदी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हमें आदेशोंकी प्रतियां चाहिए। राज्य सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं, आदेश जारी किये हैं उनकी प्रतियां चाहिये। सदन के पटल के ऊपर उन आदेशों की प्रतियां रखें। उसके ऊपर सारी जानकारी करने के बाद कल बहस कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रतियां तो आज रखी जा सकती है कहां हर्ज है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री मुक्तिलाल मोदी। (व्यवधान)

**श्री सी. पी. जोशी** : आप इनको बाहर निकालिये। How con dictate the Housc. हाउस को डिक्टेट करेंगे क्या ? आप बात तो सुनना नहीं चाहते, यह कोई तरीका है क्या ?

**श्री उपाध्यक्ष** : I agree with you. यह कोई तरीका नहीं है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आपको कहां अड़चन है ? आदेश आपके निकाले हुए हैं। क्या वह सीक्रेट डाक्यूमेंट्स है,क्यों नहीं आप उनकी प्रतियां यहां पर रख रहे ?(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। मैं कुछ कह रहा था तो भंवर-

(५५)



(श्री उपाध्यक्ष)

लाल जी बीच में बोल पड़े। जब मैं क्या बोलूं ?....

**श्री हरिशंकर भाभड़ा:** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

**श्री उपाध्यक्ष :** वैसे पाइंट आफ आर्डर इस पीरियड में हो नहीं सकता फिर भी आप बोलना चाहें तो बोलें।

**श्री सी. पी. जोशी :** उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आपको बोलने दीजिये Let them regret first. It is not decorum. उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं हुआ डेमोक्रेसी का Let them regret first.

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** बी. ए. सी. की रिपोर्ट अभी तक हाऊस में चर्चा के लिए रखी नहीं गई है और आप बी. ए. की रिपोर्ट का हवाला देकर....

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं हवाला नहीं दे रहा हूं - वहां जो गुजर रहा था उसकी बात की थी....(व्यवधान)

**श्री सी. पी. जोशी :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप विपक्ष के सारे सदस्यों को चैम्बर में बुलाइये, उनके नेताओं से बात करिये। हाऊस डैकोरम से चले। यह कोई अपने व्हिम्स को डिक्टेट कराकर हाऊस को नहीं चला सकते। कल जब यह फैसला होगा कि मुख्य मंत्री जी कल स्टेटमेंट देंगे घोषणा भी रखेंगे, फिर आप डिक्टेट कैसे करना चाहते हैं ? (व्यवधान) पब्लिक का मैनडेट आपके खिलाफ है, आप हमको भाषण दे रहे हैं। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, खुद आप हार कर आये हो, भाषण दे रहे हो हमको। 22 हजार वोटों से हारे हैं आप। हमें तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है।

आप लीडर्स को चैम्बर में बुलाकर बात करिये और फिर हाऊस को ठीक ढंग से चलाइये।

**श्री देवीसिंह भाटी :** आप तो आदेशों की प्रतियां रख दीजिये, कल बहस हो जायेगी। क्यों समय की बरबादी कर रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री माणक डाणी** (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी तरह का सदन को चलाने का तरीका नहीं है। जब कल विपक्ष के नेता ने स्वयं कहा था कि हमारी मंशा सदन को चलाने की है और हम सदन को चलाना चाहते हैं, कोई व्यवधान किसी प्रकार का उत्पन्न नहीं करना चाहते जिससे बिल वगैरह में किसी प्रकार का व्यवधान हो। जब यह सारी स्थिति क्लियर कट है उसके बावजूद इस प्रकार का हल्ला मचाना, आपके बोलने के बावजूद बीच में खड़ा होकर बोलना, यह उचित प्रतीत नहीं होता।

( 1.00 म. प. )

**श्री लालचन्द डूडी** (भादरा) : हम केवल मात्र यह चाहते हैं कि इस सरकार ने जो घोषणाएं की है, उन घोषणाओं की प्रति सदन के पटल पर रखें।

**श्री उपाध्यक्ष :** ठीक है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : सरकार ने असत्य घोषणाएं की हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आ जायेगी। डूडी साहब आ जायेगी, बैठिये। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अखबार में पढ़ो, अखबार में पढ़ो।

**श्री उपाध्यक्ष** : आ जायगी। बैठे आप। श्री मुक्तिलाल जी। मुक्तिलाल जी। (व्यवधान)

**श्री माणक डाणी** : सदन के बाहर तो आंदोलन करवाते हैं आरक्षण के नाम से। (व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : यह कोई डिबेट का विषय नहीं है कि पक्ष और विपक्ष में इस पर विचार हो। कोई आधार है तो आप सूचना दीजिये। आधार नहीं है तो कह दीजिये कि व्यक्तिगत बातें है श्री हरिदेव जोशी की। क्या मतलब है आपका। हमको तो प्रतियां दीजिये। अगर कोई तथ्य है तो दीजिये नहीं तो मना कर दीजिये कि व्यक्तिगत फैसले है। कोई केबिनेट के फैसले नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं यह मानता हूं कि आपकी डिमाण्ड है और यह कमिटमेंट है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : कोई आधार है या नहीं है ?

**श्री माणक डाणी** : इनकी डुप्लिकेट नीति का पर्दाफास करवाइये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मुख्य मंत्री जी की कमिटमेंट है और आपकी मांग है और उन्होंने कहा कानून के तहत जो उचित है वह प्रतियां मैं रख दूंगा। अब लेट अस वेट फार इट। (व्यवधान) मैं यह कह रहा था तिवाड़ी जी की मुझे माननीय अध्यक्ष जी ने इसलिए बुलाया था कि वे सी. एम. साहब से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। (व्यवधान) अब आ जायेंगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आ जायेंगे कब। पहले बुलवाइये उनको।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह कोई तरीका नहीं है। कृपया हाउस को चलाइये। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : टाइम इसलिए चाहते हैं कि सरकारी मशीनरी को अपनी ओर करें... (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : +++ यहां सदन चल रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह एलीगेशन न लगायें। यह एलीगेशन नहीं लगाये प्लीज।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : नहीं, यह एलीगेशन है। मैं प्रमाणित करूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज मेन्टेन सम डेकोरम। डेकोरम रखें। बैठें तिवाड़ी जी आप बैठें।

**श्री पंकज पंचोली** : उन्होंने कहा तबादलों में+++यह एक्सपंज करवायें। (व्यवधान)

---

+++अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्लीज सिट डाउन। हां, देट शुड बी एक्सपंज्ड। + + + एक्सपंज कर दीजिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** मैं इसको प्रमाणित करता हूं। (व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** हम तो + + + अन्दर बैठे हैं। आप हमको डेकोरम सिखा रहे हैं हम तो डेकोरम में रहते हैं वह लोग नहीं रहते उनको पहले सिखाना चाहिए था।

**श्री उपाध्यक्ष :** पहले नोटिस दीजिये। पहले नोटिस दीजिये। गिव दी नोटिस फस्ट। (व्यवधान) नोटिस दें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** नोटिस दिया हुआ है मेरा पहले।

**श्री उपाध्यक्ष :** नहीं दिया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : ट्रांसफर पर मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है और मैं प्रमाणित करूंगा कि जो इस सदन में प्रतियां रखी जायेगी उसमें चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** तिवाड़ी जी बात रिकार्ड नहीं होगी। ऑफ दी रिकार्ड।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** × × ×

**श्री उपाध्यक्ष :** आपको जब अलाऊ नहीं किया गया है।

**श्री मोहन प्रकाश** (राजाखेड़ा) : माननीय देवपुरा जी तो अपनी लिस्ट दे चुके हैं एज ए कांग्रेस प्रेसीडेन्ट। (व्यवधान) अब इनको लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी जो कलक्टर को पी. सी. सी. प्रेसिडेन्ट समझ करके और एस. पी. को अपना पी. सी. सी. का जनरल सेक्रेटरी समझ करके यह जो चुनाव करवाना चाहते है, यह उचित नहीं है। राजनीतिक आधार पर उचित नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष :** बैठें, प्लीज सिट डाउन। देवपुरा जी कुछ कहना चाहते है। (व्यवधान) देवपुरा जी की बात सुनिये।

**श्री हीरालाल देवपुरा :** मैं तो दो ही बात कहना चाहता हूं एक तो यह कहा गया कि यह सरकार इस सदन को भंग करवाना चाहती है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कभी सदन को भंग करवाने की मंशा नहीं रखती है।

**श्री मोहन प्रकाश :** आप तो लोकतन्त्र को भंग करना चाहते हैं।

**श्री हीरालाल देवपुरा :** कहीं कोई सवाल नहीं होता और दूसरा जो यह कहा गया कि जो रिजर्वेशन बिल के उपर जो यहां पर रेक्टिफाई करवाना जरूरी है (व्यवधान)

**श्री मोहन प्रकाश :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो लोकतंत्र को ही भंग करना चाहते हैं।

---

+ + + अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : यह सरकार उसको सेटीफाई करना चाहती है आरक्षण के जो प्रस्ताव पास हुए हैं, कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेंट हुआ है उसके पक्ष में यह सरकार है और उसको यहां सेटीफाई कराना चाहते हैं और इसीलिये जब भी जरूरत हुई वहां से मिला हमको नोटिफिकेशन, उसको हम सेटीफाई करवायेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : डाक्यूमेन्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं । कब रखना चाहेंगे ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : डाक्यूमेन्ट्स के बारे में मैंने पहले भी कहा और फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल मुख्य मंत्री जी ने स्वयं ने कहा है कि जो भी नियमों के अन्तर्गत जो चीजें रखने की है वे जरूर रखी जायगी । स्टेटमेंट से पहले वे रख दी जायगी और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन से भी निवेदन करना चाहता हूं और विपक्ष के माननीय नेता महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसी गलत परम्परायें इस सदन में न पड़े जाय जिससे आगे कोई दिक्कत आये । सरकार के हर आदेश को सदन के पटल पर रखने की कोई परम्परा नहीं रही है लेकिन जो भी जरूरी होगा, निश्चित रूप से उसको सदन के पटल पर रखा जायेगा । (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : यह गलत परम्परा वाली बात नहीं है ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : ये धांधली मचा रहे हैं । (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : आप ही यह गलत परम्परा डाल रहे हैं । राज्य कोष में समान नहीं है ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : कुछ है ही नहीं ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आप खालों की कीमत माफ करने जा रहे हो । आपके पास पैसे नहीं है । आप 15 हजार रुपये तक के ऋण माफ करने जा रहे हो ।

**श्री उपाध्यक्ष** : देवीसिंह जी आपको आंख बन्द करके कह रहा हूं । मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : प्रतियां तो रखें पहले ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन ।

**श्री मोहन प्रकाश** : पूरी प्रशासनिक मशीनरी का राजनैतिक उपयोग करना चाहते हैं । मेरे इलाके में प्रशासन की मदद से पकड़ करवा रहे हैं लोगों की । गुण्डा गर्दी बढ़ रही है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय देवपुरा जी आपसे यह पूछ रहा था कि हो सकता है यह गलत परम्पराओं के उसमें आ जाय किन्तु देयर इज ए कमिटमेंट और देयर इज ए कमीटमेंट बी फार दी हाउस । नियम के अन्तर्गत जो भी आपको अपेक्षित है पेश करने की तो वह कब पेश करेंगे, वह बता दें ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट से पहले पेश कर देंगे । कल मार्निंग में पेश कर देंगे ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : स्टेटमेंट से पहले क्या होगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : ये अर्ली मार्निंग की कह कह रहे हैं। कल अर्ली मार्निंग डाक्यूमेंट्स आ जायेंगे।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आज क्या दिक्कत है ? (व्यवधान) नो नो नो। आज क्या दिक्कत है ? सेक्रेटेरियट में यदि कापियां हैं....

**एक माननीय सदस्य** : है ही नहीं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हां, नहीं है यही तो मैं कह रहा हूं। हम भी यही कह रहे हैं। ऐसी कोई प्रतियां हैं ही नहीं। ये सिर्फ थोथी घोषणाएं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : कोआपरेट करें अब तो। इससे बड़ी कोई कमिटमेंट हो ही नहीं सकती। आसन की व्यवस्था भी नहीं चलेगी। आज आसन की व्यवस्था भी नहीं चलेगी। आप कह दीजिये कि आसन की व्यवस्था भी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

**श्री लालचन्द डूडी** : इन्होंने जनता को भी धोखा दिया है और चेयर को भी धोखा देना चाहते हैं।

**श्री सी. पी. जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ घोषणाओं का फैसला आज करना है इसलिए आज और कल सब मिल करके कल दे देंगे। क्या तकलीफ है और आज की घोषणाओं की कापी भी दे देंगे।

**श्री हीरासिंह चौहान** : आप घोषणाएं कैसे कर देंगे आज और कल में। जब विधान सभा का सत्र चल रहा है तो आप सत्र के बाहर घोषणा कैसे कर सकते हैं आज और कल में ?

**श्री सी. पी. जोशी** : जो घोषणाएं आज करनी है....(व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : नो, घोषणाएं जो होंगी वे हाउस के अन्दर होंगी।

**श्री सी. पी. जोशी** : कुछ घोषणाओं का आज फैसला कर रहे हैं, उसकी कापी भी कल सुबह दे देंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपको क्या तकलीफ है। सरकार को फंसाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है।

**श्री सी. पी. जोशी** : मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए बात कहना चाहता हूं कि जो घोषणाएं आज करनी है उसकी कापी भी आप कब मांगेंगे। इसलिए आपकी भावना का ध्यान रखते हुए आज की और सबकी कल सुबह पहुंचा देंगे। आपको क्या तकलीफ है इसमें और आपकी भावना भी रह जायगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : सारी इकट्ठी हो जायं न घोषणाएं।

**श्री सी. पी. जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटविन दिस। हमको रखनी है इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कमिटमेंट है। आप भी चाहते हैं अब कब रखें हम इनकी सहूलियत के लिए आज की घोषणाओं को भी सम्मिलित करते हुए कल रख देंगे तो तकलीफ क्या है इसमें।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह होनी है क्या, आपको क्या पता। व्हाट यू नो अबाउट इट ? (व्यवधान)

**श्री सम्पत सिंह :** इसकी क्या गारन्टी है कि एक दिन आगे की लिस्ट और दे दें ।

**श्री उपाध्यक्ष :** नहीं, नहीं । हाऊ गिवन ए वरडिक्ट । मैंने कहा कमिटमेंट है कल सुबह पहले वह रख दी जायगी ।

**श्री सम्पत सिंह :** नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज की...

**श्री उपाध्यक्ष ;** आज कोई कमिटमेंट नहीं होगी । यह तो उनका प्रयास है । सरकार नहीं कह रही है ।

**श्री सम्पत सिंह :** आज की लिस्ट भी कल आ जायगी विज्ञप्ति में, इसकी क्या गारन्टी है कि कल परसों पहले कर दें ।

**श्री उपाध्यक्ष :** नहीं नहीं ।

**श्री सम्पत सिंह :** एक दिन आगे की लिस्ट भी शामिल कर देंगे इसमें ।

**श्री सी. पी. जोशी :** कर देंगे ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** कल पर क्यों टालते हो । कल का पता नहीं क्या हो । आप आज ही दिलवाइये ।

**श्री उपाध्यक्ष :** एक मिनट मेरी सुनिये ।

( म. प. 1.10 )

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

**श्री महेन्द्र शास्त्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष :** मैं एक बात कह दूं, एक घण्टा हो गया । मेरी दो मिनट सुन लें····

**श्री महेन्द्र शास्त्री :** अपना ही वक्त है, अपनी ही बात है ।

**श्री अध्यक्ष :** आपके काम की ही बात कह रहा हूं ।

**श्री महेन्द्र शास्त्री :** मैं अध्यक्ष के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो बात सदन में कही, राज्य सरकार जिन बातों के कमिटमेंट को पूरा करना चाहती है उस कमिटमेंट को पूरा न करने का कारण यह है कि उत्तेजना हो गई । हमको इस बात के लिए क्यों विवश किया जा रहा है कि जो बात संवैधानिक नहीं है, जो बात नैतिक नहीं है, जो कानून सम्मत नहीं है हम उसको मानें । क्यों आप हमको इसके लिए मजबूर कर रहे हैं ? सरकार अगर यह चाहती है, आज सरकार अपने नैतिक दायित्व को समझती है, पांच वर्ष का कमिटमेंट भी कहती है कि हमको जनता ने पांच वर्ष के लिए चुना है, हम आपकी इस बात से इन्कार नहीं कर रहे लेकिन आपने जो काम किया है उसकी आप जनता को जानकारी देना चाहते हैं, सदन को जानकारी नही देना चाहते....

**श्री हीरालाल देवपुरा :** जनता को तो जानकारी है ।

**श्री महेन्द्र शास्त्री :** तो जब देना चाहते हैं तो इस उत्तेजना का कारण तो इतना ही है कि आप जानकरी नहीं देना चाहते हैं ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आपको खुद को भी जानकारी है, जनता को भी जानकारी है, केवल एक प्रेस्टिज की बात बनी है इसलिए उस बात को अपन दोहरा रहे हैं यहां पर ।

**श्री महेन्द्र शास्त्री** : नहीं, नहीं । यह जानकारी नहीं है हमको । हमको आपकी यह जानकारी नहीं है कि आपके मन में क्या है । हमको यह भी जानकारी नहीं है कि आपके दिमाग में षड़यन्त्र क्या है ? हमको तो वही जानकारी है जितनी जानकारी हम लेना चाहते हैं । हम जानना चाहते हैं....

**श्री सी. पी. जोशी** : वह तो हरियाणा में टेलीफोन करके हम मंगवा रहे हैं वह कापियां । फिर करके भेज देना, आपको तकलीफ क्या है । हम तो आपके भले के लिए रोक रहे हैं कि भाई कहीं गड़बड़ नहीं हो जाय ।

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ ऑर्डर ।

**श्री महेन्द्र शास्त्री** : जब तक यह बात नहीं आयेगी, सदन में यह नहीं रखेंगे तब तक हमारी बात प्रकट नहीं होगी । जब तक सदन में प्रतियां नहीं आये तब तक इस बात को आगे नहीं चलने दिया जायगा ।

**श्री अध्यक्ष** : पाइण्ट ऑफ आर्डर ही चल रहा है ।

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ ऑर्डर है मेरा । मौका देंगे आप ?

**श्री अध्यक्ष** : दूंगा मैं । ऐसा कैसे हो सकता है कि समय नहीं है ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : अध्यक्ष जी, अभी उपाध्यक्ष महोदय ने एक निर्देश दिया है । अध्यक्ष महोदय, अभी आपके आगमन से पूर्व उपाध्यक्ष महोदय ने सरकार को कुछ निर्देश दिया है इस हाउस के सामने कुछ आश्वासन दिया है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कल सुबह उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार घोषणाओं की प्रति आज ही यहां रखेगी ?

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये । माननीय भैरोंसिंहजी । (व्यवधान)

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने सदैव आसन की आज्ञाओं का पालन किया है और आगे भी सरकार आसन की आज्ञाओं की पालना करती रहेगी ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : आप वह घोषणायें यहां रखेंगे ।

**श्रीमती कमला** : जो वांछित है ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : वक्तव्य से पूर्व रखेंगे ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मैंने एक बात कह दी है कि जो आसन ने आदेश दिया है उसकी पालना की जायगी ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : नहीं, नहीं, अगर-मगर की बात नहीं है ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अगर का क्या सवाल है । आपने आसन के सन्दर्भ में बात कही है, और मैंने कहा जो भी आसन ने आज्ञा दी है उसकी पालका की जायगी ।

**श्री अध्यक्ष** : आसन ने जो आदेश दिया है उसकी पालना करेंगे ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हमें कापी आज चाहिए हमको कापी आज चाहिए ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : मेरा आपसे निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय की रूलिंग सुनकर ही आप इस सदन में आये हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : उन्होंने जो आदेश दिया सरकार का यह कहना है कि उसका पालन होगा ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : वक्तव्य देने से पूर्व । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी भाषा अभी भी अगर मगर की है ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : नहीं, भाषा अगर मगर की नहीं है । स्पष्ट है । आसन ने जो भी आदेश दिया है उसकी पालना की जायगी । कोई अगर मगर नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : पालना होगी ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अगर मगर तो आपके मस्तिष्क में है । आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आसन ने क्या आदेश दिया ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : आप तो मेरा-मति भ्रम बता रहे हैं शायद वह मति भ्रम कल आपका बन जायगा ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मति भ्रम न मुझ में रहेगा, न आप में रहेगा, यह स्पष्ट हो जायगा ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : आप में जरूर रह जायगा, मुझमें नहीं रहेगा । आप में रह जायगा ।

**श्री अध्यक्ष** : अब हो गया, हो गया । फाइनल, फाइनल । चुन्नीलालजी ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : फाइनल कहां, अभी तो सेमीफाइनल ही नहीं हुआ ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उन्होंने कहा वह फाइनल हो गया, फाइनल यह है....

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, जो उन्होंने कहा है वह सरकार ने एग्री किया है ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : फाइनल तो यह होगा कि सरकार की तरफ से वह आदेश सारे के सारे सदन की मेज पर आज रखे जायं । यह अचानक हम नहीं मांग रहे हैं । कल हमने इसी प्रकार की रिक्वेस्ट की थी, आपको ध्यान होगा....

**श्री अध्यक्ष** : अभी जो उन्होंने कहा कि जो आसन ने आदेश दिया है कल के लिए, वह पालन होगा या नहीं होगा....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उन्होंने तो यह कहा था कि यह अगर मगर लगा रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : अगर मगर नहीं लगाई है ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आप ही समझ रहे हैं । मैं कहां अगर मगर लगा रहा हूं । आप खुद समझ रहे हैं इस बात को । मैं तो अगर मगर लगा नहीं रहा हूं । मैंने तो स्पष्ट कहा है कि जो भी आसन के आदेश हुए हैं उनकी पालना की जायगी ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बिलकुल सही

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

है। तो आप नहीं करेंगे तो कोई अहसान कर रहे हैं क्या, अपने आप ही करेंगे।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अहसान की बात कौन कहता है। मैंने तो यह कहा है कि हमेशा वह पालन करती आई है और करती रहेगी। कोई अहसान की बात नहीं है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मेरी बात सुन लीजिए। आप आसन पर और हम पर अहसान मत करिये।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : कोई अहसान की बात नहीं है उसमें।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : यह तो आदेश जो देंगे आसन की तरफ से, वह मानना पड़ेगा।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : ऐसी कोई अहसान की बात नहीं है। यह क्वेश्चन उठाया गया इसलिये जवाब दिया। कोई अहसान की बात नहीं है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : यह स्पष्टीकरण उन्होंने कराया था, इसमें अगर मगर है कि नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, स्पष्टीकरण हो गया।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आपने कहा, ना अगर है ना मगर है, खतम हुआ किस्सा। अब इस बात को हम फिक्स केपीटल बनाना चाहते हैं वह नहीं है सवाल। सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, कि कल भी मैंने और सदन के माननीय सदस्यों ने, विशेष तौर पर इस बात की मांग की थी कि उन आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जाय। मुख्य मंत्रीजी ने पहले तो झिझक दिखाई और बाद में कहा नियमानुसार जो कापियां रखी जायेंगी वह कापियां रख दी जायेंगी। आपको जानकारी होगी, मैंने यह निवेदन किया था कि न तो विधान सभा के नियमों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि ऐसी प्रतियां जो सरकार एक एक्जीक्यूटिव आर्डर ले उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखी जायं। इसलिए नियमों के अन्तर्गत तो आने का कोई प्रश्न नहीं है। उस समय मैंने निवेदन किया था कि मेरा विशेषाधिकार है एक मैम्बर के नाते और विपक्ष के सदस्यों को और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का भी विशेषाधिकार है कि सरकार जो निर्णय लें उन निर्णयों की प्रतियां हमको मिले। अध्यक्ष महोदय यह मांग इसलिए की जा रही है कि मैंने कल सायंकाल जाकर सरकार के इन आदेशों की प्रतियां एक जगह और प्रकाशित होती है राजस्थान राजपत्र में, वह सारे राजपत्र देखें उन राजपत्रों में एक भी आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में एक तरफ से घोषणाएं हो रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकार को कल निवेदन किया था। यह तो राज्य सरकार की नीयत साफ होती तो उन प्रतियों को सदन की मेज पर आज रख दिया जाता तो कोई भूकम्प नहीं होने वाला था। आज अगर मैम्बर्स देख लेते और मुख्य मंत्रीजी कल बोलना चाहते तो उन पर विचार किया जा सकता था लेकिन आदेशों की प्रतियां देने में क्या आपत्ति है? जो प्रतियां कलेक्टर को जा सकती हैं, जो प्रतियां तहसीलदार को जा सकती है,

(53)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वह सदन के माननीय सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं तो इससे बड़ी आपत्ति-जनक बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सरकार भी अब सोच ले यह अच्छा होगा क्योंकि इस विधान सभा का अन्तिम सत्र है अन्तिम सत्र में कोई इस प्रकार की बात नहीं हो जिसको आप अच्छा नहीं समझें या हम जिसको अपना अधिकार समझ कर यहां पर उसको रखने की कोशिश करें। ज्यादा अच्छा होगा, अध्यक्ष महोदय, उन सारे आदेशों की प्रतियां यहां पर भिजवा दें। आपने कहा कल देंगे। कल आपने दो प्रतियां रख दीं और बाकी के लिए कह दिया नियमानुसार नहीं है। तो क्या सरकार इस स्थिति में है कि यह आदेश हम कल रखने वाले हैं उनकी एक सूची सदन की मेज पर रखें ? इस सर-कार की तो किसी प्रकार की क्षमता नहीं है। आदेश निकाल दिया और आदेशों की प्रतियां नहीं देते। आदेशों की प्रतियां गजट के अन्दर प्रकाशित नहीं करवाते। रोज अखबारों में छपवा कर दुनियां भर में लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय देवपुरा साहब, यह परम्परा कांग्रेस पार्टी की नहीं है, यह यहां की परम्परा है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कांग्रेस को मंत्री पद से गौण समझे इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य राज-नीति में नहीं हो सकता है।

**श्री सी. पी. जोशी** : यह पालिटिक्स हो रही है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : पालिटिक्स नहीं है। पालिटिक्स नहीं है। यह इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। आज मैं तो मानता हूं विधान सभा का अध्यक्ष मंत्रिमंडल के सदस्य बन जायं, यह विधान सभा का अपमान है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मंत्री बन जाय और मंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता को छोड़ दे इससे ज्यादा कोई अपमान संगठन को नहीं हो सकता। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, हम एक डिसिप्लीन्ड पार्टी के सिपाही हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हां है डिसि-प्लीन्ड पार्टी, बिल्कुल सही है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता का जो आदेश होता है उसकी हम पालना करते हैं। जब चाहे वह अध्यक्ष बना दें, किसी को मंत्री के लिए कह दें, किसी को विधान सभा के अध्यक्ष के लिए कह दें, वह तो हमारी पार्टी का एक अंतरंग मैटर है। हम डिसिप्लीन्ड सोलजर्स हैं। इसलिये हमारे नेता के आदेश को हम मानते हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मान गये, अध्यक्ष महोदय।

**श्री माणक डाणी** : अध्यक्ष महो-दय, प्रधान मंत्री इनको मिलता नहीं है, हमारी पार्टी से ले जाकर तो प्रधान मंत्री बनाते हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हां वह भी ठीक है।

**श्री माणक डाणी** : वह भी ठीक है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : लोकतन्त्र का इससे ज्यादा बड़ा उपहास नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी अपने को लोकतांत्रिक दल कहे और यह कहे कि नेता के आदेश से हमने पालन कर लिया। क्या कभी नेता का आदेश....

**श्री हीरालाल देवपुरा** : डेमोक्रेसी में नेता चुनना सर्वोपरि होता है और नेता चुनने के बाद डिसिप्लीन के नाते नेता का आदेश मानना चाहिये। हर डेमोक्रेटिक पार्टी का उसूल है। आपके यहां क्या हो रहा है, दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है? आप दूसरी पार्टियों को देखें। यह डेमोक्रेसी पार्टी सब में हो रहा है। नेता चुनना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप बड़े उत्तेजित हो गये। मैं तो चाहता था कि आप मुख्यमंत्री बनें लेकिन दुर्भाग्य से आप मंत्रिमण्डल में शामिल हो गये। आखिर कई बार 13 दिन के मंत्री रहे हुए हैं। मैं तो चाहता था कि आप कई दिन तक मंत्री रहें....

**श्री हीरालाल देवपुरा** : यह तो आप व्यक्तिगत कह रहे हैं....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं व्यक्तिगत नहीं, यह नेता का आदेश है। जिस नेता को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया....(व्यवधान)

**श्री सी. पी. जोशी** : 11 करोड़ वोट मिले हैं हम को। रिजेक्ट नहीं किया है। (व्यवधान)

**श्री माणक डाणी** : यह रामकृष्ण हेगड़े की बात करना चाहते हैं या एन. टी. आर. की बात करना चाहते हैं। कौन से नेता को किया ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको झंडी मिल गई। आपकी सिंसियरिटी इसी में है। मोटरगाड़ी आपके पास है। ताकि उसका पूरा दुरूपयोग हो सके। इससे ज्यादा आपकी कोई इच्छा भी नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था, इस सदन की इच्छा आपने देखली कि वह प्रतियां सदन की मेज पर नहीं रखना चाहता। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी स्पीकर साहब जब चैयर पर थे....

**श्री हीरालाल देवपुरा** : यह कहीं मंशा नहीं है कि सदन की मेज पर नहीं रखना चाहते....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आज आप नहीं रखना चाहते यह तो मन्शा है ना? आज तो नहीं रखना चाहते। अध्यक्ष महोदय, कमला जी अभी बैठी-बैठी इनको धमका रही थी कि आप हां क्यों कर रहे हो। आवश्यकता होगी तो प्रस्तुत कर दी जाएगी।

**श्रीमती कमला** : नहीं, नहीं, आप किसी बहाने ये कहलवाना चाह रहे हैं कि आज नहीं कल रखेंगे।

**श्री माणक डाणी** : अध्यक्ष महोदय, धमकाना शब्द एक्सपंज करें।

**श्री अध्यक्ष** : यह धमकाना नहीं है, धमकाने की बजाय बात कर रही थी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आवश्यकता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगी तो प्रस्तुत करेंगे यह तो कहा ना? आपने आवश्यकता शब्द का यूज किया है।

**श्रीमती कमला** : नियमानुसार अपेक्षित होगी तो, यह बोल रही हूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इसका मतलब यह कल कह सकते हैं कि नियमानुसार अपेक्षित नहीं है, वांछित नहीं है; आवश्यक नहीं है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : इतनी स्पष्ट बात हो गई कि आसन से जो आदेश हुआ है उसकी निश्चित रूप से पालना की जायेगी....

**श्री अध्यक्ष** : अब कार्यवाही आगे चलाएं, इसको कल रख दिया जायेगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कार्यवाही नहीं चलेगी, अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

**श्री यदुनाथ सिंह** : कापी चाहिए, कापी चाहिए। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

**श्री मोहन प्रकाश** : यह सरकार शैया-दान कर रही है, आपत्ति हम को एक यह भी है और सबसे बड़ी बात शैया-दान ये कर रहे हैं, यह थोथी कर रहे हैं। हर चुनावों के पहले सपना दिखाते है। अब इनका सपना चल नहीं पाएगा। इसलिए जनता के सामने साफ होना चाहिए यह शैया-दान सरकार नहीं करें तो बेहतर है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, अब कार्यवाही आगे चलायें....(व्यवधान)

**श्री यदुनाथ सिंह** : प्रतियां चाहिए, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा। इनको मालूम है हमारी मन्शा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप भरतपुर के हैं अनाउन्स कर दीजिए, आज आदेश दे दीजिए कि कापी लाइये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अब दो प्रश्न हैं यह सम्भव नहीं है यह आप भी जानते हैं, वह भी जानते हैं कि प्रतियां नहीं हैं तो रखेंगे कहां से...; अब दो प्रश्न हैं....(व्यवधान)

**श्री यदुनाथ सिंह** : प्रतियां हैं ही नहीं तो कल कहां से रखेंगे? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : प्रतियां नहीं है इसलिए तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार यहां नहीं हो। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हर दृष्टि से यह लगता है कि कल रख दी जाएंगी, आज की कार्यवाही चालू करें। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप एक बात यह पूछ लीजिये कि प्रतियां हैं कि नहीं सरकार के पास?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : प्रतियां नहीं हैं क्या अभी?

**श्री अध्यक्ष** : प्रतियां हैं कि नहीं हैं?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अभी तो मेरे पास प्रतियां नहीं है।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : अध्यक्ष महो-

(श्री मानिकचन्द सुराना)

दय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आप मेरा एक निवेदन सुनें... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, नहीं, 1 घण्टा 25 मिनट हो गये....

**श्री मानिकचन्द सुराना** : इस सारी बहस का नतीजा, अब तक जो कुछ भी आब्जर्वेशन किये हैं, मेरा निवेदन है कि नियमों में कोई अवरोध एग्जीक्युटिव आर्डस को विधान सभा के पटल पर रखने में नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : अभी नहीं है उन्होंने कह दिया....

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर, मेरा यह है कि हाउस में, राजस्थान की जनता में यह बिल्कुल तय हो चुका है कि राज्य सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात और धोखा और फोर्जरी और चार सौ बीसी की घोषणा की है। आप आदेश दीजिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। अध्यक्ष महोदय, यह मामूली बात नहीं है। अगर जनता के साथ फोर्जरी, धोखाधड़ी नहीं होती तो सदन के पटल पर, हाउस में निश्चित रूप से वह प्रतियां रखी जाती। साबित हो चुका है, अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ चार सौ बीसी का मुकदमा दर्ज कीजिए। यह मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

**एक माननीय सदस्य** : आप कानून नहीं जानते तो कानून पढ़ें....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : लेट अस प्रोसीड, बहुत हो गया। 295।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : पाइंट आफ आर्डर सर। (व्यवधान)

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : मैं कानून जानता हूं लेकिन आप जनता के साथ चार सौ बीसी कर रहे हैं... (व्यवधान)

**श्री मानिकचन्द सुराना** : आप मेरी सुनिये। सुन कर चाहे रिजेक्ट कर दीजिए हम सब एजिटेड हैं वह आडर्स यहां पर आएं। उपाध्यक्ष महोदय ने यहां कहा है कि सरकार का कमिटमेंट है।

**श्री अध्यक्ष** : कल के लिए कहा है।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि सरकार ने कमिटमेंट किया है कि हम प्रतियां रखेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : कल के लिए।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : उसी सन्दर्भ में इनको निर्देश दिये हैं कि वह प्रतियां आप यहां रखें। सवाल यह है कि नियमों में कोई अवरोध प्रतियां, एग्जीक्युटिव आडर्स को यहां रखने का नहीं है। नियमानुसार रखने का सवाल हम पैदा नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिसका नियमों में अवरोध नहीं है। जो सरकार के अधिकार में है कि वह रखी जाय। जिसको नियम प्रतिबंधित नहीं करते और जिसका आपका कमिटमेंट है वह भी आर्डर सदन की टेबिल पर आ जाने चाहिए। अन्यथा, अध्यक्ष महोदय, सारी डेढ़ घण्टे की बहस का सरकार यदि कोई भी एग्जीक्युटिव आर्डर कल नहीं रखें और यह कहे कि हम नियमों के अनुसार प्रतिबंधित नहीं है कि हम रखें तो इस सारी डेढ़ घण्टे की बहस का, उपाध्यक्ष महोदय के

(श्री मानिकचन्द सुराना)

द्वारा इस आब्जर्वेशन का कि सरकार का कमिटमेंट है, इसलिए सरकार प्रतियों को यहां रखे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप सिर्फ इतना स्पष्ट कर दें कि नियमों में जो अवरोध नहीं है वह सब एग्जीक्युटिव आर्डर्स सरकार यहां रखने को पाबन्द होगी।

**श्री अध्यक्ष** : मोदी जी, 295। (व्यवधान)

**श्री मानिकचन्द सुराना** : आपके द्वारा जो भी निर्णय है वह दे दें अन्यथा इस सारी बहस का कोई नतीजा नहीं होगा। और यहां कोई एक्जीक्यूटिव आर्डर नहीं रखेंगे। (व्यवधान)

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि मंत्री मण्डल के खिलाफ चार सौ बीसी का मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दें। जनता को धोखा दिया है। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, जो कहती है चैयर ही कहती है, आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती... (व्यवधान)

**श्री मानिकचन्द सुराना** : आप इसको रिजाइल करना चाहते हो, इसको विड्रा करना चाहते हो, हम आपको भी पाबन्द करना चाहते हैं कि वह सब प्रतियां आप यहां रखेंगे। नियमानुसार की बात आप नहीं कहिये, नियमों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि आप यहां आर्डर्स रखें। (व्यवधान)

**श्री बिरदमल सिंघवी** : आर्डर्स में फेर बदल करनी है-क्या आपको। आर्डर्स तो वही रखने हैं ना या फेर-बदल करना चाहते है? (व्यवधान)

**श्री हीरालाल देवपुरा** : कौन करना चहता है। फेरबदल तो सुराना साहब करवा रहे हैं।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : आर्डर कोई है ही नहीं। न कोई आदेश है और न कोई आर्डर है। यह फोर्जरी का काम किया है। सारे मंत्रिमण्डल ने राजस्थान की जनता के साथ देवपुराजी विश्वासघात किया है। आप इसमें शामिल न हों। आपके प्रति हमारी आज भी श्रृद्धा है लेकिन आप इस तरह से जनता के साथ विश्वासघात और चार सौ बीसी की घोषणा, जनता को धोखा देना, हाउस को धोखा देना यह आपके लायक नहीं है।

**श्री बिरदमल सिंघवी** : अध्यक्ष महोदय, यह रात को आर्डर में चैंजेज करेंगे। (व्यवधान)

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : यह बात नहीं है तो आप इसको कहिये। देवपुराजी आप इसके लायक नहीं है, इस फोर्जरी से आप किनारे हो। अध्यक्ष महोदय आप आदेश दीजिये, उसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कराइये। (व्यवधान)

**श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : विपक्ष के नेता ने चुनौती दी है मुझे आप कहें तो, अध्यक्ष महोदय, मैं उस चुनौती को स्वीकार करूं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने एक चुनौती दी है मुझे अभी आप कहें तो स्वीकार करूं।

**श्री अध्यक्ष** : किसने डाली ?

**श्री यदुनाथसिंह** : विपक्ष के नेता महोदय ने एक चुनौती दी है मुझे।

**श्री अध्यक्ष** : आपको क्या चुनौती दे डाली।

**श्री यदुनाथसिंह** : आप कहे तो मैं स्वीकार करूं।

**श्री सी. पी. जोशी** : नहीं, आप बैठो आराम से।

**श्री पंकज पंचोली (मुख्य सचेतक)** : आप स्वीकार मत करिये।

**श्री अध्यक्ष** : इतनी दिलेरी काहे को करते हैं आप। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं, कर सकते, दम ही नहीं है आपका।

**श्री यदुनाथसिंह** : आप कहें तो मैं स्वीकार करूं।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं इतनी दिलेरी नहीं, चुनौती को छोड़िये आप।

**श्री यदुनाथसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था, यह गम्भीर मामला है और चुनौती से मेरे स्वाभिमान को ठेस लगी है।

**श्री अध्यक्ष** : समझ में नहीं आया।

**श्री यदुनाथसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था नाम कर जाइये भरतपुर का, आप आदेश दीजिये सरकार को तो इन्होंने कहा दम नहीं है। आप कहे तो चुनौती को स्वीकार करूं।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, ऐसा मत करिये।

**श्री यदुनाथसिंह** : नहीं करूं।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, ऐसा नहीं।

**श्री यदुनाथसिंह** : नहीं करू फिर।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं करिये।

**श्री पंकज पंचोली** : स्वीकार मत करिये आप।

**श्री यदुनाथसिंह** : धन्य हो प्रभु।

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्षजी, भरतपुर का तो नाम रख दो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं नियमानुसार। कौन से नियमों को आप रेफर कर रहे हैं।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मैंने एक बात कही है, यह सब बातें फैसला होने के बाद उपाध्यक्ष महोदय ने आसन से जो बात कही उसी के ऊपर मैंने कहा कि जो भी आसन से आदेश हुआ उसकी पालना की जायेगी अब इसमें नियमानुसार कोई बात नहीं रही। मैंने यह कहा था....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : एक मिनट, सुन लें। मुख्य मंत्री ने कल कहा नियमानुसार पेश करेंगे, आपने भी रिपीट किया आसन के आदेश के अनुसार नियमानुसार जितने नियम पेश करने हों वह पेश किये जाय। मैं एक जानकारी करना चाहता हूं कि किन नियमों को आप रेफर कर रहे हैं।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आपने स्वयं ने बताया कि कोई नियम ऐसा नहीं है जिसके

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ऊपर पाबन्द किया जा सके कि सरकार या तो सदन की पटल पर....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इसका मतलब नहीं पेश करेंगे ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : सुनिये ना मेरी बात, मैं कभी भी नहीं कह रहा हूं, नहीं पेश करने का....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : तो फिर नियमानुसार नहीं है ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मैंने प्रारम्भ से ही कहा कि पेश कर देंगे, जो भी आसन ने कहा वह सब पेश कर देंगे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ठीक है ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : और मैंने तो यहां तक कहा है कि जो कुछ भी घोषणाएं की है वह एकदम खुल्ली हैं । जनता को भी मालूम है और सदन के माननीय सदस्यों को भी मालूम है । कहीं उसमें ऐसा नहीं है कि कोई छिपाई हुई बात है । इसलिए रखने नहीं रखने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता । लेकिन मैंने एक बात कही थी कि कहीं सदन में ऐसी गलत परम्परा नहीं पड़ जाय कि जिसकी वजह से आगे इस बात का एग्जाम्पल लेकर के हर चीज को सदन के पटल पर रखने की कोई बात हो जाय । इसलिए मैंने आप से भी निवेदन किया था कि आप भी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आपसे भी निवेदन किया था कि आप भी इस बात को गम्भीरता से सोचें और आसन से भी निवेदन किया था कि इस बात को सोचा जाय । मैंने और कोई बात नहीं कही थी ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है गलत परम्परा पड़ेगी नहीं इतना तो आपको एश्योर करता हूं । तो सरकार की तरफ से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार जिन नियमों की आड़ में पत्र प्रस्तुत करना चाहती है या नहीं करना चाहती ऐसे कोई नियम एग्जिस्ट नहीं करती । कोई नियम एग्जिस्ट नहीं करती । अब मैं एक जानकारी करना चाहता हूं कि जब नियम एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आप किन नियमों के अनुसार कागज पेश करेंगे ताकि वह नियम पढ़ने का तो हमको मौका मिल जाय और हम भी कह सकें ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आपने जब कल कम्पेल किया था मुख्य मंत्रीजी को तब उन्होंने कहा था कि जो भी मुझे नियमों के अनुसार पेश करना जरूरी होगा वह मैं पेश कर दूंगा । यह बात उन्होंने कही थी ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वही मैं पूछना चाहता हूं ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : और उसी चीज को मैंने अभी दोहराया है और अब जब आसन का निर्देश हो गया तो फिर नियमों का सवाल नहीं रहा कहीं ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मतलब अब नियमों की कोई आवश्यकता नहीं रही ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मैंने कब कहा इस बात को, आप आसन के आदेश को देख लीजिये ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : देख लिया है ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आसन का जो आदेश होगा उसकी पालना की जायेगी ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अब आपके सामने नियमानुसार पेश करने की जो शर्त है वह हट गई है यह मान लूं मैं ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : इसमें सन्देह क्यों हो रहा है इतना आपको । इसमें आपको सन्देह क्यों रहता है । आसन से जो भी आदेश दिये हैं उसकी पालना करेंगे ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : सन्देह तो इस बात का नहीं हो रहा है....(व्यवधान)

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो माननीय विपक्ष के नेता ने कहा और माननीय देवपुरा साहब ने कहा उसमें क्रक्स आफ दी प्रोब्लम यह है कि आप वह सभी पत्र, परिपत्र सदन में रखवाना चाहते हैं और सरकार यह कह रही है कि नियमानुसार और आप कह रहे हैं कि नियम नहीं है । इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करुंगा कि आप वह कौन से पत्र जो चाहते हैं । उस सम्बन्ध में चैम्बर में बैठ कर मीटिंग कर लें और उसके आधार पर माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात कर लें जिससे कल जो पत्र आयें उसके सम्बन्ध में विवाद नहीं हो । इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और देवपुरा साहब के साथ बैठ कर आप मुख्य मंत्रीजी से बात कर लें और सदन की कार्यवाही चलने दें । (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ठीक है, कर दो साहब ।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : अध्यक्ष महोदय, फैसला क्या किया आपने ।

**श्री यदुनाथसिंह** : कुछ रुलिंग तो दीजिये ।

**श्री अध्यक्ष** : आगे कार्यवाही चले....

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : इस तरह से धोखाधड़ी नहीं चलेगी । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अभी बात करते हैं (व्यवधान)

**श्री यदुनाथसिंह** : जाओ और बात जल्दी करो, इम्पेश्येंट हो रहे हैं, जल्दी करो आप।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : अध्यक्ष महोदय, क्या फैसला हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ऐसा है जब तक सदन की कार्यवाही चलती रहे....

**श्री यदुनाथसिंह** : कार्यवाही नहीं चलेगी ।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : नहीं चलेगी, नहीं चलेगी कार्यवाही ।

**श्री यदुनाथसिंह** : कोई कार्यवाही नहीं चलेगी ।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : किसी भी सूरत में नहीं चलेगी ।

**श्री अध्यक्ष** : तो ब्रेक चाहते हैं । आप लोग क्या चाहते हैं ।

**श्री यदुनाथसिंह** : आप हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करवाना चाहते हैं । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 1.37 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(म. प. 2.07)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 2.08 बजे एक घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(म. प. 3.08)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

**श्री अध्यक्ष** : श्री हीरालाल देवपुरा।

**श्री हीरालाल देवपुरा (विधि मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, जिन सूचनाओं के लिए सदन में बात हुई थी वह आदेश जो भी घोषणाएं की हैं 4.30 बजे सदन के पटल पर रख देंगे। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : अध्यक्ष महोदय, 4.30 बजे का सवाल नहीं है। यह हाउस पहले जब स्थगित हुआ था उस समय दो बातें रह गईं। आप 4.30 बजे रखिये लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आपको आर्टिकल 324 संविधान के अन्तर्गत चुनाव आयोग के निर्देशों की प्रतियां भी भेजी थीं स्थगन प्रस्ताव के साथ और यह भी कहा था कि जितने स्थानान्तरण राज्य सरकार ने किये हैं उन सब स्थानान्तरणों की प्रतियां और विशेषकर जो एस. डी. एम. और ए. डी. एम. चुनावों की प्रक्रिया में लगे हुए थे उनके ट्रांसफर किये गये हैं और इस कारण से किये गये हैं कि 10-10 हजार फर्जी वोट जोड़ो नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर किया जायेगा और इसके बाद जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर्स की, एम. एल. एज. की कांस्टीटुयेन्सी में बदला गया है और उनको दस-दस हजार फर्जी बैलटपेपर फार्म दिये गये हैं जिन पर नकली वोट लिखे हुए हैं फर्जी वोट जोड़ने के लिए 10-10 हजार फार्म देकर लोगों को भेजा है मैं आरोप लगाता हूं। अध्यक्ष महोदय, 4.30 बजे नहीं, अभी आप सारे ट्रांसफर की कापियां पेश करें, चुनाव आयोग के निर्देशों की कापियां पेश करें। इनको पेश कराये बिना बात नहीं चलेगी। यह सरकार सदन में चुनाव आयोग का मजाक उड़ाना चाहे, सदन में सरकार संविधान का मजाक उड़ाना चाहे और सरकार अनैतिक काम करें तो यह सदन मुख बन्द नहीं कर सकता। जब तक सरकार यह आदेश सदन के पटल पर नहीं रखेगी अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यवाही स्थगित करिये.. (व्यवधान)

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, सदन में यह चर्चा हुई थी राज्य सरकार ने जो घोषणाएं इन दिनों की थी उस विषय में चर्चा थी उन घोषणाओं के लिए विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने माननीय मुख्य

62



(श्री हीरालाल देवपुरा)

मंत्री जी से भी कहा था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल यह कहा था कि स्टेटमेंट देंगे और जो अधिसूचनाएं, जो हमने आदेश निकाले हैं घोषणाओं से सम्बन्धित, वह आदेश सदन के पटल पर रखने के लिए उन्होंने कहा था कि नियमानुसार जो भी होगा हम रख देंगे। उसके बाद आज जो चर्चा हुई उस चर्चा के बाद यह फैसला हुआ कि 4.30 बजे, हमने वह प्रतियां मंगाई है, वह सदन के पटल पर हम रख देंगे। स्थानांतरण का जहां तक सवाल है वह कोई परम्परा नहीं रही, न कोई कारण रहा है कि जो भी स्थानांतरण राज्य सरकार करे इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया जाये। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : इलेक्शन कमीशन के निर्देशों की अवहेलना आपने की है। आर्टिकल 324 का वायलेशन आपने किया है। आप जानबूझकर इस बात को दबाना चाहते हैं....(व्यवधान)

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : यह कोई परम्परा नहीं है....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मेरा स्थगन प्रस्ताव था....

**श्री प्रभुलाल** : आप जोर से बोल रहे हैं हम भी जोर से बोल सकते हैं....

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : आप जोर से बोलकर इस तरह से डरा नहीं सकते।

**श्री प्रभुलाल** : आप क्या है? जिस दिन आये उस दिन बताना। सदन की कोई परम्परा नहीं है। सब को तोड़कर ताक में रख दिया।

**श्री अध्यक्ष** : शांति से....

**एक माननीय सदस्य** : + + + अब आपकी नींद उड़ने वाली है....

**श्री अध्यक्ष** : इसको एक्सपंज करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी थी, कल ट्रांसफरों की बात माननीय शेखावत साहब ने भी उठाई थी, मैंने भी उठाई थी उस समय आपने कहा था कि स्थानांतरण जो चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना में किये गये हैं उनकी प्रतियां भी रखेंगे और चुनाव आयोग के निर्देशों की प्रतियां भी रखेंगे।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय देवपुरा जी ने अभी हाउस में कहा कि हम 4.30 बजे प्रतियां रख देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह कल की बात है कोबाल्ट थैरेपी की मशीन की जांच के बारे में जो हाउस में मुद्दा उठा था माननीय मंत्री महोदया ने आश्वासन दिया था कि 24 घण्टे के अन्दर इसकी रिपोर्ट आपको बता देंगे। आज के दिन उपाध्यक्ष जी ने यह निर्देश दिये कि फिर सरकार की ओर से आश्वासन आया लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। कल मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में स्टेटमेंट देने के लिए कहा था कि जो भी यह घोषणाएं हुई है उनके बारे में वह इस हाउस के अन्दर वक्तव्य देंगे....

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : रख रहे हैं। इन्होंने बोल दिया है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : क्या रख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, सवा तीन बज गये। हमें यह जानकारी है कि राज्य सरकार भागना चाहती है... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह आपको भी नजर आ रहा है। सिर्फ लंगोटी बदली है और यह भी छीन कर ले जाने के लिए तैयार बैठे है। अध्यक्ष महोदय, हमें कतई विश्वास नहीं है, इसमें कहां दिक्कत है। क्यों समय की बर्बादी कर रहे हैं। आप उन आदेशों की प्रतियां रख दें। उसके बाद जो भी आपको बिजनस लेना है वह ले लें।

**श्री अध्यक्ष** : विश्वास करें। पुष्पा जी। पुष्पा जी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, यह जनता के अन्दर, इसके बारे में इतना गुस्सा है।

**श्री अध्यक्ष** : वह शान्त करिये। शान्त रहिये, गुस्सा मत करिये। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : कान्ता खथूरिया जैसी महिला को जिसके विरुद्ध इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं....

**श्री नाथूराम अहारी** : आपको क्यों + + + श्रीमान्। कान्ता खथूरिया, कांता खथूरिया क्या है। आप है क्या सुबह से हीं यही बात रख रहे हैं। (व्यवधान) सदन का समय बरबाद मत करो।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आपके हरिदेव जोशी जी को....(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, आगे की कार्य सूची चालू की जाय।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आपके हरिदेव जोशी जी को ऐसी क्या अच्छी लग रही है कि उसको लेजा करके वहां अजमेर में पटक दिया।

**श्री नाथूराम अहारी** : आपके पास और कुछ नहीं है क्या। कान्ता खतूरिया, कान्ता खथूरिया। यह सदन की कार्यवाही में है क्या ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : लोक सेवा आयोग में ऐसे सदस्य हो जिनकी छवि बिल्कुल साफ हो (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये आप।

**श्री देवीसिंह भाटी** : उनके चरित्र के ऊपर ऐसी कोई शंका नहीं हो। लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के एडवोकेटिव क्रीम वहां से निकलती है (व्यवधान) + + + यदि वहां पर बैठ जाती है....

**श्री अध्यक्ष** : वह नियुक्ति गवर्नमेंट को करने का अधिकार है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अगर ये नियुक्तियां ही होनी थीं अध्यक्ष महोदय, तो यह नई सरकार का गठन हो जाता। अध्यक्ष महोदय, आपको भी इनके ऊपर निश्चित तौर से गुस्सा आ रहा होगा। ठीक है, आप हाउस में नहीं कहें, आप अपनी भावना को नहीं कह सकते हैं लेकिन हरिदेव जोशी ने यह बिलकुल गलत किया है कि राजस्थान लोक

---

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवीसिंह भाटी)

सेवा आयोग की सदस्या कौन—लोगों ने अखबारों में पढ़ा कान्ता खथूरिया, अध्यक्ष महोदय....

**श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल** : हरिदेव जी ने आपका ख्याल रखा है कि आप आराम से जीत कर आ जाय। (व्यवधान)

**श्री नाथूराम अहारी** : सुबह से लगातार अभी तक बराबर महिलाओं के बारे में इस तरह से हाउस में आवाज उठाना गलत है....(व्यवधान) गलत है साहब यह।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : महिलाओं नहीं केवल महिला। अच्छी बात नहीं है भाई....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : 295 ले रहा हूं। 295।

**श्री देवीसिंह भाटी** : राज्य सरकार ने जो घोषणा की है अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुक्तिलाल मोदी।.... श्री मोदी जी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : राजस्थान की जनता के साथ धोखाधड़ी है।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा जा चुका है।

**श्री अध्यक्ष** : मोदी जी। मोदी जी।

**सुश्री पुष्पा जैन** : आप मेरा नाम पुकार चुके हैं अध्यक्ष महोदय,।

**श्री अध्यक्ष** : 295।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा जा चुका है। (व्यवधान) पर आपने ही तो नाम पुकारा है हुकुम।

**श्री देवीसिंह भाटी** : ये घोषणा की हम 15 हजार तक के कर्जे माफ कर देंगे.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये थोथी घोषणाएं है। अगर वे प्रतियां सदन के पटल पर आ जाय तो यह राज्य सरकार नंगी हो जायगी: क्योंकि इस प्रकार के आदेश हुए ही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोदी जी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : सिर्फ अखबारों में यह घोषणा की है अध्यक्ष महोदय....

**श्री सम्पत सिंह** : पाइंट ऑफ ऑर्डर सर। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि उन्होंने अपने मनमाने तरीके से नियुक्ति की है अजमेर के लोग जो आपने लोक सेवा आयोग में कान्ता खथूरिया की नियुक्ति की है उससे नाराज है, वह वापिस ले लें।

**श्री अध्यक्ष** : 295।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हम फिर अपने आप चुपचाप बैठ जायेंगे। (व्यवधान) +++अगर वहां का सदस्य बना दिया

---

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवीसिंह भाटी)

तो उससे आम नागरिक का विश्वास उठ जायेगा। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : माननीय सदस्य को हम दो दिन से सुन रहे है। यह कोई तरीका है क्या। एक औरत का नाम ले करके जो मरजी आवे वह बात कह दें... (व्यवधान) और वह महिला जो है पढ़ लिखी है। वह जिला प्रमुख रही हुई है वह यहां की सदस्या रही हुई है और वह भ्रष्ट है तो आप साबित करवाइये। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : आप उसको मंत्री मण्डल में ले लेते।

**श्रीमती कमला** : बहुत गलत बात है।

**श्री अध्यक्ष** : कोई महिला का अगर अपाइन्टमेंट हो गया तो कोई प्रश्न हो गया क्या। महिला होनी भी चाहिये।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आपको क्या तकलीफ है। उसे मंत्री मण्डल में ले लीजिये।

**श्रीमती कमला** : इसलिए कि वह एक महिला है....(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : आप मंत्री मण्डल में ले लीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : कोई आक्षेप नहीं होना चाहिये महिलाओं पर। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : कोई एतराज नहीं है आप मंत्री मण्डल में ले लें।

**श्रीमती कमला** : जो बात कहने की है वह ही कहिये।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आप मंत्री मण्डल में ले लेते तो कोई बात नहीं थी।

**श्री अध्यक्ष** : अब 295।

**श्रीमती हमीदा बेगम** : महिला को बराबर अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं दिया है आपको।

**श्री अध्यक्ष** : मोदी जी।

**श्रीमती हमीदा बेगम** : बार-बार कोट करने की जरूरत नहीं है यहां पर।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, 295 के लेने से पहले।

**श्री अध्यक्ष** : महिलाओं पर कोई आक्षेप नहीं लगाने चाहिये, अगर वह हो गई है। कोई थी भी नहीं।

**श्रीमती हमीदा बेगम** : संभ्रान्त महिला है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : अध्यक्ष महोदय, पहली बार एक महिला बनी है। पहली बार सेवा आयोग....(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : अगर वह सदस्या रहेगी तो इस प्रदेश का भविष्य अन्धकारमय है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : उनके बायो डेटा देखना पहले आप। बायो डेटा में काफी एक्सपीरियन्स है।

**श्रीमती हमीदा बेगम** : इनके संकुचित दिमाग का दायरा है यह।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : 295 के सम्बन्ध में आपने श्री मोदी जी को बोलने के लिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहा है लेकिन उसके पहले कुछ ऐडजोर्नमेंट मोशन्स है जिन पर आपने अनुमति नहीं दी है। सदन की परम्परा यह रही है कि जिन पर आप अनुमति नहीं दें, उन पर दो-दो मिनट बोलने का समय दिया जाता है। क्या वह समय दे दिया ? (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (संसदीय कार्य मंत्री) : विपक्ष के नेता महोदय उसमें ऐसा हो गया था कि 295 पर बोलेंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह कब हुआ था।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : आपने स्वयं कहा था कि एक घण्टे से ज्यादा जीरो आवर नहीं चलेगा और यह व्यवस्था हुई थी। आपने ही तो तय किया था। अध्यक्ष महोदय, बिना वजह ही लोग सुबह से ही सदन का समय खराब कर रहे हैं। आर. पी. एस. सी. के बारे में जो डिसक्शन नहीं होना चाहिये वह हो रहा है। इसलिए जो सदन की कार्य सूची है उसके अन्दर ही कार्यवाही करें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि आज तक की सदन की यह परम्परा रही है और आपने ही बनाई है और उस परम्परा के अनुसार जो आप ऐडजोर्नमेंट मोशन रिजक्ट करते है या जिन पर आप अनुमति नहीं देते हैं और जिन सदस्यों ने ऐडजोर्नमेंट मोशन दिये हैं उनको अब तक दो-दो मिनट, तीन-तीन मिनिट जो भी आप उचित समझें, बोलने की आपने अनुमति दी है। यह आज।

**श्री पंकज पंचोली** : बदल दिया गया है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदला।

**श्री अध्यक्ष** : मैं कह दूं, आपने व्यवस्था नहीं देखी। मैंने अधिकतर इसकी जानकारी चाही है और जो डिसपोज आफ हो सकते थे वह डिसपोज आफ मैंने कर दिये हैं उनकी सूचना हो चुकी है। व्यवस्था दे चुका। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपने डिसपोज आफ कर दिये।

**श्री अध्यक्ष** : हां, रिजेक्ट किसी को नहीं किया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हां, यही मतलब है। अध्यक्ष महोदय जिनको रिजक्ट करते हैं या डिसपोज आफ करते हैं अब तक आपने उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है।

**श्री अध्यक्ष** : ऐसा कोई नहीं है इसमें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, है इसमें। चार को अनुमति नहीं दी है।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं दी है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं है, देख लीजिये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं कह रहा हूं न आप मेरी अर्ज तो सुनिये। एक मिनिट सुनिये। इन चार के बारे में आप कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर.... पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर....पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर ।

**श्री अध्यक्ष** : यह है—उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः मैं इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं । फिर भी राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में दिनांक 30 दिसम्बर को वक्तव्य देंगे ।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : पाइंट आफ आर्डर सर....पाइंट आफ आर्डर सर ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ऊपर वाले में .. नीचे वाले बोलिये आप ।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं चार है और दूसरे दो और बोलता हूं । डिसपोज आफ का किया है यह है । जिले के गठन के सम्बन्ध में कल चर्चा हो चुकी है ।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : पाइंट आफ आर्डर सर । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि निश्चित कर दी गई है ।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, पॉइंट आफ आर्डर सर....

**श्री अध्यक्ष** : उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर....

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : पाइंट आफ आर्डर सर ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : जिन पर आपने अनुमति नहीं दी ।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर सर....।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उन पर सोचने का राइट है ।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, ये भी डिसपोज आफ कर दिये मैंने । इन पर भी कल चर्चा हो चुकी है ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : डिसपोज आफ करें या अनुमति नहीं दें ।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, अगर है । यह करता कि ये अस्वीकार किये जाते हैं । डिसपोज आफ किये हैं, अस्वीकार नहीं किये हैं ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इससे बड़ा क्या इम्पारटेंट मेटर होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने परीक्षार्थी, वहां 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे है ।

**सुश्री पुष्पा जैन** : 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं वे लोग ।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

**सुश्री पुष्पा जैन** : कैसे डिसपोज आफ कर दिया आपने ।

**श्री अध्यक्ष** : तारीख निश्चित हो चुकी है ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : तारीख कहां की निश्चित हो चुकी ?

**सुश्री पुष्पा जैन** : कहां की तारीख निश्चित हुई है—भूख हड़ताल की ।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : पाइंट आफ आर्डर।

**सुश्री पुष्पा जैन** : भूख हड़ताल की तारीख निश्चित हुई है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : शायद सरकार को जानकारी नहीं है।

**सुश्री पुष्पा जैन** : 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, एक मिनिट भाटी जी।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : थैन्क्यू सर। मुझे लगता है कि भैरोंसिंह जी से आप प्रभावित हो गये हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं, माननीय भूतपूर्व मंत्री महोदय को जानकारी दे दूं कि जब आसन पैरों पर हो तो पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : विपक्ष के नेता महोदय इतनी नई परम्पराएं डाल रहे है इस सदन में कि मैं इनका अभी उसकी तरफ ध्यान तो आकर्षित करना नहीं चाहता लेकिन आपके माध्यम से मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, खास कर मंत्रीजी को, मेरा ख्याल है यह पहली बार होगा कि ऐसे कागजात घोषणाओं के, इत्यादि यह पहली बार परम्परा हो रही है, पुष्पाजी, यह पहली बार हो रही है....

**एक माननीय सदस्य** : यह पहली बार गड़बड़ हो रही है।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : कोई गड़बड़ नहीं है। मैं तो सिर्फ यह क्लेरीफाई करवाना चाह रहा हूं क्योंकि कल सदन के नेता ने जो आश्वासन दिया था, मेरा ख्याल है, सदन के सदस्य जो यहां विराजमान थे उन्होंने कहीं भी यह कमिटमेंट नहीं किया कि आदेश जितने भी निकाले गये हैं वह टेबल करेंगे। और अगर उनको जो भी घोषणाएं करनी हैं और जो भी हुई हैं वह अपने भाषण में उनके बारे में चर्चा करेंगे और अनाउन्समेंट के रूप में इस सदन को विश्वास में लेंगे। अब आज कभी तो माननीय सदस्य घनश्यामजी तिवाड़ी जो कि ट्रांसफरों तक पहुंच गये हैं, मैं मंत्री महोदय यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह परम्परा हो गई तो कल यह भी होगा कि आफिसर्स की ए. सी. आर. को भी यहां टेबल करनी पड़ेगी।

**एक माननीय सदस्य** : हां, करेंगे।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : कभी नहीं हो सकती है। सम्पतसिंह साहब, यह कोई भी लेजिस्लेटिव हाउस....

**श्री सम्पत सिंह** : माननीय भाटीजी, यह पर्दे का चलन अब तोड़ा जायगा और प्रधान मंत्री भी इससे ऊपर नहीं होगा। (व्यवधान)+++

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसी

---

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

कोई परम्परा होने जा रही है तो आप इसमें इन्टरवेन्शन करके मेहरबानी करके यह नहीं होने दें।

**श्री दिग्विजय सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इसको रीओपन कर रहे हैं क्या ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खुशी की बात है कि सत्तारूढ़ दल के एक माननीय सदस्य के दिमाग में एक नई चीज पैदा हुई है।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : नई नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : सुन तो लेओ, हमने सुना है आपको।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : आपको भी हुकुम में अर्ज कर रहा हूं, आप ब्राउवीट करके यह जो नई परम्परा डलवा रहे हो, मैं सोचूंगा कि भैरोंसिंह साहब, आप अपने दिल पर हाथ रखो, कभी आपको मौका मिल जावे भविष्य में तो मैं शर्त लगा कर कह सकता हूं कि आप यह परम्परा नहीं डालोगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल पर हाथ रख कर यह कहता हूं.....

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : सच्चे दिल का, यह असेम्बली वाला दिल नहीं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह कोट के नीचे हाथ रख करके मैं कहता हूं, यह कोई परम्परा गलत नहीं है। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, भाटी साहब जैसा व्यक्ति इस प्रकार आर्ग्यूमेंट दें कि कल यह कहेंगे कि ए. सी. आर. की प्रति यहां रखें। हमने कोई कान्फिडेंसियल लैटर्स की कापी यहां नहीं मांगी है। पब्लिक डाकूमेंट्स की कापी मांगी है। और पब्लिक डाकूमेंट्स की कापी मांगना, यह मैं समझता हूं विधायक के नाते तो मेरा विशेषाधिकार है ही,....

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : आप ट्रांसफर आडर्स की कापियां मांग रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं बताता हूं आपको। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रांसफर्स के आर्डर की कापी मांग कर आपत्ति क्या कर दी ? मुझे एक बताइये, यह क्या कोई ट्रांसफर्स आर्डर सीक्रेट है ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : यह तो हाउस में रखने की बात है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मेरी सुनिये। क्या यह आर्डर सक्यूलेट नहीं होते।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : होते हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : सक्युलेट होते हैं उनका कम्पाइलेशन मांग रहे हैं। आप टेबल पर मत रखिये, यों ही दे दीजिये हमको। टेबिल पर मत रखिये, आप अपनी प्रतिष्ठा बचा लीजिये और हमको हमारे हाथ में दे दीजिये कि इतने ट्रांसफर्स हुए हैं, इसमें कौनसी आपत्ति है ? आप लेकिन आडर्स हमको देना नहीं चाहें, कम से हम मांग रहे हैं कि आडर्स की कापी दी जाय, ऑडर्स की कापी आप देते नहीं और इस कारण से सदन का संरक्षण लेना पड़ा है। जो सरकार....

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, पालिसी की घोषणा कोई होती है, उसको मांगते वह तो आखिर समझ में आती है बात, लेकिन यह थोड़े ही है कि सब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डस हों, उनको हाउस की टेबिल पर रख दिया जाय।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : पालिसी तो यह होनी चाहिए कि इलेक्शन के दिनों के अन्दर इस लार्ज स्केल पर ट्रांसफर्स नहीं हों। अगर आपकी यह पालिसी है कि इलेक्शन के दिनों के अन्दर लार्ज स्केल के ऊपर ट्रांसफर्स हो तो उस पालिसी की कापी रख दीजिये, झगड़ा खत्म हुआ। पालिसी नहीं है तो उस पालिसी के अगेंस्ट में काम हुआ है...

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, जब-जब भी किसी चीज को आवश्यक समझा जाता है, किसी भी कारण से, एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट आफ व्यू से, तो आफिसर्स के ट्रांसफर किये जाते हैं।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू)** : अध्यक्ष महोदय, मान लो, आपके पास यदि कापी रख भी दी जाय तो उसकी क्या आवश्यकता है आपको ? आप क्या करेंगे उसका ? (व्यवधान)

**श्री भूदरमल वर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नये जो प्रधान मंत्रीजी बने हैं उन्होंने केन्द्र में सैक्रेटरीज के ट्रांसफर किये हैं। यह अभी किये हैं चार रोज पहले ही। केन्द्र में सैक्रेटरीज के ट्रांसफर किये हैं तो उन्होंने क्यों किया है। और आज भी आया है पेपर में केन्द्र में जो हुआ। क्या वे सम्बन्धित नहीं हैं उससे ?

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : मैं विरोधी दल के नेता महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं, वह हमसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा तीस साल की हमारी उम्र जो है, उसके बराबर या उससे कम या ज्यादा वर्षों से यहां के सदस्य रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं उनको छोटे हाथ से, हमारे बुजुर्ग नेता हैं आप, हम आपके पदचिन्हों पर चल कर कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि इस प्रकार की ट्रांसफर आर्डर की कापियों को या कोई घोषणा करने की कापियों को, पहली बात तो आप यह बता दें कि क्या यह सदन की धरोहर है ? नम्बर दो, यह बता दें कि यदि आपके सामने रख भी दी जाय तो फिर उनको आप क्या करेंगे ? नम्बर तीन, उनकी आवश्यकता क्या है ? यह बता दें आप।

**श्री अध्यक्ष** : मोदीजी।

**एक माननीय सदस्य** : परेशान करने के लिए किस-किस के ट्रांसफर किये यह पता लगायेंगे।

**सुश्री पुष्पा जैन** : आन ए पाइंट आफ आर्डर सर।

**श्री सम्पत सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुक्तिलाल मोदी। मोदीजी कृपया पढ़ेंगे।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा नाम पुकार चुके हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुक्तिलाल मोदी, श्री हरिकुमार औदिच्य। श्री चम्पालाल

(श्री अध्यक्ष)

बांठिया। श्री फूलचन्द। श्री मांगीलाल मेघवाल। श्री प्रभुदयाल मीणा। श्रीमती उज़्ला अरोड़ा। माननीय सदस्यों के 295 के प्रस्ताव पढ़े हुए माने गये।

(कृपया परिशिष्ट—7 देखें)

(व्यवधान)

सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्र। सुश्री गिरिजा व्यास।

**सदन की मेज पर रखे गये पत्र**

**राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखे 1987–88 व नवां वार्षिक प्रतिवेदन**

**सुश्री गिरिजा व्यास** (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उपधारा 3 (बी) के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1987–88 के वार्षिक लेखे एवं नवां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं। (व्यवधान)

**समिति का प्रतिवेदन**

**प्राक्कलन (क) समिति, 1988–89 का छठा प्रतिवेदन**

**श्री अध्यक्ष** : श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** (सभापति, प्राक्कलन समिति "क") : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति प्राक्कलन समिति "क", 1988–89 खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग से सम्बन्धित समिति का छठा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री पंकज पंचोली।

(सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

**कार्य सलाहकार समिति का 29 वां प्रतिवेदन**

**श्री पंकज पंचोली** (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं, कार्य सलाहकार समिति के 29 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

"कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 1989 को म. प. 2.30 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने दिनांक 29 व 30 दिसम्बर, 1989 को सदन में विचारार्थ लिये जाने वाले विषयों पर विचार किया। समिति सिफारिश करती है कि उक्त तिथियों को कार्य निम्न क्रम में लिया जाय :—

(1) राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1989,

(2) राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989

(3) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1989

(4) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान गैर सरकार शैक्षिक संस्था विधेयक, 1989

(श्री पंकज पंचोली)

(5) विद्युत मण्डल के ऋण लेने की सीमा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में शासकीय संकल्प–पर विचार एवं पारण ।"

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29 वें प्रतिवेदन कर अपनी सहमति प्रकट करता है ।" (निरन्तर व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 30 दिसम्बर 1989 के दोपहर 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती हैं ।

(तद्नन्तर सदन की बैठक म. प. 3.30 बजे शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 1989 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

## परिशिष्ट—1

### तारांकित प्रश्न संख्या 11 की सूची

### दी नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. नागौर

### बैंक में अस्थायी नियुक्त कर्मचारियों की सूची

| क्रमांक | नाम कर्मचारी | पद जिस पर नियुक्ति की गई | दैनिक/मासिक वेतन रुपये | अवधि कब से | अवधि कब तक | किस कारण दैनिक वेतन पर नियुक्ति की गई | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | श्री सीताराम | टाईपिस्ट | 20/—दैनिक | 1-1-87 से | 6-12-88 (सेवा समाप्त) | बैंक कार्य हेतु रिक्त पद पर | सेवा समाप्त |
| 2. | श्री सुरेन्द्र सिंह | ,, | 20/— ,, | 8-12-88 से | 7-1-89 (सेवा समाप्त) | ,, | ,, |
| 3. | श्री धन्ने सिंह | लिपिक | 20/— ,, | 16-11-88 से | 15-12-88 | ,, | ,, |
| | | | 20/— ,, | 17-4-89 से | 16-5-89 | ,, | ,, |
| | | | 20/— ,, | 27-5-89 से | 24-6-89 | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | श्री पूनाराम | लिपिक | 20/– ,, | 16-12-88 से 15-1-89 | | बैंक कार्य हेतु | सेवा समाप्त |
| | | | 20/– ,, | 17-1-89 से 28-2-89 | | ,, | |
| | | | 20/– ,, | 4-3-89 से आगामी आदेशों | | | |
| | | | 20/– ,, | 31-3-89 से सेवा समाप्त | | | |
| | | | 600/– मासिक | 3-4-89 से 30-6-89 | | ,, | |
| | | | 600/– ,, | 1-7-89 से 31-7-89 | | ,, | |
| | | | 600/– ,, | 1-8-89 से 27-8-89 | | ,, | |
| | | | 600/– ,, | 28-9-89 से नवनियुक्ति तक | | ,, | |
| | | | | 29-11-89 को सेवा समाप्त | | | सेवा समाप्त |
| 5. | श्री सोहन राम | च. श्रे. क. | 14/– दैनिक | 2-12-88 से 31-12-88 | | ,, | |
| | | | 450/– मासिक | 3-1-89 से 28-2-89 | | ,, | |
| | | | | 3-4-89 से 30-6-89 | | ,, | |
| 6. | श्री सोहन राम | ,, | 450/– | 1-7-89 से 31-7-89 | | ,, | |
| | | | 450/– | 17-8-89 को स्थाई | | ,, | रजिस्ट्रार महोदय की स्वीकृति फा. 48(19) सविरा/बैंक-2/86 दिनांक 4-7-89 के द्वारा मृतक कर्मचारी के स्थान पर नियुक्त किया गया। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | श्री खाजू खां | चौकीदार | 20/– प्रतिदिन | 9-1-89 से 28-2-89 | | भू. पू. सैनिक | |
| | | | 20/– ,, | 1-4-89 से 30-4-89 | | | |
| | | | 20/– ,, | 1-5-89 से 30-6-89 | | | |
| | | | 20/– ,, | 1-7-89 से 31-7-89 | | | |
| | | | 20/– ,, | 1-8-89 से अन्य व्यवस्था तक | | | |
| 8. | श्री प्रकाश चन्द | लिपिक | 20/– दैनिक | 3-1-89 से 28-2-89 | | बैंक कार्य हेतु | |
| | | | 20/– ,, | 4-3-89 से आगामी आदेश | | | |
| | | | 20/– ,, | 31-3-89 से सेवा मुक्त | | | |
| | | | 600/– मासिक | 3-4-89 से 30-6-89 | | | |
| | | | 600/– ,, | 1-7-89 से 31-7-89 | | | |
| | | | 600/– ,, | 1-8-89 से 27-9-89 | | | |
| | | | 600/– ,, | 28-9-89 से नवनियुक्ति तक | | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | श्री राजीव भाटी | ,, | 20/– प्रतिदिन | 13-2-89 से 31-3-89 | | ,, | |
| | | | 20/– ,, | 3-4-89 से 30-4-89 | | ,, | |
| | | | 20/– ,, | 6-5-89 से 30-6-89 | | ,, | |
| | | | 20/– ,, | 1-7-89 से 31-7-89 | | ,, | |
| | | | 600/– मासिक | 1-8-89 से 27-9-89 | | ,, | |
| | | | 600/– ,, | 28-9-89 से नवनियुक्ति तक | | ,, | |
| 10. | श्री दिनेश कुमार | लिपिक | 20/– दैनिक | 14-3-89 से 30-4-89 | | ,, | |
| | | | 20/– ,, | 4-5-89 से 30-6-89 | | ,, | |
| | | | 20/– ,, | 1-7-89 से 31-7-89 | | ,, | |
| | | | 600/– मासिक | 1-8-89 से 27-9-89 | | ,, | |
| | | | 600/– ,, | 20-9-89 से नवनियुक्ति तक | | ,, | |
| 10. | श्री मोहम्मद युसूफ | लिपिक | 20/– दैनिक | 10.4.89 से 31.5.89 | | ,, | |
| | | | 20/– ,, | 1.6.89 से 30.6.89 | | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20/– दैनिक | 1.6.89 से 31.7.89 | | बैंक कार्य हेतु | |
| | | | 600/– मासिक | 1.8.89 से 27.9.89 | | ,, | |
| | | | 600/– ,, | 28.9.89 से नवनियुक्त | | ,, | |
| 12. | श्री गिरिश | टाइपिस्ट | 20/– दैनिक | 4.5.89 से 30.6.89 | | ,, | सेवा समाप्त |
| | | | 20/– ,, | 1.7.89 से 31.7.89 | | ,, | |
| 13. | श्री रामेश्वर लाल | लिपिक | 20/– दैनिक | 11.5.89 से 30.6.89 | | ,, | |
| | | | 20/– ,, | 1.7.89 से 31.7.89 | | ,, | |
| | | | 600/– मासिक | 1.8.89 से 27.9.89 | | ,, | |
| | | | 600/– ,, | 28.9.89 से नवनियुक्ति तक | | ,, | |
| 14. | श्री गणपत राम | लिपिक | 20/– दैनिक | 17.7.89 से 31.7.89 | | ,, | |
| 15. | श्री भवानी सिंह | ड्राईवर | 20/– दैनिक | 1.7.89 से 31.7.89 | | ,, | एक कार आने के कारण |
| | | | 600/– मासिक | 1.8.89 से 30.9.89 | | | |
| | | | 600/– ,, | 11.10.89 से नवनियुक्ति तक | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | श्री गोपाल लाल | लिपिक | 20/– दैनिक | 28.7.89 से नवनियुक्ति तक | | | |
| 17. | श्री प्रहलाद राय | टाईपिस्ट | 20/– ,, | 28.7.89 से नवनियुक्ति तक | | ,, | |
| 18. | श्री हिदायत खां | चौकीदार | 600/– मासिक | 28.9.89 से 26.11.89 | | ,, | रिक्त पद पर भू. पू. सैनिक |
| | | | 600/– ,, | 30.11.89 से 29.12.89 | | ,, | |
| 19. | श्री सुनिक कुडी | लिपिक | 20/– प्रतिदिन | 12.10.89 से 30.11.89 | | बैंक कार्य हेतु | सेवा समाप्त |

ह०/–
प्रबन्ध संचालक

# परिशिष्ट–2

## तारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची

परिशिष्ट "क"

राज्य सरकार द्वारा उठाये गये उपायों का संक्षिप्त विवरण :—

1. जोधपुर सम्भाग में किसी भी नये जल प्रदूषक वस्त्र उद्योग को सम्मिलित/अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने पर राज्य मण्डल द्वारा 26.11.84 से रोक लगा रखी है।

2. वस्त्र उद्योगों से निस्त्रावित दूषित जल की क्षारीयता को नियंत्रित करने के लिए राज्य मण्डल के प्रयत्नों के फलस्वरूप पाली के 90 उद्योगों एवं जोधपुर के 27 उद्योगों द्वारा कन्टीन्युअस मर्सराईजिंग की प्रक्रिया अपनाई गई।

3. मर्सराईजिंग प्रोसेस से निकलने माले दूषित जल में कास्टिक सोड़ा की मात्रा को प्रभावी रूप से कम करने एवं कास्टिक सोड़ा की पुनः प्राप्ति के लिए राज्य मण्डल की सिफारिश पर पाली के 2 एवं जोधपुर के 2 उद्योगों ने कास्टिक रिकवरी प्लांट लगा दिये हैं।

4. रंगाई-छपाई प्रक्रिया में प्रयुक्त सोड़ियम सिलिकेट के उपयोग को हटाकर पाली, बालोतरा एवं जोधपुर के क्रमशः 17, 2 एवं 8 उद्योगों ने स्टीम एजर्स लगा लिये हैं। इससे सोड़ियम सिलिकेट की वजह से दूषित जल में आने वाले घुलनशील लवण एवं सोडियम प्रतिशत की मात्रा बहुत कम हो जाती है।

5. राज्य सरकार के प्रयासों से पाली में मण्डिया रोड़ स्थित उद्योगों से निस्त्रावित उच्छिष्ठ के उपचार हेतु एक सामूहिक उपचार संयंत्र रीको के माध्यम से स्थापित करवाया गया। वर्तमान में संयंत्र चालू है।

6. पाली में वस्त्र उद्योगों से उत्पन्न उच्छिष्ठ की मात्रा एवं प्रदूषक तत्वों की मात्रा कम करवाने के लिए राज्य मण्डल द्वारा एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। इस परामर्शदाता द्वारा दिये गये सुझावों को व्यावहारिक रूप से अमल करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

7. इसी प्रकार जोधपुर व बालोतरा में भी संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार व्यवस्था स्थापित करवाने बाबत परामर्शदाताओं को रीको द्वारा नियुक्त किया गया, इनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है।

8. वस्त्र उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन हेतु एक दस्तावेज मण्डल द्वारा प्रकाशित करवाया गया है।

9. वस्त्र उद्योगों को प्रदूषण के खतरों तथा उसकी रोकथाम हेतु जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जन चेतना कार्यक्रमों के अन्तर्गत संगोष्ठि, प्रदर्शनी एवं विड़ियो फिल्म प्रदर्शन आयोजित किये गये।

10. राज्य मण्डल के अथक प्रयासों के बावजूद भी पाली, जोधपुर, बालोतरा के वस्त्र उद्योगों के उदासीन रहने पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण (अधिनियम) 1986 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की गई।

11. उद्योग विभाग द्वारा नियमित रूप से सभी उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है।

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूची परिशिष्ट–1

COOPERATIVE DEPARTMENT
RAJASTHAN

No. F. 15 (3)2/CDR/Rules/87. I Jaipur, dt. 14-12-89

ORDER

In order to expedite Audit Reports timely and to clear the backlog of audit in regard to various Cooperative Institutions, I, T.R. Verma, Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan. Jaipur, in exercise of the Powers vested in me under Section 3 (3) of Rajasthan Cooperative Societies Act, 1965, heredy direct that the Audit Offiicers shall not henoeforth exercise any Powers under Section 74 of the Act till further orders. All Pending cases under Section 74 with Regional Audit Officers be transferred to the concerned Zonal Joint Registrars and cases pending with Special Auditors bd transferted to the concerned Deputy/Assistant Registrar for disposal by them..

Sd/-
(T. R. Verma)
Registrar,
Cooperative Societies, Raj.,
Jaipur.

Copy forwarded to :—

1. Secretary to Government, Cooperative Department, Rajasthan, Jaipur.
2. All Jt./Dy./Assistant Registrar, Coop. Societies.
3. All Regional Audit Officers/Special Auditors, Coopeative Societies,
4. All Officers in Head Offiice.
5. All Institutions.

Sd/-
(S. S. Jain)
Chief Auditor.

**परिशिष्ट–2**

**1. श्री के. पी. शर्मा, महा-प्रबन्धक (वाणिज्य) "राजफैड" के विरुद्ध ऑडिट में लगाये गये मुख्य आरोप :—**

(1) "राजफैड" में प्रतिनियुक्ति के दौरान नियमों के विरुद्ध श्री राम इण्डस्ट्रीज, भरतपुर को उधार पर माल बेचा गया। यह फर्म अब मृत प्राय: हो जाने के कारण राजफैड की 2,15,709/- रु. रकम डूबन्त होगी। अत: संस्था को हानि पहुंचाने का आरोप है।

(2) "राजफैड" में प्रतिनियुक्ति के दौरान बिक्री किये गये माल की डिलीवरी समय पर नहीं देने के कारण संस्था की सम्पत्तियों को रुपये 3,57,474/- की हानि पहुंचाने का आरोप है।

**2. श्री एन. एस. चौहान, महाप्रबन्धक (कन्फैड) के विरुद्ध ऑडिट में लगाये गये मुख्य आरोप :—**

(1) वर्ष 1978–79 की ऑडिट रिपोर्ट में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के द्वारा की गई खरीद में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री एन. एस. चौहान के विरुद्ध संस्था को 93,460/- रुपये की हानि पहुंचाने का आरोप है।

**3. श्री अशोक जैमन, प्रबन्ध संचालक, गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़ जंक्शन के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट वर्ष 1984–85 के आधार पर आरोप :—**

(1) श्री अशोक जैमन द्वारा समय पर डी. जी. सेट इन्स्टालेशन नहीं कराने व निपुण श्रमिकों की नियुक्ति नहीं करने से बहुत अधिक शुद्ध हानि रही है।

(2) खरीदी गई मशीनों के साथ प्राप्त पैकिंग मैटेरियल का कोई हिसाब नहीं रखा गया है तथा लगभग 4 लाख रुपये की लकड़ी का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए तीनों प्रबन्ध संचालक श्री बबेजा, श्री भार्गव व श्री जैमन उत्तरदायी है।

(3) वर्ष 1985–86 में कई कर्मचारियों की नियुक्तियां नियम विरुद्ध की गई है। तथा सिफारिशी लोगों को नियुक्तियां दी गई है। श्री अशोक जैमन अधिकारियों के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है। 12 कर्मचारियों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा न की जाकर श्री जैमन द्वारा सीधे ही कर ली गई जबकि संस्था में दो चयन समितियां स्थापित थी।

(4) कर्मचारियों की नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा आदेशित रोस्टर प्रणाली का ध्यान नहीं रखा गया है तथा न ही रोस्टर रजिस्टर प्रचलित किया गया है।

(5) ठेकेदार मैसर्स बी.के. कन्स्ट्रक्शन कं. लि. द्वारा निर्माण कार्य बीच में रोक देने के बाद उसके द्वारा निर्माण स्थल पर छोड़ी गई सामग्री का सत्यापन नहीं कराया गया जिससे कि संस्था पर ठेकेदार द्वारा उठाये गये 94 लाख रुपये के दावे का दायित्व आ पड़ा है।

(6) ठेकेदार द्वारा स्टील दुरुपयोग के सम्बन्ध में एफ. आई. आर. शीघ्र दर्ज न कराने के लिए श्री ओ. पी. भार्गव व तत्पश्चात् श्री जैमन उत्तरदायी है।

(7) पंजीयक सहकारी समितियां, राजस्थान के समक्ष कोई दावा पंच निर्णयार्थ नहीं होने पर भी जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए 25,000/- रुपये की फीस पर वकील नियुक्त किया गया। इस अनावश्यक खर्च के लिए श्री जैमन उत्तरदायी है।

(8) उपरोक्त के पश्चात् पंजीयक, सहकारी विभाग के समक्ष ठेकेदार के विरुद्ध एक दूसरा दावा प्रस्तुत करने के लिए 47,000/- रुपये की फीस पर वकील नियुक्त किया गया।

(9) श्री अशोक जैमन तत्कालीन प्रबन्ध संचालक अधिकांश समय मुख्यावास से बाहर रहे हैं जिसके कारण कार्य का पर्यवेक्षण व नियन्त्रण नहीं किया जा सका तथा परिणामस्वरूप 15 लाख रुपये के शेष निर्माण कार्य में 18 माह का विलम्ब हुआ। वर्ष 84-85 केवल जयपुर प्रवास पर 159 दिवस रहे हैं।

(10) अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत अनावश्यक रूप से मूल्यांकन की नियुक्ति 20000/- रुपये फीस पर श्री जैमन द्वारा की गई। फीस तय करने में भी सी. बी. डी. टी. द्वारा निर्धारित फीस दरों पर ध्यान नहीं रखा गया है जिससे 16500/- रुपये का अधिक नुकसान हुआ है।

(11) सूत विक्रय अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत पार्टीज को केश डिस्काउन्ट देने व केरिंग चार्ज ब्याज व गोदाम किराया माफ करने से मिल को पहुंचाई गई 105045.46 रुपये अधिक हानि के लिए भी अशोक जैमन व विक्रय अधिकारी उत्तरदायी है।

## परिशिष्ट–4

### (समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

### जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों का सर्वे

**16. श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार की बार-बार घोषणा के पश्चात् अभी तक जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों का सर्वे नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के सर्वे का कार्य अब कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ।

#### उत्तर

(1 व 2) पूर्व में राज्य सरकार ने 20.8.71 एवं उसके पश्चात् 1.1.81 एवं 1985 के कच्ची बस्ती, बस्ती के पट्टेधारियों का सर्वे कराने के आदेश दिये थे जिसके अन्तर्गत 1981 तक का सर्वे हो चुका है । राज्य सरकार की नई घोषणा के अनुसार 15 अगस्त, 1989 तक का सर्वे अब करवाया जावेगा ।

(तारांकित प्रश्न सं. 17–स्थगित)

### राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ का ऑडिट

**18. श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि., जयपुर का 1985-86 से 1988-89 तक का ऑडिट बनाया है तथा इसका कारण चार्टेड अकाउन्टेन्ट फर्मों द्वारा काम छोड़ देना है ? यदि हां, तो बकाया ऑडिट व ऐसी फर्मों का नाम विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत तीन वर्षों में इस संघ की ऑडिट रिपोर्ट किस–किस तारीख को सहकारी विभाग को मिली तथा उनको किस-किस तिथि को जारी किया गया ? क्या अभी भी कुछ रिपोर्ट बिना जारी किये हुए सहकारी विभाग में रखी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) 1.1.1987 से अब तक इस संघ के अधिकारियों के सम्बन्ध में कितने व कौन-कौन से मामले अंकेक्षकों द्वारा सहकारी विभाग को धारा 74 में दर्ज करने के लिए भेजे गये ? उनमें से कौन-कौन से मामले दर्ज किये गये, कौन-कौन से अभी बकाया है कौन-कौन से जांच से पूर्व ही खारिज कर दिये गये ? विवरण सम्बन्धित अधिकारियों के नाम व राशि सहित सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्टों में अनेक आई. ए. एस., आर. ए. एस. सहकारी सेवा व राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों पर आरोप लगाये गये हैं ? इसी कारण से ऑडिट रिपोर्टों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है तथा मामले दर्ज नहीं किये जा रहे हैं ?

(5) अब सरकार कब तक ऑडिट

(श्रीमती विद्या पाठक)

रिपोर्टस का निस्तारण व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। संघ का वर्ष 1985-86 का ऑडिट किया जाकर रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 86–87 व 87–89 का ऑडिट बकाया है। उक्त ऑडिट क्रमशः मै. कालानी एण्ड कम्पनी एवं मै. घीया एण्ड कम्पनी चार्टेड अकाउन्टेन्ट को आँवटित था लेकिन कुछ अंकेक्षण कार्य करने के बाद उक्त फर्मों द्वारा निर्धारित अंकेक्षण फीस 8,000/– रुपये से बहुत अधिक वृद्धि की मांग को विभाग द्वारा अस्वीकार कर वर्ष 86–87 व 87–89 का ऑडिट आँवटन दिनांक 24.4.89 व 20.10.89 क्रमशः में विभागीय अंकेक्षकों को किया गया है।

(2) गत तीन वर्षों में संघ की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने व जारी करने का विवरण निम्न प्रकार है :—

| क्र. सं. | वर्ष | दिनांक रिपोर्ट प्राप्त | दिनांक रिपोर्ट जारी |
|---|---|---|---|
| 1. | 81–82 | 25.3.88 | 25.8.88 |
| 2. | 84–85 | 16.11.87 | 11.3.88 |
| 3. | 85–86 | 26.7.89 | जारी होना शेष है। |

(3) वर्ष 85–86 की ऑडिट रिपोर्ट सहकारी विभाग में दिनांक 26.7.89 को प्राप्त हुई है जो विभागीय स्तर पर परीक्षण व विचार विमर्श की प्रक्रिया में होने के कारण जारी नहीं की जा सकी है।

1.1.1987 के पश्चात् अंकेक्षकों द्वारा भेजे गये मामलों एवं पंजीकृत करने आदि से सम्बन्धित विवरण संलग्न परिशिष्ट में अंकित है। जांच पूर्व कोई मामला खारिज नहीं किया गया है।

(4) ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 1985–86 में आई. ए. एस. राजस्थान सहकारी संघ एवं लेखा सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध आक्षेप लगाये गये हैं किन्तु यह सही नहीं है कि ऑडिट रिपोर्ट का निस्तारण इसीलिए नहीं किया जा रहा है।

(5) सरकार ऑडिट रिपोर्ट का निस्तारण एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही करेंगी।

परिशिष्ट–1

## 1.1.87 के बाद दर्ज किये गये मामलों की सूची

| क्र. सं. | नाम व्यक्ति | रकम | आडिट रिपोर्ट वर्ष | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री हरिशंकर गुप्ता, मैनेजर (काटन) संघ एवं श्री अवधेश सिंह, नेफैड प्रतिनिधि | 41000.00 | 81–82 | राजफैड की सरसों को भरतपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति से मंगवाकर ऊंची कीमतों पर बिक्री न करके सस्ती दरों पर बिक्री की गई, जिससे हानि हुई। |
| 2. | व्यवस्थापक, कामा क्रय–विक्रय एवं व्यवस्थापक, वाणिज्यिक राजफैड एवं नेफैड के अधिकारी | 123544.00 | 81–82 | घटिया किस्म की अरहर खरीदकर संस्था को हानि पहुंचाई। |
| 3. | श्री एस. सी. सिंघवी महाप्रबन्धक, प्लान्ट | 57407.00 | 81–82 | भाव रजिस्टर में दर्ज भावों से कम भाव पर तेल की बिक्री करके, अनुचित छीजत ट्रक ड्राईवरों ने न काटकर एवं एफ. एफ. एफ. ए. व कलर में अन्तर करके हानि पहुंचाई। |
| 4. | श्री डी. कुमार, तत्कालीन प्रबन्ध संचालक, श्री के. पी. शर्मा, महाप्रबन्धक (वाणिज्य) एवं श्री हरिशंकर गुप्ता, मैनेजर (काटन) | 215709.00 | 81–82 | नियमों के विरुद्ध प्राइवेट पार्टीज को माल उधार पर बेचा गया। बाद में पार्टी फेल हो गई व रकम डूब गई जिससे हानि हुई। प्रकरण की जांच विचाराधीन है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | श्री डी. कुमार, तत्कालीन प्रबन्ध संचालक, श्री के. पी. शर्मा, महाप्रबन्धक (वाणिज्य) एवं श्री हरिशंकर गुप्ता, मैनेजर (काटन) | 357474.00 | 81–82 | माल का सौदा करने के पश्चात् पार्टीज को माल की डिलीवरी समय पर न देने के कारण पार्टीज ने सौदा रद्द कर दिया, क्योंकि भाव घट गये थे अतः बाद में घटे हुए भावों पर बेचने से हानि हुई। प्रकरण की जांच विचाराधीन है। |
| 6. | श्री एस. सी. सिंघवी, महाप्रबन्धक, फतेहनगर प्लान्ट | 19800.00 | 81–82 | मूंगफली की खरीद निजी व्यापारियों से अधिक भाव पर हानि पहुंचाई। |
| 7 | श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, स्टोरकीपर | 18711.00 | 84–85 | कीटनाशक फैक्ट्री के लिए हल्की किस्म का कच्चा माल खरीदने के कारण हानि हुई। |
| 8. | श्री पी. एन. माथुर, फैक्ट्री मैनेजर | 2565.00 | 84–85 | ,, |
| 9. | श्री पी. एन. माथुर एवं श्री डी. एन. भार्गव, मैनेजर पी. पी. | 64782.00 | 84–85 | ,, |
| 10. | श्री एस. सी. सिंघवी महाप्रबन्धक, फतेहनगर प्लांट एवं सत्यनारायण लठ्ठा | 15016.00 | 81–82 | खराब किस्म के खाली टीन खरीदे गये जिनके अनुपयोगी होने के कारण बहुत कम दरों पर बेचने से हानि हुई। इसे दर्ज करने के पश्चात् जब धारा 74 (1) के अन्तर्गत जांच करवाई गई तो यह प्रकरण 74 (1) के अन्तर्गत आचरण संदिग्ध नहीं पाया गया। अतः खारिज किया गया। |

## समयावधि समाप्ति के कारण दर्ज होने योग्य नहीं पाये गये मामले

| क्र. सं. | नाम व्यक्ति | राशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री एस. सी. सिघवी<br>जनरल मैनेजर, फतेहनगर प्लांट | 6695.00 | 81–82 महुवा तेल बिक्री में पहुंचाई गई हानि । |
| 2. | ,, | 16744.00 | 81–82 तारामीरा तेल उधार बिक्री में हुई हानि । |
| 3. | ,, | 6380.00 | 81–82 जी. एन. सोलवेन्ट आयल• के सौदे में हुई हानि । |
| 4. | श्री जीवनसिंह महेचा, प्रबन्ध संचालक<br>श्री के. पी. शर्मा, महाप्रबन्धक<br>श्री एम. एम. गोयल, प्रबन्धक (वित्त)<br>श्री. एन. आर. खंगार, (संस्थागत क्रेडिट अधिकारी)<br>श्री एम.सी. सिंघवी, महाप्रबन्धक, फतेहनगर प्लांट | 66900.00 | 81–82 मै. मेवाड़ इण्ड. को पुराना डीजल सैट जरनेटर का अग्रिम भुगतान कर पहुंचाई गई हानि । |
| 5. | श्री रूपकिशोर मिर्धा<br>क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड<br>अलवर डिपो<br>श्री के. पी. शर्मा, महाप्रबन्धक वाणिज्य | 383405.45 | 81–82 शीतागार अलवर में कृषि जीन्सों के भण्डारण में स्टाक चना 999 तथा अरहर 55 बोरी कीमत 383405.45 रु. स्टाक का गबन । श्री रूपकिशोर मिर्धा की तदुपरान्त मृत्यु हो चुकी है । |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | श्री के. के. नागपाल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड, श्रीगंगानगर शाखा प्रबन्धक, नेफैड एवं व्यवस्थापक, क्रय विक्रय स. स विजयनगर पीलीबंगा, श्रीकरणपुर, जैतसर व गजसिंहपुर । | 560739.99 | 81–82 कपास के साजा व्यापार में 3832.82 क्विं. छीजत 3 प्रतिशत के हिसाब से अधिक छीजत । |

नोट : वर्ष 85–86 की ऑडिट रिपोर्ट में भी धारा 74 के मामले ग्राडिटर्स द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं, किन्तु इस वर्ष की रिपोर्ट विचार–विमर्श एवं परीक्षणाधीन होने के कारण अभी तक कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

**बालोतरा में महाविद्यालय**

19. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा कस्बे की ग्राबादी 50 हजार से अधिक है और क्या उक्त उप–खण्ड के लाखों निवासियों के छात्र बच्चों के लिए महाविद्यालय की सुविधा 100 कि. मी. से नजदीक नहीं है ? क्या प्रदेश में इन परिस्थितियों से युक्त ऐसे कोई अन्य स्थान भी हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा पूर्व में बालोतरा में महाविद्यालय खोलने का ग्राश्वासन दिया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि बालोतरा की जनता ने भवन बनाकर देने को कहा था ? क्या यह भी सही है कि बाद में सरकार ने दो वर्ष का खर्चा देने की शर्त रखी थी और उसे नगरपालिका ने वहन करने की स्वीकृति दी थी ? यदि हां तो अब कब तक महाविद्यालय प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण है ?

(4) क्या अन्य क़िन्हीं स्थानों पर भी दो वर्ष का खर्चा देने पर महाविद्यालय प्रारम्भ करने की बाध्यता रखी गई थी ? यदि नहीं, तो बालोतरा के लिए यह शर्त लगाने का क्या औचित्य है ?

**उत्तर**

(1) बालोतरा कस्बे की आबादी सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 2067 है । बालोतरा के आस पास एक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाड़मेर है । जहां उच्च शिक्षा का पूर्ण सुविधा उपलब्ध है । यह महाविद्यालय बालोतरा से लगभग 100 कि. मी. की दूरी पर है । जी हां । बालोतरा

(शिक्षा मंत्री)

से अधिक आबादी वाले निम्न स्थान है, जहां पर अभी तक महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

| | |
|---|---|
| (1) रतनगढ़ | 43,366 |
| (2) डूंगरगढ़ | 29,076 |
| (3) चौमूं | 28,822 |
| (4) मकराना | 40,663 |

(2) विभाग में प्राप्त वर्ष 1987 तक इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया । बालोतरा लघु उद्योग मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 28.7.89 द्वारा महाविद्यालय भवन जन सहयोग से बनाने हेतु लिखा था ।

(3) राज्य सरकार ने भवन उपलब्ध करवाने तथा महाविद्यालय का दो वर्षों के संचालन योग्य राशि राज्य सरकार के कोष में जमा करा दी जाने पर बालोतरा में महाविद्यालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति पर विचार करने बात कही थी । नगरीय एवं आवासन विभाग ने पत्र दिनांक 3.10.89 द्वारा अनुचित किया कि बालोतरा नगर पालिका दो वर्ष की अवधि का खर्चा वहन करने को तैयार है । महाविद्यालय खोलने का प्रकरण सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(4) अभी हाल ही में बाड़ी, जिला धौलपुर में कालेज खोलने के प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने यह शर्त रखी कि प्रस्तावित महाविद्यालय पर प्रथम तीन वर्ष में होने वाली व्यय राशि संस्था द्वारा राज्य कोष में अविलम्ब अग्रिम रूप में जमा करानी होगी ।

परिशिष्ठ 'क'

## परिशिष्ट—5

### अतारांकित प्रश्न संख्या 12 की सूची

### करौली वन मण्डल में जून 89 तक अनाधिकृत खनन के दर्ज मुकदमों की सूची

| क्र. सं. | नाम अपराधी मय पता | एफ.आई.ग्रार. नं. | नाम वन खण्ड | रेंज | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री भौरी लाल पुत्र गोमतीलाल जैन करौली | 122-51/5.7.81 | खोरी | करौली | पेंडिंग(अदालत चालान की कार्यवाही जारी है।) |
| 2 | ,, रूप नारायण ठेकेदार, करौली | 122-51/6.7.81 | खोहरी | ,, | 50 रु. मुआवजा वसूल किया |
| 3. | ,, भौरी लाल जैन, करौली | 122-55/12.10.81 | खोहरी | ,, | 501 रु. मुम्रावजा वसूली किया |
| 4. | ,, प्रहलाद पुत्र श्रवण धोबी खोहरी | 122-56/13.10.81 | खोहरी | ,, | पेंडिग (अदालत चालान कार्यवाही जारी है।) |
| 5. | ,, रामनारायण व्यास जयपुर | 122-62/10.1.82 | बहादुरपुर | ,, | ,, ,, |
| 6. | ,, राम नारायण व्यास जयपुर | 122-63/15.1.82 | ककड़वा | ,, | ,, ,, |
| 7. | ,, तुहराम पुत्र मल्लूराम गूजर तालो | 128-23/30.1.83 | तातल | ,, | ,, ,, |
| 8. | ,, बाबू लाल पुत्र मुली माली (राम नारायण व्यास) | 505-23/26.10.83 | ककड़वा | ,, | पेंडिग |

(91)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | श्री एम. के. बाजोरिया, जयपुर | 129-73/3.11.83 | गुरुदेव | करौली | अदालत चालान |
| 10. | ,, हरीबाबू ब्राह्मण खरेटा | 129-74/3.11.84 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 11. | ,, प्रभू लाल अग्रवाल, हिण्डोन | 129-73/14.11.84 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 12. | ,, निर्मल कुमार जिन्दल करौली | 129-77/15.11.84 | बुगडार | ,, | ,, ,, |
| 13. | ,, बिरजू माली ठेकेदार गुरुदेव | 129-78/16.10.84 | बहरदा | ,, | ,, ,, |
| 14. | ,, बाबू लाल गंगाजली करौली | 129-83/28-11-84 | गुरुदेव | ,, | पेंडिंग |
| 15. | ,, लादू पुत्र अन्तू मीणा डूडापुरा | 122-100/11.10.84 | ककड़वा | ,, | 101 रु. मुआवजा वसूल किया |
| 16. | ,, रंगा पुत्र श्योनारायण करौली | 510-10/29.1.85 | ककड़दा | ,, | 450 रु. मुआवजा वसूल किया |
| 17. | भूमर लाल स्वरूप लाल तिवाड़ी करौली | 510-12/29.1.85 | जिलोर | ,, | 210 रु. मुआवजा वसूल किया |
| 18. | ,, रंगीलाल ठेकेदार करौली | 510-39/24.2.85 | ककड़दा | ,, | 1000 रु. मुआवजा वसूल किया |
| 19. | ,, किस्तूर चन्द सिंघल ठेकेदार हिण्डोन | 509-27/3.5.85 | कोटा छावर | ,, | पेंडिंग |
| 20. | ,, रंगी लाल पुत्र श्योनारायण मीणा करौली | 509-28/3.5.85 | वड़ीरूथ | ,, | ,, ,, |
| 21. | ,, अन्तू लाल प्रभू लाल हिण्डोन | 506-33/2.6.85 | बुगडार | ,, | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | श्री एस. के बाजोरिया, जयपुर | 506-34/19.6.85 | गुरुदेव | करौली | पैंडिंग |
| 23. | ,, वेद प्रकाश पुत्र नारायण बहरदा | 506-35/19.6.85 | बहरदा | ,, | ,, ,, |
| 24. | ,, हरीचरण पुत्र भगतलाल, करौली | 506-36/19.6.85 | बुगडार | ,, | ,, ,, |
| 25. | ,, भारती पुत्र दीवान गूजर खुडरी | 3845-30/21.3.87 | बासवाड़ी | ,, | 301 रु. मुआवजा वसूल किया. |
| 26. | ,, रूप नारायण पाण्डेय, करौली | 3849-4/13.6.87 | | | अदालत चालान किया गया |
| 27. | ,, पांच्या पुत्र कलुआ मह् | 3649-29/4.288 | बड़ीरूथ | ,, | पैंडिंग |
| 28. | ,, दामोदर पुत्र सोनरे निठार | 3847-23/11.687 | झिलोर | ,, | ,, ,, |
| 29. | ,, रामफूल पुत्र समोली, कल्याणी | 3847-24/11.6.87 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 30. | ,, अरविन्द कुमार पुत्र श्यामलाल करौली | 3845-33/29.4.87 | लेटोर | ,, | ,, ,, |
| 31. | ,, कल्याण पुत्र देवीलाल हेड़कापुरा | 3845-42/1.12.87 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 32. | ,, मदारीलाल पुत्र सुकदेव गोरेडा | 3856-37/27.12.87 | गोरेडा | ,, | ,, ,, |
| 33. | ,, कल्याण पुत्र देवीलाल छेकापुरा | 3845-34/29.4.87 | लेदोर | ,, | ,, ,, |
| 34. | ,, हरीचन्द पुत्र शिवनारायण सरमथुरा | 3856-88/27.12.87 | गोरेडा | ,, | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | श्री बाबूलाल पुत्र मुसरिया राम सरमथुरा | 3856-36/27.12.87 | गोरेड़ा | करौली | पैंडिंग | |
| 36. | ,, जमुरा पुत्र मेघ मीणा, गोदाली | 3851-5/3.6.88 | लेदोर | ,, | ,, | ,, |
| 37. | ,, चतरे पुत्र तटरे जाटव गादोली | 3851-6/3.6.88 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 38. | ,, जगन्नाथसिंह पुत्र जवानसिंह गूजर खुरड़ा | 3931-1/3.5.89 | मरदई दाउदपुरा | ,, | ,, | ,, |
| 39. | ,, जमोली पुत्र नसुआ गूजर खुण्डा | 4921-2/12.5.89 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 40. | ,, फूलसिंह पुत्र मदन गूजर, महापुर थाना सरमथुरा | 3921-3/17.5-89 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 41. | ,, राजू पुत्र करण सिंह गूजर खुण्डा | 3921-4/25.5.89 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 42. | ,, मांगीलाल पुत्र चन्दन महाजन बाड़ी | 3921-5/2.6.89 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 43. | ,, कप्तान पुत्र रतभान गूजर पीपरानी | 3921-6/8.6.89 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 44. | ,, भंवर गूजर निवासी गूजर भांवली | 9.6.89 | बासवाड़ी | ,, | ,, | ,, |
| 45. | ,, सोहनसिंह पुत्र सावलिया गूजर केशपुरा | 9.6.89 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 46 | ,, गोपाल तमोली मासलपुर | 9.6.89 | ,, | ,, | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47. | श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र किशोरी मांच | 102-73/22.1.82 | मरमदा | सपोटरा | 100 रु. मुआवजा वसूल किया । |
| 48. | ,, विष्णु पुत्र मांग्या बैरवा दौलतपुरा | 143-22/7.7.82 | दौलतपुरा | ,, | पेंडिग |
| 49. | ,, दुर्गाप्रसाद पुत्र मुरलीधर महावर गंगापुर | 150-7/18.9.82 | नारोती | ,, | ,, ,, |
| 50. | ,, बदरीलाल पुत्र रामेश्वर अग्रवाल मीणा बढोढा | 149-51/25.9.82 | | ,, | 101 रु. मुआवजा वसूल किया |
| 51. | ,, छुट्टन पुत्र कानाराम मीणा रामपुरा | 149-19/4.10.82 | | ,, | 112 रु. मुआवजा वसूल किया |
| 52. | ,, घूड़मल पुत्र सुन्दर मीणा डावर | 522-4/9.3.84 | | ,, | 100 रु. ,, |
| 53. | ,, मीताराम पुत्र जमना लाल महाजन कैलादेवी | 149-98/10.5.85 | | ,, | 500 रु. ,, |
| 54. | ,, भगवत लाल पुत्र हरिया लाल महाजन करौली | 149-99/11.5.85 | अवर्तकी | ,, | पेंडिग |
| 55. | ,, प्रभूलाल पुत्र चिरंजीलाल हिण्डोन | | | मण्डरायल | कार्यवाही जारी है । |
| 56. | ,, निर्मल कुमार जिन्दल करौली | | | ,, | ,, ,, |
| 57. | ,, जगमोहन पुत्र गुलचा मीणा महताब को पुरा | | | ,, | 500 रु. मुआवजा बसूल किया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58. | श्री शिवचरण पुत्र जमना लाल हिण्डोन | | | मण्डरायल | 200 रु. मुआवजा वसूल किया |
| 59. | ,, बलभद्र पुत्र मोती ब्राह्मण पातकापुरा | 3933-2/3.1.89 | बहरदा | ,, | अदालत चालान किया जा रहा है |
| 60. | ,, एस. के. बाजोरिया जयपुर | 3933-3/3.1.89 | मृरदेह | ,, | ,, ,, |
| 61. | ,, निर्मल कुमार पुत्र हरीचरण जिन्दल करौली | 3933-4/3.1.89 | गुरुदेह | ,, | ,, एवं अपराधी का नाम मालूम |
| 62. | ,, अज्ञात | 3933-5/3.1.89 | बहरदा | ,, | किया जा रहा है । |

## परिशिष्ट–6

### अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची

| क्र सं. | ग्राम का नाम | भीलवाड़ा से दूरी कि. मी. |
|---|---|---|
| | **राजस्व ग्राम पुर** | |
| 1. | पुर | 11 कि. मी. |
| 2. | मंगलपुरा | 13 ,, |
| 3. | लक्ष्मीपुरा | 13 ,, |
| 4. | मालीखेड़ा | 15 ,, |
| 5. | बलियाखेड़ा | 15 ,, |
| 6. | जाटों का खेड़ा | 13 ,, |
| 7. | खारोलिया खेड़ा | 15 ,, |
| 8. | भूरड़ी मंगरी का खेड़ा | 13 ,, |
| 9. | कुमारिया खेड़ा | 13 ,, |
| 10. | काबरड़ी | 13 ,, |
| | **राजस्व ग्राम सांगानेर** | |
| 1. | सांगानेर | 5 कि. मी. |
| 2. | कीरखेड़ा | 13 ,, |
| 3. | सालरा | 13 ,, |

## परिशिष्ट–7

### नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :—नियम 295 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव ।

महोदय,

राज. प्राथ. स्वा. केन्द्र अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने हेतु गत दो वर्ष पूर्व से बराबर कार्यवाही चल रही थी । रेफरल अस्पताल खोलने हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भवन आदि की उपयुक्तता होते हुए भी अमरसर में रेफरल अस्पताल नहीं खोलना वहां की जनता के साथ स्पष्ट अन्याय है ।

राज्य सरकार ने 89–90 के बजट में जिन-जिन स्थानों पर रेफरल अस्पताल खोलने की स्वीकृति प्रदान की है वहां पर निर्धारित मापदण्डों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है । अमरसर में उपयुक्तता होते हुए भी रेफरल अस्पताल नहीं खोलने से क्षेत्रीय जनता में भयंकर रोष व्याप्त है एवं जनता आन्दोलित हो रही है । अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय मामले पर सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें ।

भवदीय
ह./-
(मुक्ति लाल मोदी)
वि. सं. 121

दिनांक 27.12.89

99

श्री सचिव जी,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

विषय :—गत 14 सितम्बर, 1989 को कोटा नगर में हुए साम्प्रदायिक दंगे ।

महोदय,

गत 14 सितम्बर, 89 को अनन्त चतुदर्शी के पावन पर्व पर गणपति के शान्त जुलुस पर अल्पसंख्यकों द्वारा पथराव व गोलियां चलाकर नगर में साम्प्रदायिक उपद्रव करवा कर लगभग 22 लोगों की जान गंवा दी तथा अनेकों घायल हो गये । इस घटना के परिणामस्वरूप कई दिनों तक कोटा शहर में कर्फ्यू लगाया गया जिससे सारा जन-जीवन अशान्त हो गया ।

जुलूस प्रतिवर्ष की भांति शांतिपूर्वक निकाला जा रहा था किन्तु प्रशासन को पूर्व में ही भगड़ा होने की जानकारी होने के उपरान्त भी कोई उचित व्यवस्था नहीं किये जाने से उपद्रवकारियों का हौंसला बढ़ गया । दंगे की जांच के लिए न्यायिक जांच की घोषणा भी की गई किन्तु 3 माह बीत जाने के पश्चात् भी न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई और न दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई । दंगे में हुई करोड़ों की क्षति का मुआवजा भी पर्याप्त नहीं दिया गया और कुछ दिया भी गया तो वह वर्ग विशेष को ही दिया गया ।

सरकार के तुष्टीकरण के रवैये से देशद्रोही और भी अधिक सक्रिय हो गये तथा दीपावली के दिन मुख्य बाजार में बम विस्फोट कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति घटना स्थल पर ही मारा गया तथा अनेकों घायल हो गये जिसमें बच्चे व महिलायें भी शामिल है । इसके पश्चात् शहर के अनेकों स्थानों पर बम विस्फोट हुए तथा कई लोग घायल हुए । अभी भी पुलिस द्वारा खोज करने पर स्थान-स्थान से बम व हथियार बरामद किये जा रहे हैं किन्तु सरकार के दबाव के कारण या तो दोषी लोगों को छोड़ दिया जाता है या फिर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की जाती ।

सरकार के रवैये से जनता में भय, असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है अतः सरकार को चाहिये कि सभी स्थानों पर अवैध हथियारों को तेजी से खोजकर दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे तथा न्यायिक जांच की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारम्भ की जावे ।

भवदीय
ह./-
हरिकुमार औदिच्य
वि. सं. 185

दिनांक 28.12.89

(17)



सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :—प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के अमियानी गांव के चेतनराम मेघवाल एवं उसके परिवार को तस्करों द्वारा मार दिये जाने की धमकी से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख ।

महोदय,

बाड़मेर, जैसलमेर जिले में करणा भील के सिर काटकर पाकिस्तान ले जाने एवं मडरा के थानेदार दिनेश सिंह की पिटाई ने सीमा पर तस्करों का मनोबल और बढ़ा दिया है । हाल ही में दिनांक 14 दिसम्बर, 1989 को बाड़मेर जिले के अमियानी गांव में रहने वाले चेतनराम मेघवाल जिसका मकान भारत-पाक सीमा पर ही है, को इदरीश नामक व्यक्ति जो पाकिस्तान के गोगासर गांव का रहने वाला है ने चेतनराम मेघवाल और उसके परिवार को धमकी दी है कि वह अमियानी गांव छोड़ दे नहीं तो उसके परिवार को जान से मार दिया जायेगा । श्री चेतनराम मेघवाल का एक ही घर है बाकी सभी 25-30 घर अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के हैं । इदरीश नामक तस्कर का गांव एक किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान में पड़ता है जो सीमा पर तस्करी करता है ।

तस्कर इदरीश पांच-छह वर्ष पूर्व भी चेतनराम एवं उसके परिवार पर, उसके खेत पर हमला कर चुका है जिसमें कुल्हाड़ी से दो वार किये थे एक सिर पर व दूसरा हाथ पर और उस समय उसे 1982–83 में 4-5 महीने बन्दी बनाये रखा था । तब बी. एस. एफ. और जिला प्रशासन ने धमकी दी थी कि यदि चेतनराम को कुछ हो गया तो इसके अंजाम बुरे होंगे तब उसे पाकिस्तान में भारतीय जासूस बताते हुए पाकिस्तान के रेन्जरों को सौंप दिया था उसे करांची जेल में रखा गया तथा हैदराबाद में 15 दिनों तक बर्फ पर लेटाया गया और अनेक प्रकार की यातनायें दी गई और साढ़े चार माह बाद उसे भारत में बी. एस. एफ. को सौंपा गया था । चेतनराम ने पुलिस और जिला प्रशासन से अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व इदरीश को गिरफ्तार सम्बन्धी आदेश भी दिये हैं किन्तु थाना गडरारोड़ एवं थाना गिराब के पुलिसकर्मी तस्करों से मिले हुए हैं और वे तस्करों की मदद करते हुए उसे रुपयों का प्रलोभन देकर गांव छोड़ने का दबाव डाल रहे हैं अन्यथा सुरक्षा करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं । सरकार उक्त मेघवाल जाति के परिवार की सुरक्षा करने में असफल रही है यदि समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की गई तो चेतनराम और उसके परिवार को मार दिया जायेगा । इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी । इदरीश पासपोर्ट से आया है और सीमा पर बे-रोकटोक घूम रहा है।

यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है अतः आज सदन में इसका विशेष उल्लेख कर रहा हूं ।

भवन्निष्ठ
ह./-
चम्पालाल बांठिया
वि. सं. 39

(101)

राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :—नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के शालाओं में विषय अध्यापकों के पद से रिक्त होनेहो रही शिक्षा की हानि के क्रम में ।
नियम 295 के तहत प्रस्ताव ।

महोदय,

नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा सत्र समाप्त होने जा रहा है परन्तु अभी तक भी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शालाओं के विषय अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं उक्त क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए नांगल में पिछले एक साल से विज्ञान संकाय के अध्यापक नहीं है । जिससे ऐच्छिक विषयों की पढ़ाई विषय अध्यापकों से नहीं हो रही है। जिससे छात्रों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा आने वाले परीक्षाफल पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा इसी प्रकार अन्य माध्यमिक विद्यालय असीमपुर, पाटन, रामपुरा, बेगा की नांगल, कोटड़ा, पीपलाटा इनमें भी लम्बे समय से अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं जिससे बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है । इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय पीपलाठा में पिछले दो साल से प्रधानाध्यापक का पद रिक्त चल रहा है । इसके अलावा कई अन्य शालाओं में भी प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं । जिससे भी शाला व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । इसके अलावा बालिका उच्च प्राथमिक शालाओं की शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि उक्त शाला असामपुर व डाबला में भी प्रधानाध्यापिका व अध्यापिकाओं के पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे है तथा असामपुर में तो केवल मात्र 2 अध्यापिकाओं से ही शाला चल रही है जिससे बालिका शिक्षा पूर्ण रूप से पिछड़ती जा रही है ।

अतः मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ग्रामीण शिक्षा की दशा को सुधारते हुए रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाये क्योंकि अब तो शिक्षा सत्र समाप्त होने जा रहा है जिससे ग्रामीण शिक्षा पिछड़े नहीं तथा ग्रामीण शालाओं का परीक्षाफल में सुधार आये । क्योंकि अध्यापकों के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र का परीक्षाफल लगातार गिर रहा है जिससे गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के कारण उनको महाविद्यालय में एडमिशन भी नहीं मिलता है तथा मजबूर होकर बेरोजगार घूमते रहते हैं ।

अतः नियम 295 के तहत मांग करता हूं कि रिक्त पद व विषय अध्यापकों के पद तुरन्त भरे जाये जिससे ग्रामीण शिक्षा का स्तर सुधरे व ग्रामीण अभिभावकों में असन्तोष दूर हों ।

भवदीय
ह./-
फूलचन्द, वि. सं. 90

सेवामें,

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :—नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत बूंदी जिले में काबिल काश्त कृषि भूमियों का कृषकों को खातेदारी दिलाने बाबत ।

महोदय,

बूंदी जिले में पिछले 15 से 20 वर्षों से सिवाय चक सरकारी पड़त सिलिंग में आवंटित आदि कृषि भूमियों पर किसान खेती कर रहे हैं । इन कृषि जोतों का लगान, जुर्माना एवं सिंचित क्षेत्र में सिंचाई शुल्क आदि के रूप में सरकार राजस्व वसूल कर रही है । इनमें 90 से 95% कृषक कमजोर गरीब वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति एवं भूमिहीन लोग हैं । सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकार इनको न तो भूमि आवंटन कर रही है न ही आवंटियों को 10 वर्ष बाद भी नियमानुसार खातेदारी अधिकार दे रही है । इससे इन गरीब कृषकों को बिना आवंटन के इन 20 वर्षों से लाखों रुपया नियम 91 के तहत वसूला जा रहा है और आवंटियों को बैंक या सरकारी ऋण सुविधायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में पिछले 5 वर्षों के आंकड़े जो मेरे विधान सभा प्रश्न के उत्तर में ही सरकार द्वारा दिये गये हैं इसके तहत 10 हजार कृषकों को इससे भारी असुविधा एवं सरकारी लूट से परेशान किया जा रहा है । जिसका परिणाम राजस्व रिकार्ड के फार्म पी 14 में दर्ज है ।

अतः मैं इस नियम 295 के महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से, पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि तुरन्त प्रभाव से नियम 91 वाले कृषकों की काबिज कृषि भूमियों का आवटन कर खातेदारी अधिकार दिलाया जावे । साथ ही नियमानुसार आवंटियों को दस वर्ष बाद खातेदारी दिलायी जावे । यदि सरकार ने इस विषय पर तुरन्त निर्णय नहीं लिया तो जन आक्रोश से जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा ।

भवदीय,
ह./-
(मांगीलाल मेघवाल)
वि. सं. 114

दिनांक 28-12-89

(103)

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषय :—प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख ।

महोदय,

जयपुर जिले में मेहंदीपुर बालाजी की आय का महन्त द्वारा दुरुपयोग करने, वास्तविक आय से कम आय दिखाने, सवामणी की अलहादा राशि लेकर केवल एक ही जगह एक रसोई बनाकर सवामणी के नाम पर उचन्त मोटी रकम महन्त द्वारा देवस्थान विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ से हजम करना व सवामणी की आय को ट्रस्ट में नहीं दिखाने, चढ़ावे की रोकड़ी रुपयों की आय को स्वयं महन्त द्वारा प्रन्यास में जमा न कर अपने निजी कोष में जमा करने, सोने-चांदी के छत्र व आभूषण जो चढ़ावे में आते हैं उसका 1 प्रतिशत रिकार्ड में दर्ज करने तथा 99 प्रतिशत जेवर व आभूषण बाला-बाला बेचकर उसकी आय को प्रन्यास में जमा न कर महन्त द्वारा निजी कोष में जमा करने, चढ़ावे के नारियलों को वापिस बाजार में बेचकर उससे होने वाली आय प्रन्यास में जमा न कर महन्त द्वारा निजी कोष में लेने, 8 धर्मशालाओं में से केवल 5 धर्मशालाओं को प्रन्यास में दिखाना, 50 दुकानों के किराये की आय को ट्रस्ट की आय में सम्मिलित नहीं करने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मन्दिर में प्रतिवर्ष विद्युत उपकरण, पीतल के घण्टे, कलश आदि यानि जो चढ़ावे में आता है उसका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता बल्कि प्रतिवर्ष लाखों रुपयों की सम्पत्ति बाला-बाला बेच दी जाती है ।

इसी प्रकार प्रतिदिन 50 किलो घी ज्योति का आता है उसको पीपों में भरकर बेच दिया जाता है तथा प्रन्यास में उसका कोई जमा खर्च नहीं होता ।

प्रन्यास की भूमि से जो आय होती है उसको महन्त द्वारा निजी कोष में लिया जाता है तथा कुछ जमीन तो उचन्त राशि लेकर बेच दी है तथा शिकमी काश्तकार बनाकर लाखों रुपये महन्त ने ले लिये हैं ।

प्रन्यास की रोकड़ बही नियमानुसार नहीं रखने, प्रन्यास की भेंट पेटी से प्राप्त आय की 95 प्रतिशत राशि हजम करना, भैरू जी व प्रेतराज के मन्दिर में प्राप्त भेंट को उचन्त खजाने आदि गम्भीर आरोप सिद्ध हो जाने के उपरान्त भी राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत धारा 38 व 49 की कार्यवाही देवस्थान विभाग द्वारा नहीं की गई ।

मन्दिर की व्यवस्था सरकार के अधीन नहीं लेने से जनता में व भक्तों में असन्तोष व्याप्त है। चूंकि महन्त का आचरण संदिग्ध है और धन्ना सेठ होने के कारण दर्शनार्थी महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है।

मैं नियम 295 के तहत राज्य सरकार से अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने तथा मन्दिर की सम्पूर्ण व्यवस्था सरकार के अधीन रखने के लिए पुरजोर शब्दों में अनुरोध कर इस प्रकरण को सदन में उठाना चाहता हूं।

भवन्निष्ठ,
ह./-
( प्रभुदयाल मीणा )
वि. सं. 88

दिनांक 27-12-89

---

सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

**विषय :—नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख**

मान्यवर,

विधान सभा चुनावों को मद्दे नजर रखते हुए, वर्तमान मुख्य मंत्री ने आसाम से आते ही कृषि भूमि पर बने मकानों के नियम की घोषणा की है। परन्तु वह यह सोचना ही भूल गये हैं कि 1142 योजनाओं में से मात्र 542 योजनाएं ही अभी तक स्वीकृत हुई हैं। आवास की समस्या से 40 हजार मकान बनाने वाले जूझ रहे हैं। आये दिन जे. डी. ए. कर्मचारी बने बनाये मकान तोडने पहुंच जाते हैं, सताते है, सन् 1982 में कृषि भूमि पर बने मकानों के स्वामियों ने सरकार के लुभावने नारों से प्रलोभित होकर 58 करोड़ रुपया नियमन का जमा किया था। उस समय श्री माथुर की सरकार ने 90 दिन का समय अर्थात् मात्र 3 माह का समय नियमन के लिए मांगा था। उसके उपरान्त यह समय 2 माह और बढ़ाया गया। परन्तु आज तक नियमन नहीं किया गया है। ना ही कृषि भूमि पर बनी कालोनियों में विकास किया गया। ना ही साइट प्लान दिये गये। 58 करोड़ के ब्याज से भी यह कार्य हो सकता था नहीं किया लोग जे. डी. ए. जाते-जाते सरकार के चक्कर लगाते-लगाते दुःखी हो चुके हैं। प्रवर्तन अधिकारियों की चांदी है नीचे से ऊपर तक, रुपया पहुंच रहा है 5 हजार तोड़ने के, पांच हजार छोड़ने के, पांच हजार बनाने के, रुपये लेकर अजीब स्थिति जे. डी. ए. ने बना रक्खी है। सरकार है कि आंखों पर पट्टी बांध रक्खी है।

विकास शुल्क के 25 रुपया प्रतिवर्ग थे। नियमित हो चुकी कालोनियों में विकास शुल्क की आवश्यकता ही नहीं थी। इसके लिए अन्य प्रान्तों के पंजाब, आसाम आदि के कानून देखे जा सकते थे। वह नहीं किया और एकदम श्री माथुर ने 65 रुपये प्रति-

वर्गगज लिये जाने की घोषणा कर दी । अब श्री जोशी जी ने कुछ छूट की घोषणा कर दी । इस प्रकार लोगों को छलने से क्या फायदा । जबसे घोषणा की है और 82 से लेकर आज तक भी जो सरकार उक्त कालोनियों के आवासों का नियमन नहीं कर पाई चुनाव से पूर्व कर नहीं सकती ना ही अभी तक नियमितिकरण शुरू किया है थोथी घोषणा से लोगों को बहकाने से हलकान करने के अलावा कुछ भी उपलब्धि नहीं है । सरकार खुद मकान बनाकर दे नहीं सकी, अच्छी बस्तियों का निवास छोड़ सर्वे तक पूरे नहीं किये आवासन मण्डल के आवासों पर से लोगों का विश्वास उठ गया—खस्ता हालत है और तीन गुणे दाम, कब मकान मिलेगा, भरोसा नहीं । इस प्रकार गाढ़ी कमाई का पैसा लोगों ने कृषि भूमि पर जमीन खरीद कर अपना मकान बनाने का प्रयास किया था परन्तु सरकार दोनों हाथों से उन्हें लूट तो रही है, राहत नहीं दे पा रही है ।

यहां तक कि उक्त मकानों में लोग नल नहीं ले सकते सरकार ने पाबन्दी लगा रखी है गर्मी में पानी की कमी से त्राही-त्राही करते जयपुर में गतवर्ष अन्य जगह तो हैण्डपम्प लगाये गये परन्तु किसी भी कृषि भूमि कालोनी में एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगाया गया । सरकार ने पता नहीं इनसे ऐसा व्यवहार क्यों किया जबकि लाखों रुपयों के चैक व चन्दा राशि पिछले चुनावों में लिये थे और आश्वस्त किया था कि मकानों का नियमन कर देंगे ।

अब जब विधान सभा चुनाव आने को है इन्हे ज्ञान हुआ कि यहां के आवासी इस सरकार को अपना मत नहीं देंगे इन्होंने आते ही घोषणा कर दी नियमन कर रहे हैं—कुछ विकास शुल्क में भी छूट करने की घोषणा कर दी है—इस थोथी घोषणा को नगर निवासी खूब समझते हैं । पिछले 7 साल की नींद अचानक खुली है । परन्तु घोषणा के उपरान्त भी कार्य नहीं हुआ । थोथी घोषणाएं करते कुछ संकोच का अहसास नहीं होता ।

40 हजार मकानों को लेकर खासा मजाक श्री जोशी ने किया है ।

मैं श्री जोशी जी से पूछना चाहती हूं 542 योजनाएं अतिरिक्त अस्वीकृत योजनाओं के बारे में आप क्या करेंगे बतलायें ? यह भी बतलाइये कि नियमन के अधिकृत का पत्र सबको कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ।

स्थिति तो यह है लोग बेचैन है, परेशान हैं, आंदोलित हैं, आक्रोश में हैं अतः यह विशेष उल्लेख का प्रश्न है कृपया मुझे इस पर चर्चा की अनुमति दें ।

भवदीय,

ह./-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वि. सं. 9

# शुद्धि-पत्र

**शुक्रवार, 29 दिसम्बर, 1989**

| क्रम सं. | स्कम्भ सं. | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | फोलियो | 28 दिसम्बर, | 29 दिसम्बर, |
| 2. | 47 | 5 | — | अता. प्रश्न संख्या 13 स्थगित |
| 3. | 86 | 20 | (व्यवधन) | (व्यवधान) |
| 4. | 134 | 25 | श्री भैरोंसिह भैशेखावत | श्री भैरोंसिह शेखावत |